भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट

2010-11

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
दूरभाष : +91-11-23220534
फैक्स : +91-11-23213036
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट वर्ष 2010–11 के लिए है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997(वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण तथा भादूविप्रा द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। प्राधिकरण का लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट में शामिल है।

(डॉ0 जे0एस0 शर्मा)
अध्यक्ष

दिनांक : 05 दिसम्बर, 2011

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	परिदृश्य	1-8
	भाग-I	
	नीतियां तथा कार्यक्रम	9-38
	भाग-II	
	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा	39-88
	भाग-III	
	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भादूविप्रा के कार्य	89-106
	भाग-IV	
	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन	
क.	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले**	107-122
ख.	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखे**	123-151
ग.	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि 2010-11 के लेखापरीक्षित लेखे**	153-173
	अनुबंध	175-196
	प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची	197-200

परिदृश्य

वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का फोकस, दूरसंचार व साथ ही साथ प्रसारण क्षेत्र की नीतियों व रणनीतियों की पुनर्संरचना करने पर रहा ताकि इन क्षेत्रों के भावी विकास के लिए एक सशक्त आधारशिला रखी जा सके और साथ ही, दूरसंचार उपभोक्ताओं के बढ़ रहे समूह को सशक्त व शिक्षित किया जा सके।

क) दूरसंचार क्षेत्र

वर्ष 2011–11 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में निरंतर प्रभावशाली विकास हुआ। वर्ष के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 621.28 मिलियन से बढ़कर 846.32 मिलियन हो गई। इस प्रकार इसमें 36.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि उपभोक्ता आधार में 227.27 मिलियन की वृद्धि हुई, परंतु वायरलाइन आधार में 2.23 मिलियन की कमी दर्ज की गई। 811.59 मिलियन कनेक्शनों के कुल आधार के साथ वायरलैस खण्ड निरंतर छाया रहा। देश के समग्र टेलीघनत्व मार्च, 2010 के अंत में 52.74 की तुलना में मार्च, 2011 के अंत में बढ़कर 70.89 हो गया। ग्रामीण टेलीघनत्व, जो कि 31 मार्च, 2010 को 24.29 था वह मार्च, 2011 के अंत तक बढ़कर 33.79 हो गया, जबकि इसकी तुलना में शहरी टेलीघनत्व क्रमशः 119.77 और 157.32 रहा। तथापि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की 34.11 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 40.64 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर रही।

इस क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी वर्ष 2009–10 के दौरान 286,837 करोड़ रुपए थी जो कि वर्ष 2010–11 के दौरान बढ़कर 337,683 करोड़ रुपए हो गई अर्थात् इसमें 17.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि इस क्षेत्र में निवेश के स्वस्थ विकास की द्योतक है। सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष के लिए दी गई रिपोर्टों के अनुसार, उपभोक्ता आधार में वृद्धि के परिणामस्वरूप, सकल आय में भी 8.69 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और यह 1,57,985 करोड़ रुपए से बढ़कर, वर्ष के दौरान 1,71,719 रुपए हो गई है। इसी दौरान जीएसएम व सीडीएमए के लिए प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह उपयोग के लिए मिनट, मार्च, 2010 के अंत में क्रमशः 410 व 307 की तुलना में घटकर क्रमशः 349 और 263 रह गए हैं। प्रति मिनट औसत आय (आरपीएम) में भी गिरावट दर्ज की गई है तथा यह जीएसएम प्रचालकों के लिए 0.57 रु. से घटकर 0.51 रु. (10.5 प्रतिशत की गिरावट) व सीडीएमए प्रचालकों के लिए 0.49 रु. से घटकर 0.47 रु. (4.1 प्रतिशत की गिरावट) रह गई है। प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह औसत आय (एआरपीयू) जो कि मार्च, 2010 के अंत में जीएसएम प्रचालकों के मामले में

131/–रुपए व सीडीएमए प्रचालकों के लिए 73/–रुपए थी, वह वर्ष 2010–11 के अंत में जीएसएम व सीडीएमए प्रचालकों के लिए घटकर क्रमशः 100/–रु. व 66/–रु. रह गई है। इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार क्षेत्र के लिए वर्ष 2010–11 में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पहले (ईबीआईटीडीए) आय 23,266 करोड़ रु. थी, जबकि पिछले वर्ष यह आय 29,347 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 20.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2009–10 के दौरान ईबीआईटीडीए के 19.48 प्रतिशत के लाभ की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान यह लाभ गिरकर 13.95 प्रतिशत रह गया।

वॉयस खण्ड में तेज वृद्धि की तुलना में, इंटरनेट व ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में साधारण वृद्धि हुई। जबकि वर्ष के दौरान इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 16.18 मिलियन से बढ़कर 19.67 मिलियन हो गई, ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 8.77 मिलियन के बढ़कर केवल 11.39 मिलियन ही हुई। कॉपर पेयर पर आधारित डिजिटल उपभोक्ता लाइन (डीएसएल) प्रौद्योगिकियों, जो संख्या और भौगोलिक विस्तार में सीमित हैं, का उपयोग करते हुए ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने संबंधी तथ्य को ही इंटरनेट व ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की धीमी वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, शासन द्वारा मई, 2010 में 2100 मेगाहट्र्ज और 2300 मेगाहट्र्ज बैंड (3जी और बीडब्ल्यूए) में स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। इस नीलामी के द्वारा राजकोष को न केवल 1,06,262.26 करोड़ रु. की आय हुई, वरन् देश में वायरलैस ब्रॉडबैंड की व्यवस्था में महत्वपूर्ण विकास, उससे भी प्रभावशाली रहा। वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रचालकों द्वारा 3जी नेटवर्क की शुरूआत कर दी गई और साथ ही आगामी वर्ष में इसके रोल आउट में तेजी लाने का आश्वासन भी दिया। तथापि बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के सफल बोलीदाता प्रचालकों के द्वारा काम प्रारंभ नहीं किया गया।

पूरे विश्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान केवल वाक् संचार की व्यवस्था से आगे डाटा, सूचना और अनुप्रयोगों के बढ़ते प्रावधानों के रूप में दूरसंचार की प्रकृति में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिले हैं। वर्तमान में भारत में, मोबाइल सेवाओं की कुल आय में अवाक् (नॉन–वॉयस) आय का योगदान मात्र 11 प्रतिशत है, जो कि विकसित बाजारों की तुलना में बहुत कम होने का सूचक है। देश की समग्र आर्थिक गतिविधि में, एक महत्वपूर्ण निवेश (इनपुट) के रूप में दूरसंचार का महत्व भी कई गुना बढ़ गया है। भादूविप्रा ने देश के विकास में दूरसंचार के महत्व को समझा है तथा सरकार को बहुत सी नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की है। इन सिफारिशों में स्पेक्ट्रम प्रबंधन, लाइसेंस देने की प्रक्रिया, ब्रॉडबैंड का विस्तार, दूरसंचार अवसंरचना, हरित दूरसंचार और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र सम्मिलित हैं। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान की गई सिफारिशें। इनमें से कुछ अप्रैल, 2011 में की गई परंतु अधिकतर कार्य वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया, शासन द्वारा बाद में घोषित मसौदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 की केन्द्र बिंदु बनी।

दिनांक 11 मई, 2011 के "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा" विषय पर जारी अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण द्वारा अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2015 तक दूरसंचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 500 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी और संकेत दिया कि इसको खाली कराने (वेकेशन) के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने का काम हाथ में लिया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दक्षतापूर्वक, लाभकर तरीके से और मितव्ययी ढंग से किया जाए। इसके द्वारा, सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्षा करने का काम उसे सौंपे जाने की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए विशेष निधि का सृजन करने की सिफारिश भी की गई। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान लाइसेंसधारकों की स्पेक्ट्रम संबंधी जरूरतों की भी जांच की गई और यह सिफारिश की गई कि अब स्पेक्ट्रम के साथ जोड़कर कोई भी यूएएस लाइसेंस

नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश थी कि भविष्य में दिए जाने वाले सभी लाइसेंस स्पेक्ट्रम रहित (डिलिंक करके) एकीकृत लाइसेंस होंगे।

मौजूदा लाइसेंसों के संविदात्मक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा यह सिफारिश की गई कि अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा में सौंपे गए स्पेक्ट्रम के लिए उनके लाइसेंसों की शेष वैध अवधि के लिए "वर्तमान मूल्य" पर यथानुपात भुगतान किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई की 01.04.2010 से लागू किए जाने के लिए 6.2 मेगाहट्र्ज और 6.2 मेगाहट्र्ज से आगे स्पेक्ट्रम के लिए "वर्तमान मूल्य" को बेहतर उपलब्ध मूल्य माना जाए। भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि अनुमानित आंकड़ों के आधार पर 6.2 मेगाहट्र्ज से अधिक आगे के स्पेक्ट्रम के लिए कीमत इस शर्त के अधीन होनी चाहिए कि अंतिम कीमतों को नीलामी (यदि कोई हो) के द्वारा निश्चित कीमत के आधार पर उपयुक्त प्रकार से संशोधित किया जा सकेगा।

लाइसेंस शुल्क की दरों में एकरूपता न होने के कारण, विवाचन (आर्बिट्रेज) के मौकों से बचने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने यह सिफारिश की कि अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की कि लाइसेंस शुल्क, जो वर्तमान में अलग–अलग सर्कलों के साथ–साथ सेवाओं के लिए भी अलग–अलग है, को समान रूप से 6 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम टेलीघनत्व से चिंतित प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य और समयबद्ध रोल आउट सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा रोल आउट दायित्वों में संशोधन करने की सिफारिश की।

प्रत्येक सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की बड़ी संख्या और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता से संबंधित स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह मानना था कि आमेलन और अधिग्रहण (एमएण्डए) में साझेदारी के माध्यम द्वारा स्पेक्ट्रम को समेकित करने के लिए उपाय करने और स्पेक्ट्रम के साझा उपयोग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और प्राधिकरण ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट उपाय करने की भी सिफारिश की।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2006 के बाद के लाइसेंसधारकों द्वारा रोल आउट संबंधी दायित्वों के अनुपालन की स्थिति की जांच करते समय यह पाया कि कुछ लाइसेंसधारकों ने पहले वर्ष के दौरान रोल आउट संबंधी दायित्वों का अनुपालन नहीं किया था। तद्नुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने परिसमापन क्षतिपूर्ति का दंड अधिरोपित करने के अलावा उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह अनुमान था कि इसके परिणामस्वरूप जीएसएम स्पेक्ट्रम की लगभग 255.2 मेगाहट्र्ज और सीडीएमए स्पेक्ट्रम की 27.6 मेगाहट्र्ज की क्षमता को निर्मुक्त किया जा सकेगा।

सभी देशों में प्रभावी ब्रॉडबैंड नेटवर्क का महत्व स्वीकार किया जा रहा है। एक ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की सर्वव्यापी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो वॉयस और डाटा दोनों सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, प्राधिकरण ने दिसंबर 2010 में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने 500 और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक ऑप्टिक फाइबर आधारित, मुक्त अभिगम वाले राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना के लिए सिफारिश की। प्राधिकरण ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आने वाले 63 शहरों में फाइबर–टु–द–होम (एफटीटीएच) और अन्य सभी शहरों और कस्बों में फाइबर–टु–द–कर्ब (एफटीटीसी) के प्रावधान की भी सिफारिश की। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के लिए की गई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

देश में दूरसंचार क्षेत्रों की भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने सार्थक निवेश की आवश्यकता वाली एक प्रभावी अवसंरचना की स्थापना के सृजन

की जरूरत और महत्व को स्वीकार किया। तद्नुसार प्राधिकरण ने अवसंरचना की कार्यकुशल तैनाती, टावरों का परिनियोजन, सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना का सम्मिलित उपयोग, उन्नत अंतर्भवन (इनबिल्डिंग) समाधानों और विस्तारित एंटेना प्रणालियों को बढ़ावा देने, मार्ग का अधिकार नीति, इंटरनेट विनिमय बिंदु, आईपीवी6 में स्थानांतरण, मोबाइल वास्तविक (वर्चुअल) नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) और ग्रामीण दूरसंचार के लिए एक ढांचागत व्यवस्था की सिफारिश की।

भारत, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकसित हो रहा मोबाइल बाजार है। वर्तमान में देश में लगभग 4,00,000 दूरसंचार टावर हैं, जिनमें डीजल की उल्लेखनीय खपत होती है। भारतीय दूरसंचार उद्योग का कुल कार्बन उत्सर्जन देश के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 1 प्रतिशत है। ''हरित दूरसंचार के क्षेत्र में पहल'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों में यह प्रावधान किया गया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों से 50 प्रतिशत टावर और शहरी क्षेत्रों के 20 प्रतिशत टावरों को वर्ष 2015 तक मिश्रित ऊर्जा (हाईब्रिड) पावर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सभी सेवा प्रदाताओं को आधार वर्ष (2011) के कार्बन उत्सर्जन की तुलना में, वर्ष 2015 तक इसमें न्यूनतम 8 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वर्ष 2015 तक सभी उपस्कर, उत्पाद और सेवाओं का कर्मशक्ति व निष्पादन संबंधी मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। सिफारिशों में ''दूरसंचार अपशिष्ट'' के संग्रहण और निपटान को भी शामिल किया गया।

देश में दूरसंचार क्षेत्र में हुई अपार वृद्धि के साथ–साथ दुर्भाग्यवश दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग में अनुकूल वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके परिणामस्वरूप, जहां एक ओर घरेलू उत्पादन से दूरसंचार उपस्करों की केवल लगभग 12.5 प्रतिशत मांग ही पूरी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्पाद की हिस्सेदारी कुल मांग की महज 3 प्रतिशत है। प्राधिकरण ने एक दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण नीति तैयार करने की मांग की और इसके लिए कुछ लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए, जिसमें वर्ष 2015 तक घरेलू आधार पर विनिर्मित उत्पादों के माध्यम से घरेलू मांग के लगभग 45 प्रतिशत अंश और वर्ष 2020 तक 80 प्रतिशत को पूरा करने का लक्ष्य, इसके अलावा, भारतीय उत्पादों की वर्ष 2015 तक 25 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत की सीमा तक बाजार में पहुंच स्थापित करना, वर्ष 2015 तक 35 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 65 प्रतिशत तक घरेलू आधार पर विनिर्मित उत्पादों की मूल्य अभिवृद्धि शामिल हैं। प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संगठन (टीईएमओ), परीक्षण और अभिप्रमाणन संगठन (टीसीओ), दूरसंचार अनुसंधान और विकास निधि (टीआरडीएफ) और दूरसंचार अनुसंधान और विकास पार्क, दूरसंचार विनिर्माण निधि के साथ–साथ दूरसंचार मानक संगठन (टीएसओ) की स्थापना के लिए सिफारिश की। उपर्युक्त के अलावा बहुत से वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है।

मोबाइल कनेक्शनों की अपार वृद्धि के अनुरूप उनकी नंबरिंग योजना को सक्षम बनाने की आवश्यक तैयारी करने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एकीकृत 10–डिजिट नंबरिंग योजना का प्रस्ताव दिया ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न झेलनी पड़े और आगामी 30–40 वर्ष तक पर्याप्त नंबरिंग संसाधन उपलब्ध हो सकें। इस एकीकृत नंबरिंग योजना के परिणामस्वरूप फिक्सड लाइन के साथ नंबर सुवाह्यता के विस्तार को भी सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बीच की अवधि के दौरान पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतरिम समाधानों का भी सुझाव दिया गया।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव विनियामक नीतियों के विकास पर पड़ता है। अनुसंधान विश्लेषण के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार क्षेत्रों, विशेष रूप से विभिन्न रूपों में अभिसरण (कंवरर्जेंस) में परिवर्तन के विभिन्न वाहकों को समझना चाहता है। भावी पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) के महत्व को समझते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने परामर्श की तैयारी करने और एनजीएन के लिए संभावित उपयुक्त नीति तथा विनियामक

ढांचे की स्थापना हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक मासिक प्रौद्योगिकी पत्रिका का भी प्रकाशन और परिचालन प्रारंभ किया है जो विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच प्रचार–प्रसार के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करेगी।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार से अब तक असम्बद्ध जन समुदायों को दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच बना दी हैं, इसके परिणामस्वरूप उन्हें सामाजिक–आर्थिक कार्यकलापों की मुख्यधारा से जोड़ना संभव हो सका है। उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) से संबंधित विनियम जारी किए। वर्ष के दौरान प्राधिकरण के प्रयास फलीभूत हुए और देश में 20 जनवरी 2011 से मोबाइल नंबर सुवाह्यता को लागू किया गया। यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्राधिकरण का एक प्रमुख प्रयास अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण, जिसे सामान्यतः पेस्की कॉल/एसएमएस के रूप में जाना जाता है, को नियंत्रित करने से संबंधित था। यद्यपि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसंबर 2010 में ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम 2010'' जारी किया परंतु दूरसंचार विभाग से पर्याप्त नंबरिंग संसाधनों के आबंटन के अभाव में वर्ष के दौरान इनका पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। तथापि विनियमों का कार्यान्वयन 27 सितंबर 2011 से किया गया और संपूर्ण देश में उन्हें भली–भांति स्वीकार किया गया।

यह प्रयास है कि उपभोक्ताओं के और आगे लाभ के लिए शिकायत निवारण तंत्र को निरंतर विकसित किया जाए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 02 अगस्त 2010 को ''उपभोक्ता हितों के संरक्षण के उपायों की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी उपायों की मांग करने वाले उपभोक्ताओं और उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर 2010 को ''दूरसंचार प्रशुल्क से संबंधित कुछ मुद्दों'' पर भी परामर्श पत्र जारी किया।

उपभोक्ता संरक्षण के साथ–साथ उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्ष 2010–11 में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपाय किए हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप अब दूरसंचार सेवा प्रदाता पूर्व निर्धारित तारीखों पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं और इसकी सूचना उपभोक्ता समर्थक समूहों को भी देते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, स्वयं भी उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के साथ गंभीरतापूर्वक जुड़ा हुआ है। वर्ष के दौरान, देश के 5 क्षेत्रों अर्थात उपभोक्ता समर्थक समूहों के लिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। उपभोक्ता समर्थक समूहों को भी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और गत वर्ष ऐसी 6 कार्यशालाओं की तुलना में उपभोक्ता जागरूकता के लिए इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में 72 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जनवरी 2011 से दूरसंचार क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों/किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है और सभी उपभोक्ता समर्थक समूहों को इसका परिचालन किया जाता है। उपभोक्ता समर्थक समूहों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण निधि के सदुपयोग विषयक समिति (सीयूटीसीईएफ) में उपभोक्ता समर्थक समूह का प्रतिनिधित्व 2 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है।

हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को आधारभूत वित्तीय सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इन क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के तेजी से हो रहे विस्तार से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए आधारभूत वित्तीय सेवाओं की प्रदायगी के लिए तैयार किए गए ढांचे में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को, सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने, आधारभूत वित्तीय सेवाओं की प्रदायगी के लिए मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने और मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए आधारभूत वित्तीय सेवाओं की प्रदायगी के लिए आवश्यकताओं की गुणवत्ता'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

ख. प्रसारण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत का, विश्व के सबसे बड़े टीवी बाजारों में, चीन और अमरीका के बाद तीसरा स्थान है। वर्ष 2010–11 के दौरान भारत में टीवी सुविधा संपन्न परिवारों की संख्या 136 मिलियन से बढ़कर 143 मिलियन हो गई है, जिसका परिणाम है भारतीय परिवारों में टीवी सेवाओं का प्रवेश 58 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो जाना। इस अवधि के दौरान, केबल टीवी सेवाएं, जो भुगतान सहित टीवी यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 88 मिलियन की तुलना में बढ़कर 92 मिलियन हो गई है। डायरेक्ट–टु–होम सर्विसेज (डीटीएच) के कारोबार में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है और पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 21.3 मिलियन से बढ़कर 35.56 मिलियन हो गई है। इसी अवधि के दौरान, पंजीकृत टीवी चैनलों की संख्या 524 से बढ़कर 649 हो गई है। इसमें पे–चैनल शामिल हैं और उनकी संख्या 147 से बढ़कर 155 हो गई है।

वर्ष 2009 में भारतीय टीवी उद्योग के बाजार का आकार 25,700 करोड़ रूपए था जो कि वर्ष 2010 में बढ़कर 29,700 करोड़ रूपए हो गया है, इस प्रकार इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शुल्क/अंशदान से आय, जिसकी टीवी उद्योग की सकल आय में काफी बड़ी हिस्सेदारी है, वर्ष 2009 में 16,900 करोड़ थी जो कि वर्ष 2010 में बढ़कर 19,400 करोड़ रूपए हो गई है, जबकि एआरपीयू लगभग 160 रूपए प्रतिमाह के स्तर पर करीब–करीब बराबर बना रहा है। भारत में टीवी क्षेत्र में विज्ञापन से अर्जित आय वर्ष 2009 में 8,800 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010 में 10,300 करोड़ रूपए हो गई है। वर्ष 2010 में टीवी विज्ञापनों में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टेलीविजन पर कुल विज्ञापनों में से, 53 प्रतिशत विज्ञापन क्षेत्रीय चैनलों पर दिए गए, इस प्रकार इनकी हिस्सेदारी 2009 में 47 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है।

प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र में प्राथमिक रूप से 24 पे–प्रसारणकर्ता/एग्रीगेटर शामिल हैं, लगभग 60,000 केबल प्रचालक, 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), 6 पे–डीटीएच प्रचालक के अलावा सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता– दूरदर्शन शामिल हैं। दूरदर्शन के क्षेत्रीय टीवी नेटवर्क में 1,415 क्षेत्रीय ट्रांसमीटरों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश की लगभग 92 प्रतिशत जनसंख्या को सेवाएं प्रदान की जाती है।

रेडियो क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा ब्रॉडकास्टर – ऑल इंडिया रेडियो जिसमें 149 मध्यम आवृति (एमडब्ल्यू), 54 उच्च आवृति (एसडब्ल्यू) और 177 एफएम ट्रांसमीटर सहित 237 ब्रॉडकास्टिंग केंद्रों का एक नेटवर्क निहित है, के अलावा 245 निजी एफएम रेडियो स्टेशन शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो देश के 91.85 प्रतिशत भौगोलीय क्षेत्र तथा 99.18 प्रतिशत जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश में एफएम रेडियो का प्रसारण, देश के लगभग 37 प्रतिशत भौगोलीय क्षेत्र में किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए 30 नए लाइसेंस जारी किए गए, इस प्रकार लाइसेंसधारकों की संख्या 100 से बढ़कर 130 हो गई। इसी अवधि के दौरान 53 लाइसेंसधारकों ने अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का प्रचालन प्रारंभ

किया, इस प्रकार इनकी संख्या 55 से बढ़कर 108 हो गई है।

वर्ष 2010 के दौरान एफएम रेडियो बाजार में, 24 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और यह 1000 करोड़ रूपए का उद्योग बन गया है। इस उद्योग में, वर्ष के दौरान लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। स्थापित कंपनियों के लिए लाभ में 5 से 15 प्रतिशत का सुधार और छोटी कंपनियों के लिए 25 से 30 प्रतिशत का सुधार देखने को मिला है। स्थानीय विज्ञापन लगातार इस उद्योग की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, यह विज्ञापन से प्राप्त होने वाली कुल आय का लगभग 40 प्रतिशत है।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयास दूरसंचार क्षेत्र की प्रशुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम के कार्यान्वयन से संबंधित थे। विस्तृत प्रशुल्क कार्रवाई में एनालॉग केबल टीवी सेवाएं, डिजिटल केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, आईपी टीवी सेवाएं और एचआईटीएस शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं में से प्रत्येक सेवा के लिए अलग–अलग परामर्श पत्र जारी किए गए। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2 प्रशुल्क आदेशों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें एड्रेसेबल और नॉन–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए थोक और फुटकर दोनों प्रशुल्क शामिल किए गए। नॉन–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए मसौदा प्रशुल्क आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में 21 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किया गया। अन्य प्रशुल्क आदेश 21 जुलाई 2010 को अधिसूचित किए गए, जो सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्म जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करते है। इस प्रशुल्क आदेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह उपभोक्ताओं के लिए किराए के बिल के आधार (ए–ला–कार्टे) पर चैनलों के अनिवार्य प्रावधान से संबंधित है।

एनालॉग केबल टीवी सेवाओं को क्षमता संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे स्वरूप/गठन से नॉन–एड्रेसेबल हैं। केबल टीवी सेवाओं के डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप क्षमता संबंधी बाधा दूर हो जाएगी और सूचना सामग्री तथा सेवाओं दोनों जैसे ब्रॉडबैंड के संदर्भ में उपभोक्ता के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। एड्रेसेबिलिटी के परिणामस्वरूप, कारोबार के लेनदेन में पारदर्शिता लाने के साथ–साथ, उपभोक्ता अपनी रुचि के मुताबिक चैनल देख सकने में सक्षम होंगे। केबल टीवी क्षेत्र को एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित करने के लिए, प्राधिकरण ने 05 अगस्त 2010 को सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि संपूर्ण केबल टीवी में एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन का चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वयन दिसंबर 2013 तक सुनिश्चित किया जाए। इन सिफारिशों में केबल बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) की अनुमति, कर छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन, हैडइंड उपस्कर और सेटटॉप बॉक्स (एसटीबी) पर सीमा शुल्क में कमी और करों/उद्ग्रहणों के युक्तिकरण/वैज्ञानिक पुनर्गठन जैसे उपाय भी शामिल थे। इस परिवर्तन के लिए संसाधनों के दोहन हेतु केबल टीवी ऑपरेटरों की सुविधा के उद्देश्य से प्राधिकरण ने 30 जून 2010 को भी सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के एमएसओ के लिए एफडीआई सीमाओं का बढ़ाया जाना, एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन प्रारंभ करना शामिल हैं।

डिजिटाइजेशन से संबंधित सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और सरकार ने केबल अधिनियम 1995 में आवश्यक संशोधन कर दिए हैं तथा दिसंबर 2014 तक एड्रेसेबल डिजिटाइजेशन पूरा करने को अधिसूचित किया है।

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा टीवी चैनलों के लिए अनुमतियों की स्वीकृति हेतु मानदंडों की भी समीक्षा की गई तथा अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों में संशोधन के लिए सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की गई, जिनमें आवेदक कंपनियों के लिए निवल मूल्य हैसियत और पात्रता संबंधी अन्य मानदंड, अनुमति फीस में संशोधन, अनुमति अवधि का अंतराल और अनुमति का हस्तांतरण आदि शामिल है। यह भी सिफारिश की गई कि भारत का विकास एक टेलीपोर्ट हब के रूप में किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का, विश्व में एक सफल नियामक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में तेजी से काम किया गया। राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी–एनाटेल, ब्राजील के दूरसंचार नियामक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में संस्थागत और तकनीकी सहयोग को औपचारिक बनाने के लिए किया गया। पूर्व में किए गए, समझौता ज्ञापनों में राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एनटीआरए) मिश्र, हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट कमीशन (ईईटीटी) यूनान, आंतरिक कार्य और संचार मंत्रालय (एमआईसी), जापान और नवोद्भव और उद्यमशीलता के क्षेत्रों में स्टेनफोर्ड प्रोग्राम (एसपीआरआईई), स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया पहले से ही जारी हैं। इनके साथ विभिन्न अवसरों पर आपसी हितों के बहुत से मुद्दों पर पारस्परिक संवाद, चर्चा–परिचर्चा और बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण ने संघीय संचार आयोग(एफसीसी), संयुक्त राज्य अमरीका, अमरीकी राज्य विभाग और एमआईसी जापान के साथ भी बैठकें आयोजित की।

प्राधिकरण के साथ बैठकें आयोजित करने, विचार–विमर्श करने, सूचना के आदान–प्रदान और अध्ययन दौरों के लिए आने वाले प्रतिनिधि मंडलों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्राधिकरण में आने वाले प्रतिनिधि मंडलों में एमआईसी जापान, यूएस–भारतीय व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी), संचार और सूचना मंत्रालय इंडोनेशिया, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरए), यूएई, एमटीएन दक्षिण अफ्रीका, जांबिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (जेडआईसीटीए), इथोपियन दूरसंचार एजेंसी (ईटीए), इथोपिया, तंजानिया संचार विनियामक प्राधिकरण (टीसीआरए), तंजानिया प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) और एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंचों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में विशेषज्ञ और वक्ताओं के रूप में आंमत्रित और प्रतिनियुक्त किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों, को दूरसंचार के क्षेत्र में, विनियम और नीतियां तैयार करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, अन्य देशों में विशेषज्ञों के रूप में भी नामित किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे आईटीयू के नियामकों के लिए वैश्विक सिंपोजियम (जीएसआर), आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (डब्ल्यूटीडीसी), मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) आदि की बैठकों में सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया है।

लेखा परीक्षण व गुणवत्ता प्रबंधन

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण के लेखे का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा किया जाएगा। तद्नुसार, प्राधिकरण के वर्ष 2010–11 के लेखे का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा लेखा परीक्षण करके, इन्हें प्रमाणित किया गया। वर्ष 2009–10 की भांति, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लेखे पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नवम्बर, 2010 में, आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला अर्थात् आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन, भादूविप्रा को प्रदान किया गया, जो कि नवम्बर, 2013 तक मान्य है।

भाग-I

नीतियां तथा कार्यक्रम

दूरसंचार क्षेत्र

1. पिछले वर्ष की विकास दर इस वर्ष भी जारी रही। इस वर्ष भी दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता आधार में असाधारण वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष की समाप्ति पर 846.32 मिलियन उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया, जिसमें मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 800 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई। दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को नीचे रेखांकित किया गया है।

वायरलैस

2. वायरलैस उपभोक्ता आधार जो 31 मार्च, 2010 को 584.32 मिलियन था, 31 मार्च, 2011 को 811.59 मिलियन उपभोक्ता हो गया। वित्त वर्ष 2010–11 में इसमें 227.27 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई अर्थात् लगभग 38.89 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वायरलैस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार मार्च, 2006 के 98.77 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2011 में 811.59 मिलियन हो गया, जैसा कि **चित्र 1** में दर्शाया गया है :–

चित्र 1 : वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

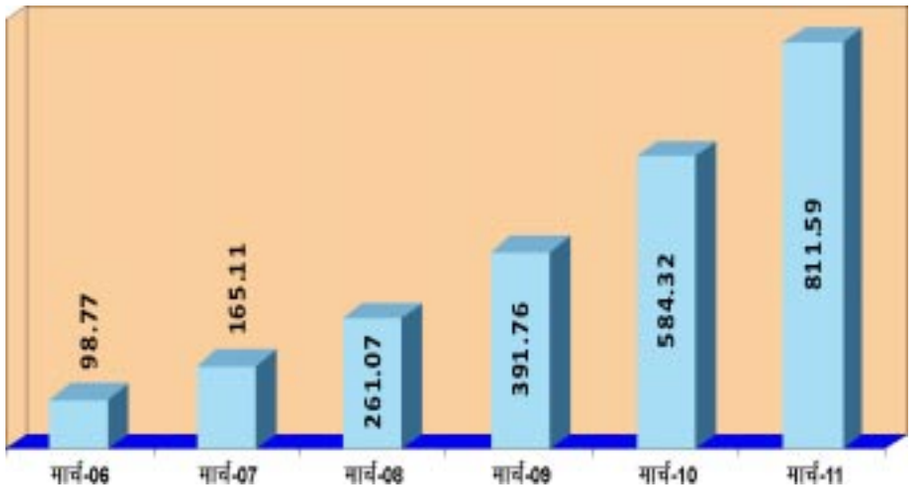

वायरलाइन

3. वायरलाइन उपभोक्ताओं का उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2010 के 39.96 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 34.73 मिलियन उपभोक्ता था अर्थात् उसमें वर्ष

2010–11 के दौरान 2.23 मिलियन उपभोक्ताओं की कमी दर्ज की गई। 34.73 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 26.04 मिलियन शहरी वायरलाइन उपभोक्ता और 8.69 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता हैं। गत छह वर्षों के दौरान वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति को **चित्र 2** में दर्शाया गया है।

चित्र 2 : वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

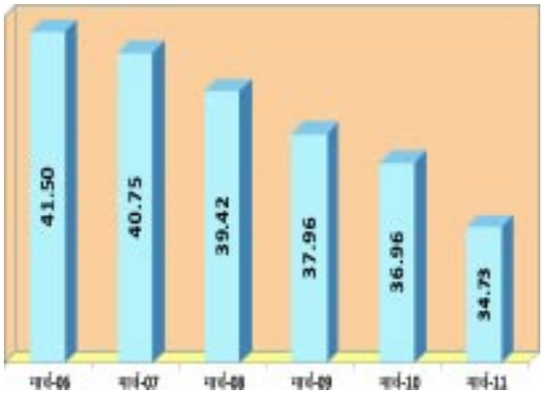

टेलीघनत्व

4. मार्च, 2011 के अंत में टेलीघनत्व पिछले वर्ष के लगभग 52.74 प्रतिशत की तुलना में 70.89 प्रतिशत हो गया अर्थात् उसमें लगभग 18.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च, 2006 से टेलीघनत्व में विकास को **चित्र 3** में दर्शाया गया है :–

चित्र 3 : टेलीघनत्व में वृद्धि

इंटरनेट उपभोक्ता

5. देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार 31 मार्च 2010 के 16.18 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 19.67 मिलियन था, अर्थात् उसमें लगभग 21.56 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च, 2011 को 11.89 मिलियन तक पहुंच गई जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 8.77 मिलियन थी। इस प्रकार वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान इसमें 3.12 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई और यह वृद्धि दर 35.57 प्रतिशत रही।

6. नैरोबैंड (<256 केबीपीएस) एवं ब्रॉडबैंड (>256 केबीपीएस) वाले इंटरनेट उपभोक्ता आधार का विगत छह वर्षों का विवरण **चित्र 4** में दर्शाया गया है :–

दूरसंचार प्रशुल्क में प्रवृत्तियां

7. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपयुक्त नियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने में सफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप सतत् विकास के साथ वहनीय प्रशुल्क प्राप्त किया गया है। यही नीति प्रचालकों को वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने, क्षेत्र में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने में सफल रही है। इसके परिणाम उपभोक्ता आधार में अत्यधिक वृद्धि तथा प्रशुल्कों में गिरावट के परिणाम से स्पष्ट है कि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार प्रशुल्क नियमित करने के प्रति नरम रूख अपनाया गया है।

8. हाल के वर्ष, भारत में विशेष रूप से मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी खंड में दूरसंचार प्रशुल्क में हुई तेज गिरावट का साक्षी रहे हैं। प्रशुल्क में गिरावट की शुरूआत वर्ष 1999 में प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार

चित्र 4 : इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)

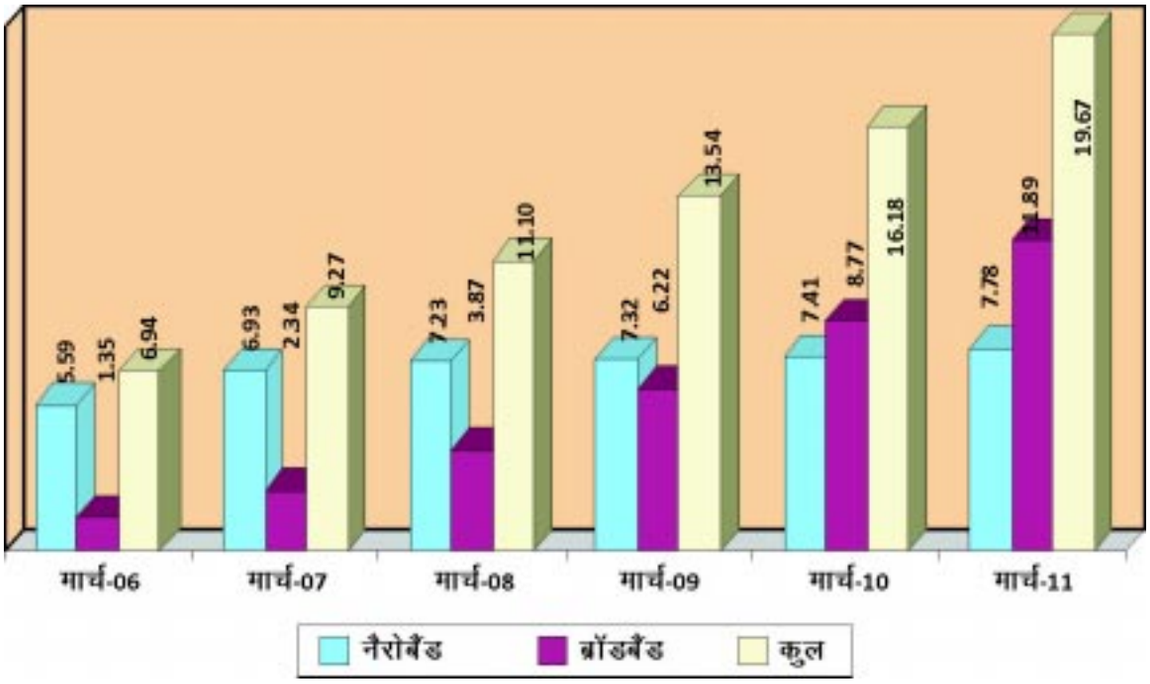

प्रशुल्क आदेश की अधिसूचना के साथ हुई तथा उसके पश्चात् भी जारी रही। उदाहरणार्थ, मोबाइल से एक स्थानीय कॉल लगभग 15/–रु0 प्रति मिनट की दर पर प्रभारित की जाती थी जो अब 60 पैसे प्रति मिनट के स्तर तक नीचे आ गई है । आवक कॉलों के लिए कोई प्रभार नहीं है। इसी तरह, अंतर्राज्यीय कॉल, जो पूर्व–टीटीओ 1999 की अवधि में 37/–रु0 से अधिक मूल्य की होती थी, आज लगभग एक स्थानीय कॉल के समान मूल्य पर की जा सकती है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल के मामले में भारत से अमरीकी महाद्वीप में की गई कॉल का प्रशुल्क भी 75/–रु0 से नीचे गिरकर 7/–रु0 प्रति मिनट से भी कम हो गया है।

9. उपभोक्ताओं के लिए उनके उपयोग और आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हैं। सामान्यतः लाइफ टाइम प्लान के रूप में उल्लिखित प्रशुल्क के सेट की उपलब्धता एक अनोखा विकल्प है जो उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता की संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान दरों में कोई प्रतिकूल बदलाव किए बिना एक समान प्रशुल्क का आनंद उठाने में समर्थ बनाता है।

10. हाल ही के दिनों में, जीएसएम मोबाइल सेगमेंट में नई–नई कंपनियों के आने के कारण उत्पन्न भारी प्रतिस्पर्धा के प्रारंभिक चरण के बाद, यह वर्ष प्रशुल्क रूझानों में मजबूती का गवाह रहा है। मोबाइल नंबर सुवाह्यता के लागू होने से सेवा प्रदाता दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को अपनी कंपनी की ओर आकर्षित करने के साथ–साथ अपने उपभोक्ताओं को अपना बनाए रखने के लिए नए प्रशुल्क प्लान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। सेवा प्रदाताओं द्वारा 2009–10 में शुरू की गई प्रति–सैकेंड प्रशुल्क की योजना इस साल के प्रशुल्क प्रस्तावों की एक नियमित विशेषता बन गई है। लगभग सभी सेवा प्रदाताओं ने पोस्ट–पेड और प्रीपेड, दोनों सेगमेंट में कम से कम प्रति सैकेंड प्रशुल्क प्लान की पेशकश

की है। कुछ सेवा प्रदाताओं ने लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्रति सैकेंड प्लानों की भी पेशकश है। इस प्रकार उपभोक्ता, सभी सेवा क्षेत्रों और सेवा प्रदाताओं के सभी सेवा सेगमेंट में विभिन्न रियायती प्रस्तावों के रूप में कम प्रशुल्क का आनंद उठाते रहेंगे।

11. लंबी दूरी की सेवाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए प्रशुल्क में कटौती के प्रतिशत को क्रमशः **चित्र 5** व **चित्र 6** द्वारा देखा जा सकता है :–

भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक

12. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतकों" पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं तथा सेवा गुणवत्ता मापदण्डों के लिए मुख्य मापदण्ड एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

चित्र 5 : राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा – 01.05.1999 से 31.03.2011 से पहले की अवधि के दौरान प्रशुल्कों* में गिरावट का प्रतिशत

चित्र 6 : अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा – 01.05.1999 से 31.03.2011 से पहले की अवधि के दौरान प्रशुल्कों* में गिरावट का प्रतिशत

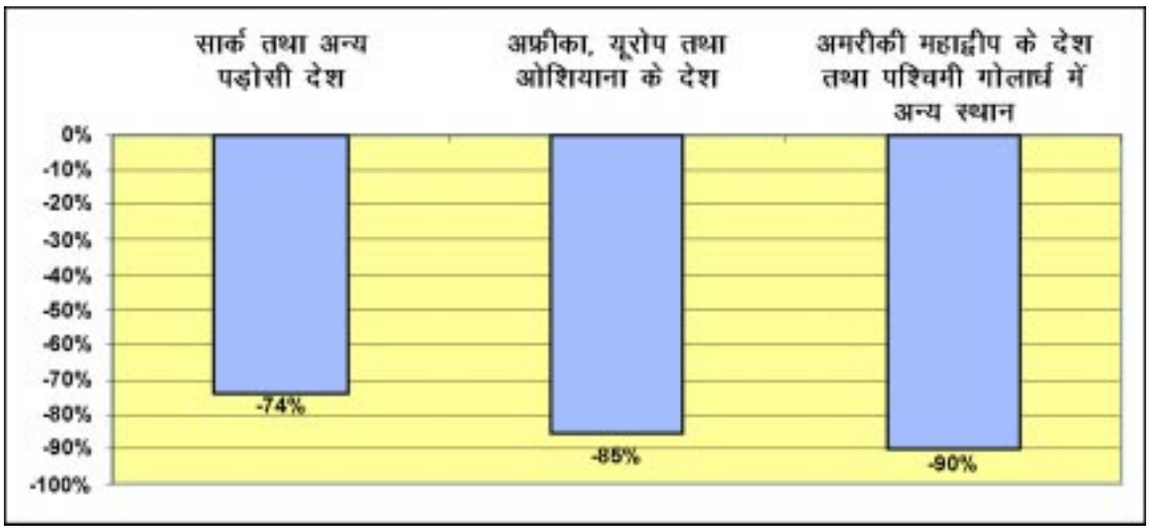

* टिप्पणी: उपर्युक्त दर्शाई गई प्रशुल्क दरों में गिरावट के प्रतिशत को भारत संचार निगम लिमिटेड की सामान्य योजना में राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा की दरों को ध्यान में रख कर दिया गया है।

यह रिपोर्ट भिन्न स्टेकहोल्डरों, अनुसंधान एजेंसियों तथा विश्लेषकों के लिए एक संदर्भ दस्तोवज के रूप में कार्य करने के लिए दूरसंचार सेवाओं पर व्यापक संदर्श प्रस्तुत करती है। वर्ष 2010–11 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने चार तिमाही रिपोर्टें जारी की। चार तिमाहियों के लिए मुख्य मापदण्डों को शामिल करने वाले सारांश निम्नानुसार **(तालिका–1)** हैं:–

तालिका 1 : निष्पादन संकेतक

	जून 2010 को समाप्त तिमाही	सित. 2010 को समाप्त तिमाही	दिस. 2010 को समाप्त तिमाही	मार्च 2011 को समाप्त तिमाही
दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलैस + वायरलाइन) मिलियन में				
कुल टेलीफोन उपभोक्ता	671.69	723.28	787.28	846.32
शहरी उपभोक्ता	452.59	487.07	527.50	564.08
ग्रामीण उपभोक्ता	219.09	236.21	259.78	282.23
वायरलैस उपभोक्ता	635.51	687.71	752.19	811.59
वायरलाइन उपभोक्ता	36.18	35.57	35.09	34.73
टेलीघनत्व				
कुल टेलीघनत्व	56.65	60.99	66.16	70.89
शहरी टेलीघनत्व	128.20	137.25	147.88	157.32
ग्रामीण टेलीघनत्व	26.43	28.42	31.18	33.79
इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)				
कुल इंटरनेट उपभोक्ता	16.72	17.90	18.69	19.67
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	9.47	10.31	10.99	11.89
दूरसंचार वित्तीय आंकड़े (करोड़ रू0)				
तिमाही के दौरान सकल राजस्व	41,392.75	41,895.95	42,916.81	45,513.05
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	30,481.93	29,736.20	29,925.37	31,470.63
प्रसारण और केबल सेवाएं				
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	515	526	604	652
पे–चैनलों की संख्या	150	154	155	155
प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	23.77	26.44	32.05	35.56
सीएएस क्षेत्रों में सेटटॉप बॉक्सों की संख्या	7,70,519	7,75,876	7,86,422	8,04,837
प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	248	248	245	245

दूरसंचार क्षेत्र वित्तीय निष्पादन/प्रदर्शन#

राजस्व

13. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का राजस्व 2009–10 के 157,985 करोड़ रु. से बढ़कर 2010–11 में 171,719 करोड़ रु. हो गया है, जो इसमें 8.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। अंतःप्रचालक अंतःसंयोजन प्रभारों के समायोजन के उपरांत राजस्व की तद्नुरूपी राशि 2009–10 में 150,660 करोड़ रु. से बढ़कर 2010–11 में 166,752 करोड़ रु. हो गई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.68% की वृद्धि की द्योतक है।

14. 2010–11 में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों का आय में अंशदान 20.37% (पिछले वर्ष यह 24.82% था) था और निजी क्षेत्र की कंपनियों का आय में योगदान 79.63% था (पिछले वर्ष यह 75.18% था) था। नीचे दी गई **तालिका–2**, 2009–10 और 2010–11 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के आय में अंशदान को दर्शा रही है। वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की आय आमदनी को **चित्र–7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान सार्वजनिक एवं और निजी क्षेत्र में आय का वितरण

दूरसंचार सेवा क्षेत्र की आय (करोड़ में रू0)		
विवरण	**2009-10**	**2010-11**
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की आय	37390	33976
निजी क्षेत्र की कम्पनियों की आय	113270	132776
कुल आय	**150660**	**166752**

ईबीआईटीडीए

15. ईबीआईटीडीए ब्याज, कर एवं मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व आय को दर्शाता है। 2010–11 के लिए टेलिकॉम क्षेत्र हेतु ईबीआईटीडीए 23266 करोड़ रु. था जबकि पिछले वर्ष यह 29347 करोड़ रु. था, इस प्रकार इसमें 20.72% की कमी आई है।

16. 2010–11 में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 52.39% की कमी आई जबकि निजी क्षेत्र के दूरसंचार

चित्र 7 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की आय

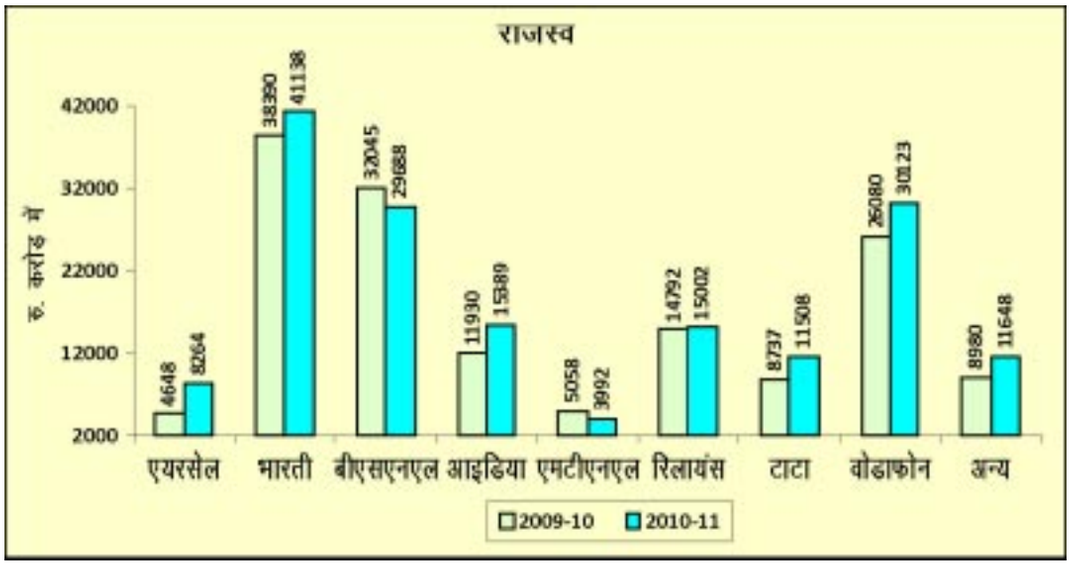

#भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर ।

सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 12.81% की कमी आई। 2009–10 और 2010–11 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के ईबीआईटीडीए को **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3 : 2009–10 और 2010–11 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ईबीआईटीडीए

ईबीआईटीडीए	(करोड़ में रू0)	
	2009-10	2010-11
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का ईबीआईटीडीए	5868	2794
निजी क्षेत्र की कम्पनियों का ईबीआईटीडीए	23479	20472
कुल ईबीआईटीडीए	**29347**	**23266**

17. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन 2009–10 के 19.48% से कम होकर 2010–11 में 13.95% हो गया है। 2009–10 और 2010–11 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ईबीआईटीडीए मार्जिन को **चित्र– 8** में दर्शाया गया है।

परिचालन अनुपात

18. परिचालन अनुपात, परिचालन व्यय को कुल राजस्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। वर्ष 2010–11 के लिए दूरसंचार सेवा उद्योग के लिए परिचालन अनुपात 86.05% था। 2009–10 और 2010–11 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के परिचालन अनुपात को **चित्र 9** में दर्शाया गया है।

चित्र 8 : 2009–10 और 2010–11 का ईबीआईटीडीए मार्जिन

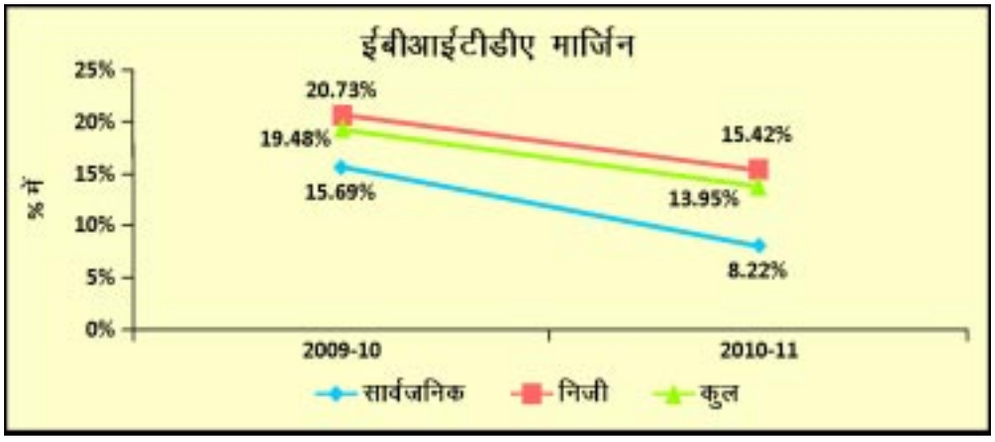

चित्र 9 : 2009–10 और 2010–11 के लिए परिचालन अनुपात

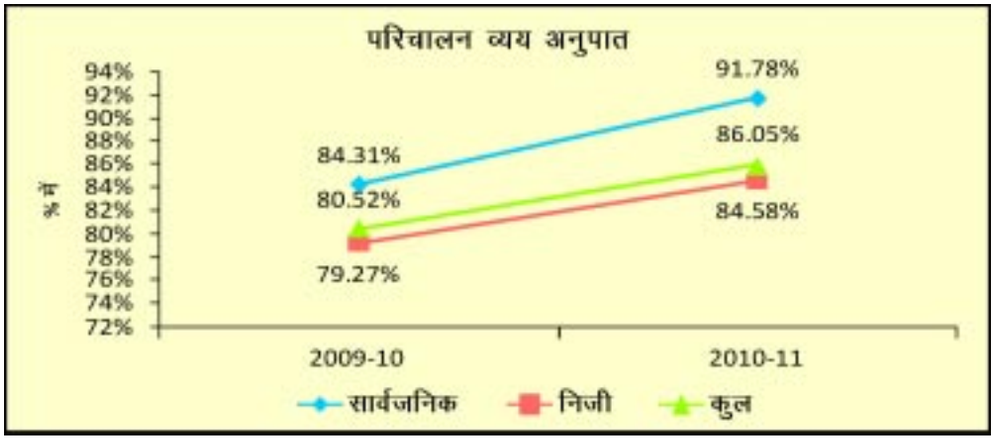

प्रयुक्त पूंजी

19. प्रयुक्त पूंजी, व्यवसाय को चलाने के काम में लाई जा रही धनराशि को निरूपित करती है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी 2009–10 के 286,837 करोड़ रु. से बढ़कर 2010–11 में 337,683 करोड़ रु. हो गई है जो इसमें 17.73% वृद्धि को दर्शा रहा है।

20. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में प्रयुक्त पूंजी में 2010–11 में 7.35% की कमी आई जबकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों में प्रयुक्त पूंजी में 30.36% की वृद्धि हुई। 2009–10 और 2010–11 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कम्पनियों में प्रयुक्त पूंजी को **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

तालिका–4: 2009–10 और 2010–11 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी

प्रयुक्त पूंजी	(करोड़ में रू0)	
	2009-10	**2010-11**
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की प्रयुक्त पूंजी	96103	89040
निजी क्षेत्र की कम्पनियों की प्रयुक्त पूंजी	190734	248643
कुल प्रयुक्त पूंजी	**286837**	**337683**

पूंजी–निवेश (सकल खंड)

21. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का पूंजी–निवेश (सकल खंड) 2009–10 के 416429 करोड़ रु. से बढ़कर 2010–11 में 479278 करोड़ रु. हो गया है, इस प्रकार इसमें 15.09% की वृद्धि हुई। 2009–10 और 2010–11 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सकल खंड को नीचे दी गई **तालिका–5** में दर्शाया गया है। 2009–10 और 2010–11 के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सकल खंड को **चित्र–10** में दर्शाया गया है।

तालिका–5: वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश (सकल खंड–स्थायी संपति)

(करोड़ में रू0)

विवरण	2009-10	2010-11
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का सकल खंड	189615	197332
निजी क्षेत्र की कम्पनियों का सकल खंड	226814	281946
कुल सकल खंड	**416429**	**479278**

चित्र 10 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सकल खंड (स्थायी संपति)

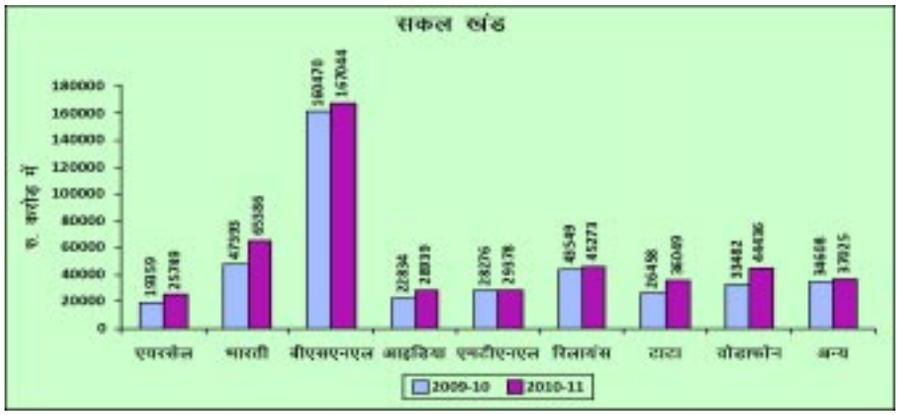

प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात

22. प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात, प्रयुक्त पूंजी को दूरसंचार क्षेत्र की आय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। 2009–10 और 2010–11 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात को **चित्र–11** में दर्शाया गया है।

चित्र 11 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात

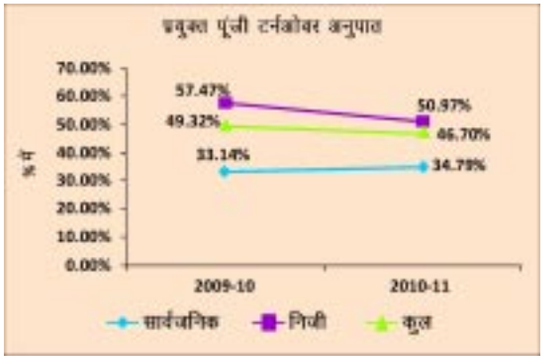

स्थायी परिसंपत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात

23. परिसंपत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात, निवल स्थायी परिसंपत्तियों को दूरसंचार क्षेत्र की आय से विभाजित करने से प्राप्त होता है। 2009–10 और 2010–11 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के स्थायी संपत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात को **चित्र–12** में दर्शाया गया है।

चित्र 12 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान परिसंपत्ति (निवल) टर्नओवर अनुपात

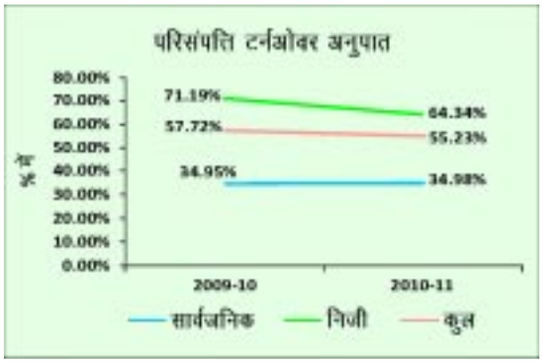

ऋण इक्विटी अनुपात

24. 2009–10 और 2010–11 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऋण इक्विटी अनुपात को नीचे **चित्र–13** में दर्शाया गया है। ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण को इक्विटी से भाग देकर निकाला जाता है, जहां ऋण का अर्थ कुल ऋण होता है और इक्विटी में शेयरधारकों की पूंजी जमा आरक्षित निधियां और अधिशेष शामिल होते हैं।

चित्र 13 : वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान ऋण इक्विटी अनुपात

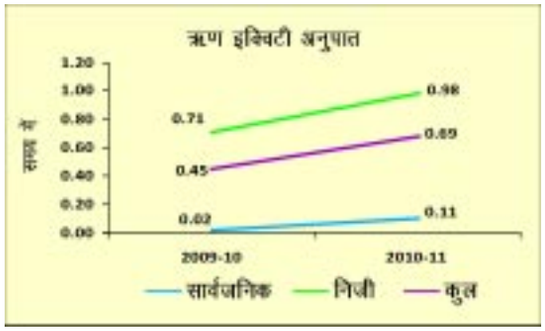

25. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999, दूरसंचार क्षेत्र की मुख्य मार्गदर्शक नीति है। इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

(i) देश के सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार नीति का केन्द्र बिन्दु और लक्ष्य नागरिकों को वहनीय तथा प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी दूरसंचार विहीन क्षेत्रों को सार्वभौमिक रूप से इस सेवा की व्यवस्था करने और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च स्तरीय सेवाओं की व्यवस्था करने के बीच अपेक्षित संतुलन का प्रयास करना।

(iii) देश के दूरस्थ, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास करना।

(iv) भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'महाशक्ति' बन सके इसके लिए आधुनिक और सक्षम दूरसंचार आधारिक संरचना बनाई जाए, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों,

दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के पारस्परिक सामंजस्य एवं समन्वयन को ध्यान में रखा जाए।

(v) पीसीओ को जहां भी समीचीन हो, मल्टी–मीडिया क्षमताओं वाले सार्वजनिक टेली–इन्फो केंद्रों में रूपांतरित करना, जिनमें आईएसडीएन सेवा, दूरस्थ डाटाबेस एक्सेस हो और जो सामुदायिक सूचना प्रणाली में सहायक हो।

(vi) दूरसंचार क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा वाले परिवेश में परिवर्तित करना, जहां सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर और एक जैसी कार्य – सुविधाएं उपलब्ध हों।

(vii) देश में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना और विश्वस्तरीय निर्माण–क्षमता मुहैया करना।

(viii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता तथा पारदर्शिता प्राप्त करना।

(ix) देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के हितों का बचाव करना।

(x) भारत की दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में विश्वस्तरीय बनाना।

26. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) – 1999 में निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं:–

(i) यह प्रयास करना कि वर्ष 2002 तक टेलीफोन मांग पर उपलब्ध हो जाएं तथा उसके बाद इस स्थिति को बनाए रखना ताकि इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार का घनत्व वर्ष 2005 तक 7 तक और वर्ष 2010 तक 15 तक पहुंच जाए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना जिसके लिए उसके प्रशुल्क ढांचे को उपयुक्त तरीके से संशोधित करना ताकि आम जनता उसका वहन कर सके और सभी फिक्सड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार को अनिवार्य बनाना।

(iii) वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व वर्तमान 0.4 से बढ़ाकर 4 करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम (ट्रांसमिशन) उपलब्ध कराना।

(iv) वर्ष 2002 तक देश के सभी गांवों तक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराना और सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचार माध्यमों की व्यवस्था करना।

(v) वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना।

(vi) जिन नगरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है उनमें वर्ष 2002 तक आईएसडीएन सहित अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके तीव्र गति डाटा तंत्र तथा मल्टी–मीडिया क्षमता की व्यवस्था करना।

27. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति,1999 के मुख्य प्रस्तावों पर स्थिति निम्न प्रकार है।

ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

(i) वायरलैस

28. 31 मार्च 2011 को वायरलैस ग्रामीण (मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एफ)) बाजार 31 मार्च 2010 को **190.88** मिलियन की तुलना में **273.54** मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया। सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल उपभोक्ताओं में से 33.70 प्रतिशत आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण उपभोक्ता आधार धीरे–धीरे बढ़ रहा है। मार्च 2007 से ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार को **चित्र 14** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार और उनके बाजार हिस्से को **तालिका 6 और चित्र 15** में दर्शाया गया है।

चित्र 14 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

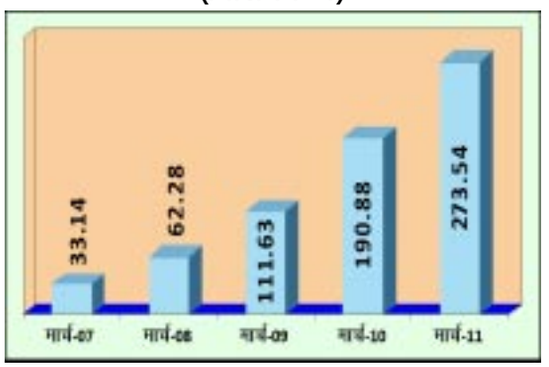

तालिका 6 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सा

क्रम सं.	वायलैस समूह	कुल वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण बाजार हिस्सा	
		मार्च, 11	मार्च, 10	मार्च, 11	मार्च, 10	मार्च, 11	मार्च, 10
1	भारती	162.20	127.62	65.73	48.09	24.03	25.20
2	रिलायंस	135.72	102.42	29.47	21.25	10.77	11.13
3	वोडाफोन	134.57	100.86	51.62	36.79	18.87	19.28
4	बीएसएनएल	91.83	69.45	32.77	25.26	11.98	13.23
5	आइडिया/स्पाइस	89.50	63.82	46.05	29.82	16.83	15.62
6	टाटा	89.14	65.94	18.46	13.45	6.75	7.05
7	एयरसैल	54.84	36.86	19.43	14.00	7.10	7.34
8	यूनीटेक	22.79	4.26	6.86	1.40	2.51	0.73
9	सिस्टेमा	10.06	3.78	2.35	0.54	0.86	0.28
10	वीडियोकॉन	7.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11	एमटीएनएल	5.47	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
12	लूप	3.09	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13	एस टेल	2.82	1.01	0.80	0.27	0.29	0.14
14	एचएफसीएल	1.47	0.33	0.001	0.001	0.00	0.00
15	ईटीसलत	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**811.59**	**584.32**	**273.54**	**190.88**	**100.00**	**100.00**

चित्र 15 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता का बाजार हिस्सा

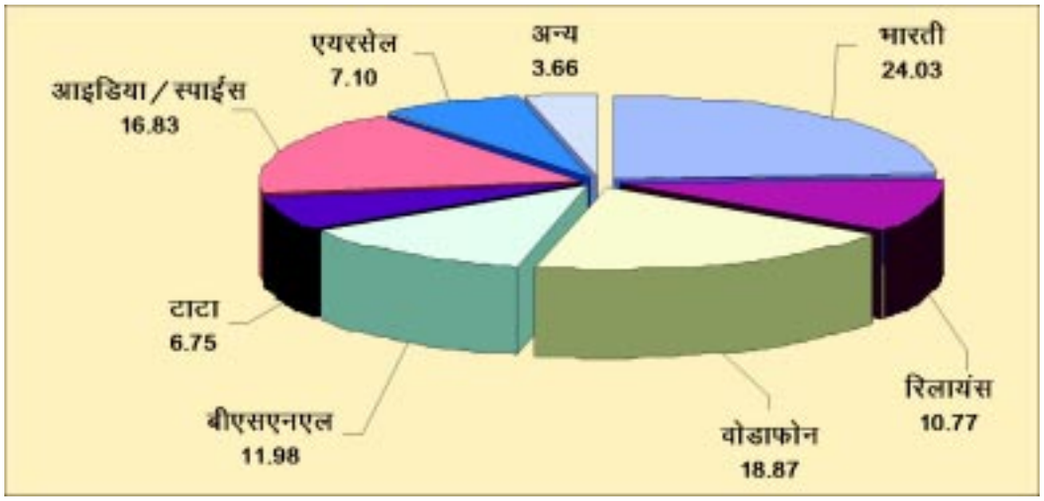

टिप्पणीः अन्य में यूनीटेक, सिस्टेमा, एसटेल और एचएफसीएल शामिल हैं।

(ii) वायरलाइन

29. ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार में गिरावट हो रही है **(चित्र 16)**। 31 मार्च, 2011 को, ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार 8.69 मिलियन था जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 2010 के समापन पर यह 9.80 मिलियन था। सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं का 25.03 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ता आधार तथा उनका बाजार हिस्सा **तालिका 7** और **चित्र 17** में दर्शाया गया है।

टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

(i) वायरलैस सेवाएं

30. 31 मार्च, 2010 को 584.32 मिलियन के उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च 2011 को वायरलैस उपभोक्ता आधार 811.59 मिलियन था। इसमें वित्त वर्ष 2010–11 में 227.27 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई तथा लगभग 38.89 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वायरलैस सेवाओं के कुल उपभोक्ता आधार में मार्च, 2006 में 90.14 मिलियन से मार्च, 2011 में 811.59 मिलियन हो गया है। कुल

तालिका 7 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता का बाजार हिस्सा

क्रम सं.	वायरलाइन समूह	कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)	
		मार्च,10	मार्च,11	मार्च,10	मार्च, 11	मार्च,10	मार्च, 11
1	बीएसएनएल	27.83	25.22	9.76	8.64	99.61	99.44
2	एमटीएनएल	3.50	3.46	0.00	-	0	-
3	भारती	3.07	3.30	0.00	-	0	-
4	एचएफसीएल	0.17	0.19	0.00	-	0	-
5	सिस्टेमा	0.05	0.04	0.007	0.005	0.07	0.06
6	टाटा	1.16	1.28	0.03	0.04	0.31	0.48
7	रिलायंस	1.18	1.23	0.001	0.002	0.01	0.02
	कुल	**36.96**	**34.73**	**9.80**	**8.69**	**100.00**	**100.00**

चित्र 16 : वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)

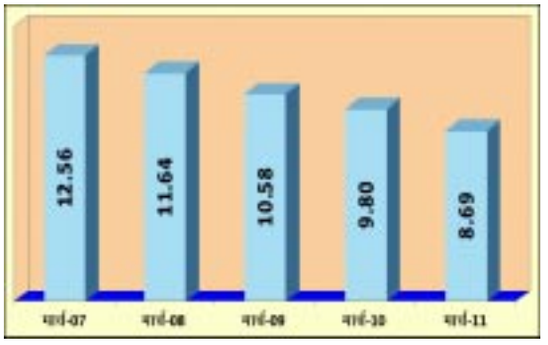

चित्र 17 : ग्रामीण वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

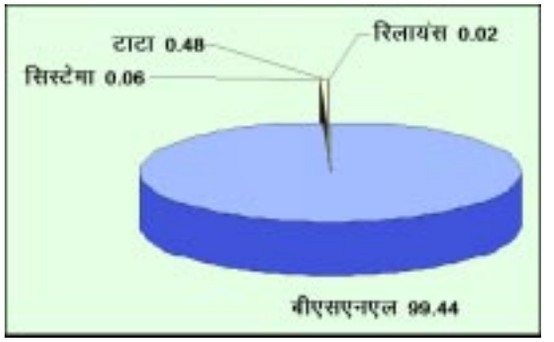

811.59 मिलियन उपभोक्ताओं में से वित्तीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति पर 698.37 मिलियन (86.05 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता तथा 113.22 मिलियन (13.95 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च 2006 से मार्च 2011 तक जीएसएम और सीडीएमए, दोनों नेटवर्कों की वायरलैस सेवाओं की उपभोक्ता वृद्धि को **चित्र 18** में दर्शाया गया है।

31. मार्च, 2006 से मार्च, 2011 तक वैयक्तिक वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए दोनों) का उपभोक्ता आधार, वित्तीय वर्ष 2010–11 में उनकी प्रतिशत वृद्धि सहित, रिपोर्ट के अंत में **अनुबंध–I** में दिया गया है। 31 मार्च 2011 को विभिन्न मोबाइल प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 19** में दर्शाया गया है। विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची, रिपोर्ट के अंत में **अनुबंध–II** में दी गई है।

32. वायरलैस खंड(सेगमेंट) में जीएसएम सेवाओं का उपभोक्ता आधार मार्च, 2010 की समाप्ति पर 478.68 मिलियन की तुलना में मार्च, 2011 की समाप्ति पर 698.37 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया। इसमें वर्ष के दौरान लगभग 219. 69 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई तथा 45.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 19 : वायरलैस सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (31 मार्च 2011 को)

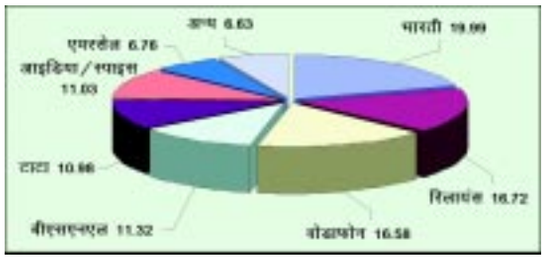

33. जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 162.20 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात् क्रमशः 134.57 मिलियन, 89.50 मिलियन तथा 91.83 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स बीएसएनएल का स्थान है। 31 मार्च, 2011 को विभिन्न

चित्र 18 : 31 मार्च 2011 को वायरलैस प्रचालकों का उपभोक्ता आधार (मिलियन में)

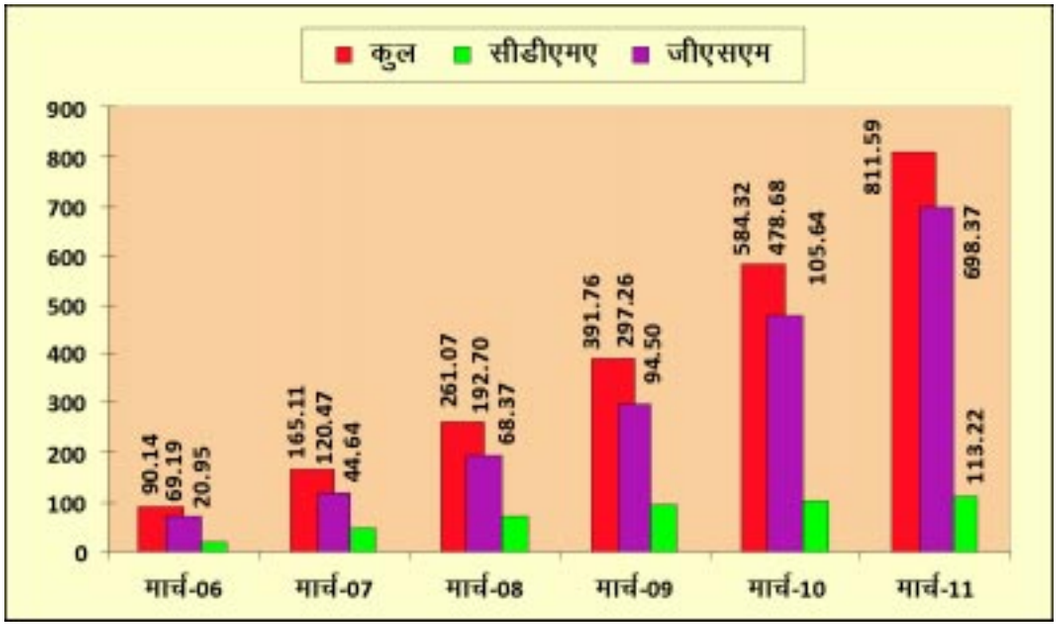

जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 20** में दर्शाया गया है।

चित्र 20 : 31 मार्च, 2011 को जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

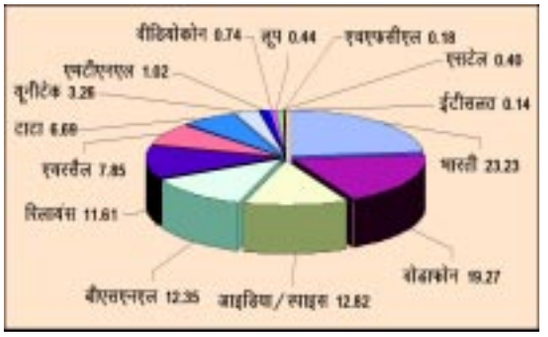

34. सीडीएमए सेल्युलर सेवाओं में उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 54.65 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स रिलायंस सबसे बड़ा सीडीएमए प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात् क्रमशः 42.42 मिलियन तथा 10.06 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा का स्थान है।

31 मार्च, 2011 को विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 21** में दिया गया है।

चित्र 21 : 31 मार्च, 2011 को सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

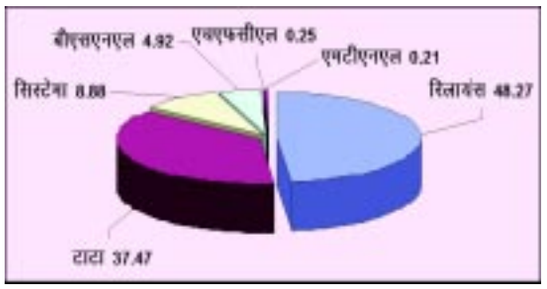

35. मार्च, 2006 से मार्च, 2011 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में वायरलैस सेवाओं के उपभोक्ता आधार को ग्राफ के रूप में **चित्र 22** में दर्शाया गया है।

36. वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वायरलैस उपभोक्ताओं में

चित्र 22 : मार्च, 2006 से मार्च, 2011 तक महानगरों और शहरों में वायरलैस सेवाओं का उपभोक्ता आधार (आंकड़े मिलियन में)

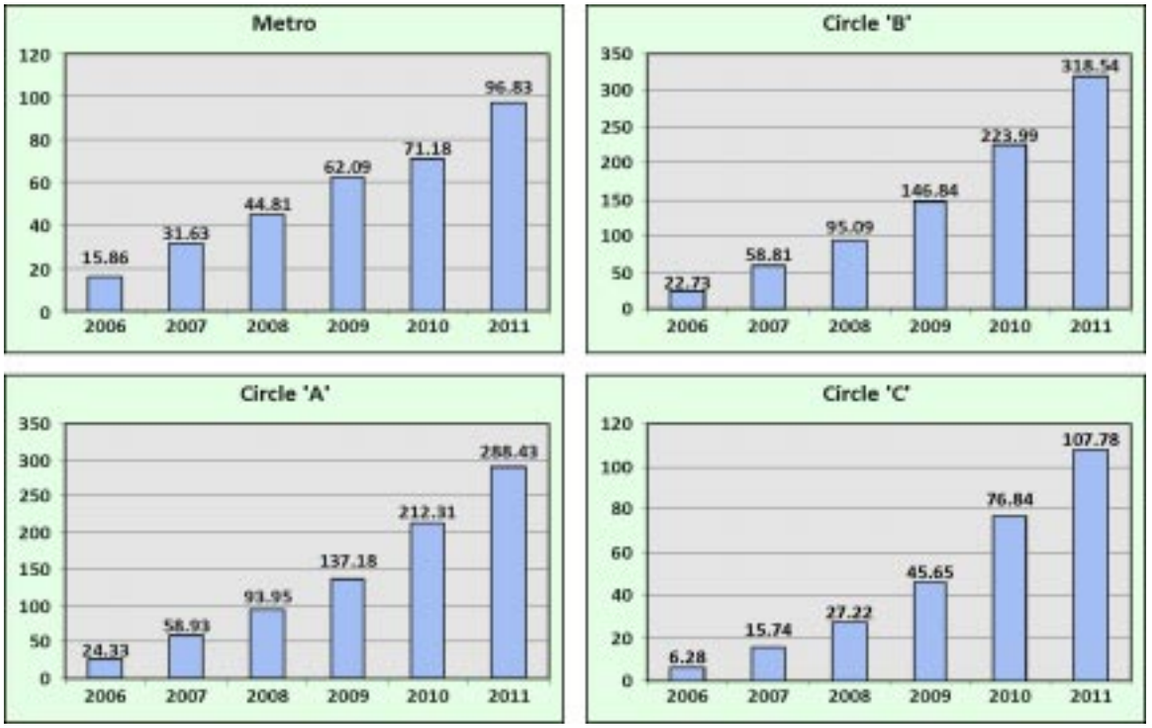

वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दरें, इस रिपोर्ट के अंत में **अनुबंध–III** में दर्शाई गई हैं। वायरलैस सेवाओं के लिए कुल उपभोक्ता आधार ने 38.89 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसमें 42.21 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि 'ख' सर्किल में वर्ष 2010–11 के दौरान देखी गई ।

(ii) वायरलाइन सेवाएं

37 31 मार्च, 2011 को फिक्सड(वायरलाइन) लाइनों का कुल उपभोक्ता आधार 34.73 मिलियन था जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 36.96 मिलियन था। वायरलाइन उपभोक्ताओं का प्रचालकवार ब्यौरा नीचे **तालिका–8** में दर्शाया गया है। उपभोक्ता आधार में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 72.63 प्रतिशत व 9.97 प्रतिशत थी जबकि अन्य सभी पांच निजी प्रचालकों की सम्मिलित हिस्सेदारी 17.40 प्रतिशत थी। निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2010 को 15.23 प्रतिशत थी जो कि 31 मार्च, 2011 को बढ़कर 17.40 प्रतिशत हो गई। कुल फिक्सड लाइनों की बाजार हिस्सेदारी नीचे **चित्र 23** में दर्शाई गई है:–

चित्र 23 : 31 मार्च 2011 को वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

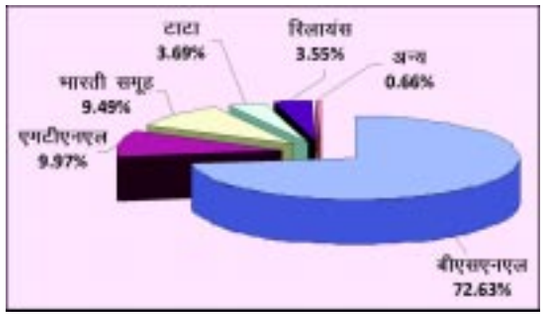

टिप्पणी:–अन्यों में क्वाड्रन्ट टेलीवेन्चर लि0 (पूर्व में एचएफसीएल) एवं सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0 शामिल हैं।

38. 31 मार्च, 2011 को, कुल शहरी वायरलाइन उपभोक्ता 26.04 मिलियन तथा ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता 8.69 मिलियन थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदातावार उपभोक्ता आधार को **तालिका 9** में दर्शाया गया है तथा इसे ग्राफ के रूप में नीचे **चित्र 24** व **चित्र 25** में दिया गया है।

तालिका 8 : 31 मार्च 2011 को प्रचालकवार फिक्सड (वायरलाइन) उपभोक्ता आधार का विवरण

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता आधार (वायरलाइन)
1	भारत संचार निगम लि0 (बीएसएनएल)	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत	2,52,24,905
2	महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)	दिल्ली और मुंबई	34,63,969
3	भारती एयरटेल लि0 और भारती हैक्साकॉम लि0	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम)।	32,95,919
4	क्वाड्रन्ट टेलीवेन्चर लि0 (पूर्व में एचएफसीएल)	पंजाब	1,89,900

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता आधार (वायरलाइन)
5	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0	राजस्थान	38,440
6	टाटा टेलीसर्विसेज़ लि0 एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र एवं मुंबई, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु(चेन्नई सहित), उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल ।	12,82,437
7	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल ।	12,34,191
	कुल योग		**3,47,29,761**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा फिक्सड(वायरलाइन) उपभोक्ता आधार हेतु प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट।

तालिका 9 : सेवा प्रदातावार उपभोक्ता (शहरी तथा ग्रामीण)

सेवा प्रदाता	उपभोक्ता आधार (मिलियन में)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल
बीएसएनएल	8.64	16.58	25.22
एनटीएनएल	-	3.46	3.46
भारती	-	3.30	3.30
टाटा	0.04	1.24	1.28
रिलायंस	0.002	1.23	1.23
क्वाड्रन्ट (एचएफसीएल)	-	0.19	0.19
सिस्टेमा	0.005	0.03	0.04
कुल	**8.69**	**26.04**	**34.73**

चित्र 24 : 31 मार्च, 2011 को शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा

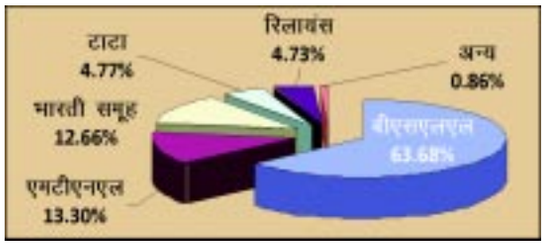

चित्र 25 : 31 मार्च, 2011 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा

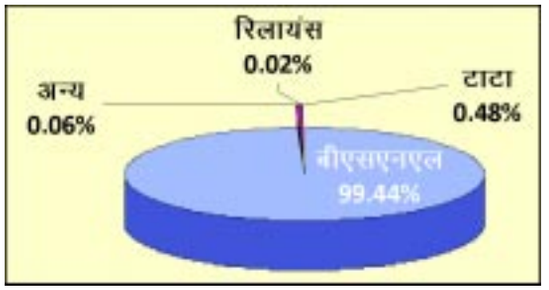

39 31 मार्च, 2011 को बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा 05 एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसी (यूएएसएल) फिक्सड लाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुल सज्जित क्षमता तथा सेवा प्रदातावार कनेक्शनों को नीचे **तालिका 10** में दर्शाया गया हैः–

तालिका 10 : सेवा प्रदातावार सज्जित स्विचिंग क्षमता

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	सज्जित क्षमता	कार्य कर रहे कनेक्शन
1	भारत संचार निगम लि0	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत	4,44,81,342	2,52,24,905
2	महानगर टेलीफोन निगम लि0	दिल्ली और मुंबई	53,76,074	34,63,969
3	भारती एयरटेल लि0 और भारती हैक्साकॉम लि0	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व) और उ0प्र0 (पश्चिम)।	1,02,80,000	32,95,919
4	एचएफसीएल इंफोटेल लि0	पंजाब	3,28,835	1,89,900
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	25,96,000	12,34,191
6	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0	राजस्थान	64,000	38,440
7	टाटा टेलीसर्विसेज़ लि0 एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित) और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।	23,30,606	12,82,437

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से ।

पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

40. 31 मार्च, 2011 को कुल पब्लिक कॉल आफिसों (पीसीओ) की संख्या 4.59 मिलियन थी जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 3.33 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका 11** में नीचे दर्शाई गई है:–

तालिका 11 : देश में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्रम सं.	सेवा प्रदाताओं का नाम	2009-10 (मार्च, 2010)	2010-11 (मार्च, 2011)
1	बीएसएनएल	16,72,178	13,94,578
2	एनटीएनएल	1,95,430	1,75,557
3	निजी प्रचालक	27,27,093	17,63,379
	कुल	**45,94,701**	**33,33,514**

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

41. 31 मार्च, 2011 को, ऐसे सेवा प्रदाता जो फिक्सड लाइन सेवाएं भी प्रदान कर रहे थे, के द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की कुल संख्या, 5.84 लाख थी जबकि 31 मार्च, 2009 को यह संख्या 5.76 लाख थी। **तालिका 12** ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वीपीटी को दर्शाती है, जो फिक्सड लाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं।

तालिका 12 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्रम	सेवा प्रदाताओं का नाम	2009-10 (मार्च, 2010)	2010-11 (मार्च, 2011)
1	बीएसएनएल	5,65,276	5,73,863
2	एनटीएनएल	-	-
3	निजी प्रचालक	10,914	10,869
	कुल	**5,76,190**	**5,84,732**

(iii) इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं

42. दूरसंचार विभाग(डीओटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.7.2010 तक इंटरनेट सेवाओं के लिए 378 अनुज्ञप्तियां थी। विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, 31 मार्च, 2010 को 16.18 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2011 को देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार (नैरोबैंड व ब्रॉडबैंड, दोनों) की संख्या 19.67 मिलियन थी, इस प्रकार 21.57 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इनके अलावा, (दिनांक 31.3.2011 को) 381.40 मिलियन उपभोक्ता ऐसे थे जो मोबाइल फोन (जीएसएम/सीडीएमए) अथवा डाटा कार्ड द्वारा इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे।

43. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा निजी क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरनेट उपभोक्ताओं के वितरण को नीचे दर्शाया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2011 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इंटरनेट सेवा प्रदाता	1,37,39,840
निजी क्षेत्र के उपक्रमों के इंटरनेट सेवा प्रदाता	59,35,143
कुल	1,96,74,983

44. दिनांक 31 मार्च, 2011 को उपभोक्ताओं के आधार पर शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बाजार हिस्सेदारी नीचे **तालिका 13** में दशाई गई है :–

45. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में से भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम

तालिका 13 : दिनांक 31 मार्च, 2011 को उपभोक्ताओं के आधार पर शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी

क्र.सं.	इंटरनेट सेवा प्रदाता	बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत में
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	57.52
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	12.31
3.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	11.05
4.	भारती एयरटेल लिमिटेड	7.29
5.	हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड	1.77
6.	अन्य	10.06

लिमिटेड द्वारा क्रमशः 11.32 मिलियन और 2.42 मिलियन उपभोक्ता आधार की जानकारी दी गई, जबकि निजी क्षेत्र में से रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रमशः 2.17 मिलियन, 1.43 मिलियन, और 0.35 मिलियन उपभोक्ता आधार की जानकारी दी गई। अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का उपभोक्ता आधार 1.99 मिलियन है।

46. ब्रॉडबैंड नीति 2004 के अनुसार, ब्रॉडबैंड को एक ऐसे "सदैव चालित" डाटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को बल प्रदान करने में सक्षम है तथा जिसमें ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान करने का इरादा रखने वाले सेवा प्रदाताओं की प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से एक वैयक्तिक उपभोक्ता को न्यूनतम 256 केबीपीएस की गति से डाउनलोड करने की क्षमता हो, जहां ऐसे व्यक्तिगत ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को एकीकृत किया जाता है तथा उपभोक्ता इस प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से इंटरनेट सहित इस प्रकार की इंटरएक्टिव सेवाओं तक अपनी पहुंच (एक्सेस) कर सकता है। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है। देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं की सबसे अधिक पसंद की प्रौद्योगिकी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (डीएसएल)। ब्रॉडबैंड की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग में लाई जा रही अन्य प्रौद्योगिकियां हैं, केबल मोडम, एथरनेट एलएएन, फाइबर, वायरलैस, लीज्ड लाइन इत्यादि। मार्च, 2011 की समाप्ति पर देश में ब्रॉडबैंड का आधार 11.89 मिलियन है।

इंटरनेट टेलीफोनी

47. अगस्त, 2007 में दूरसंचार विभाग(डीओटी) द्वारा, इंटरनेट सेवाओं का संचालन करने के लिए जारी नए दिशा–निदेशों के अनुसार सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी गई है तथा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं(आईटीएसपी) की अलग श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 31 इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–14** में दी गई है। वित्त वर्ष के दौरान इंटरनेट टेलीफोनी का प्रयोग कुल 604.15 मिलियन मिनटों के लिए किया गया।

तालिका 14 : इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची

क्रमांक	सेवा प्रदाता का नाम
1	अपना टेलीलिंक लि0
2	एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस
3	ब्लेजनेट लि0
4	ब्रॉडबैंड पेसनेट (आई) प्रा0 लि0
5	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज़ लि0
6	कोर्डिया एलटी कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0
7	डाटा इंफोसिस लि0
8	डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0
9	डिजिटल2वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0
10	फास्ट लाइनैक्स इंटरनेट सर्विस प्रा0 लि0
11	करूतुरी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
12	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
13	मनीपाल ईकॉमर्स लि0
14	माई ओन इंफोटेक प्रा0 लि0
15	नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0
16	नेटलिनक्स लि0
17	ओप्टो नेटवर्क प्रा0 लि0
18	फोनिक नेट प्रा0 लि0
19	पल्स टेलीसिस्टम्स प्रा0 लि0
20	सिफी टेक्नालॉजीज़ लि0
21	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0
22	स्विफ्टमेल कम्युनिकेशंस लि0
23	टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट सर्विसेज़ लिमिटेड
24	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड
25	टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0 (हयूजेज़ टेलीकॉम)
26	ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा0 लि0
27	ट्रिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0
28	ट्यूलिप टेलकाम लिमिटेड
29	वीवा कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0
30	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज़ प्रा0 लि0
31	यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र

प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र

48. प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में आशानुरूप प्रगति की है। इस सेक्टर के अंतर्गत एनालॉग और डिजीटल केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं, रेडियो सेवाएं और भौमिक टीवी सेवाएं आती हैं। इस सेक्टर का प्रमुख घटक पे–टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसका उद्भव 1990 के प्रारंभ में हुआ था और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिला, जिससे इसके उपभोक्ताओं की संख्या 1992 के 410,000 से बढ़कर मार्च, 2011 में लगभग 128 मिलियन हो गई, इस प्रकार इसमें पिछले 19 सालों में हर साल औसतन 35% से अधिक की दर से वृद्धि हुई। एफएम रेडियो सेवाओं एवं भौमिक टीवी सेवाओं में भी निरंतर विकास हुआ है। सब्सक्राइबर आधार में विस्तार के अनुरूप सेवा प्रदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

डीटीएच सेवाएं

49. भारत में 2003 में इसकी शुरूआत के बाद से डीटीएच सेवाओं में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला, हर महीने 1 मिलियन नए उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए 6 पे डीटीएच ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त पे डीटीएच सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2011 तक लगभग 25 मिलियन हो गई है, इस आंकड़े में दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सेवाओं को देखने वाले दर्शक शामिल नहीं हैं। उपभोक्ता आधार के संदर्भ में इस क्षेत्र के विकास को **चित्र–26** में अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है।

50. विगत में न केवल परंपरागत टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि डीटीएच सेवा ऑपरेटरों ने अपनी सेवाओं के अंतर्गत अभिनव ऑफर जैसे मूल्यवर्धित सेवाओं, मूवी–ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग सहित इंटरएक्टिव सेवाओं की पेशकश की है।

चित्र 26 : उपभोक्ता आधार के संदर्भ में डीटीएच क्षेत्र का विकास (संख्या मिलियन में)

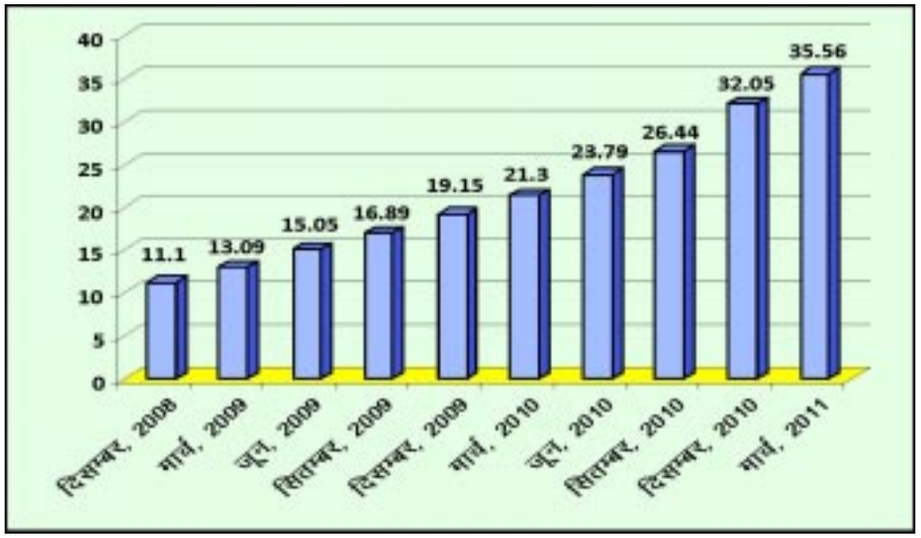

केबल टीवी सेवाएं

51. केबल टीवी सेवा क्षेत्र, सबसे बड़ा पे टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसके अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 92 मिलियन है। विभिन्न राज्यों में केबल वाले घरों के प्रतिशत को **चित्र–27** और पिछले दशक में उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में केबल टीवी सेक्टर के विकास को **चित्र–28** में दर्शाया गया है।

चित्र 27 : विभिन्न राज्यों में केबल वाले घरों का प्रतिशत

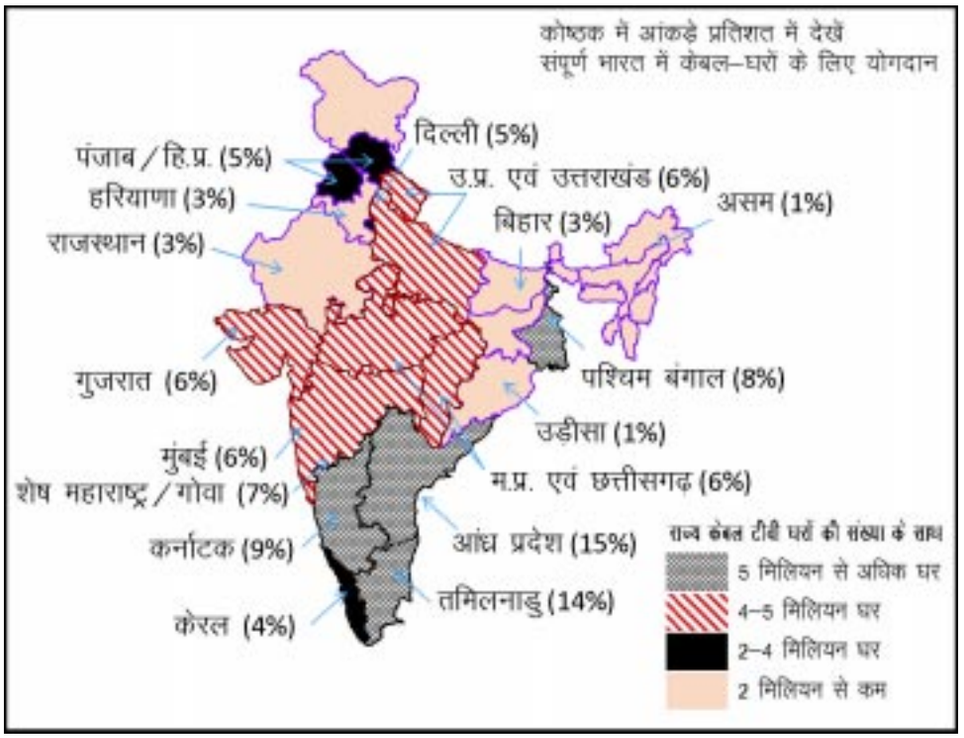

चित्र 28 : केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि (मिलियन में)

52. इस समय, भारत में केबल टीवी सेवाएं दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों, जहां कंडीशनल एक्सेस सिस्टम मौजूद है, को छोड़कर अधिकांश जगहों में एनालॉग (गैर एड्रेसेबल टीवी सिस्टम) प्रकृति की है। अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में टीवी चैनल डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस) और बेसिक सर्विस टियर के जरिये प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें एनालॉग रूप में प्रसारित किए जाने वाले फ्री–टु–एयर चैनल शामिल हैं। विगत चार वर्षों में अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में पे टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में हुई शहर–वार वृद्धि को **चित्र–29** में दर्शाया गया है। अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में, मार्च, 2011

चित्र 29 : विगत चार वर्षों में अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या में शहरवार वृद्धि

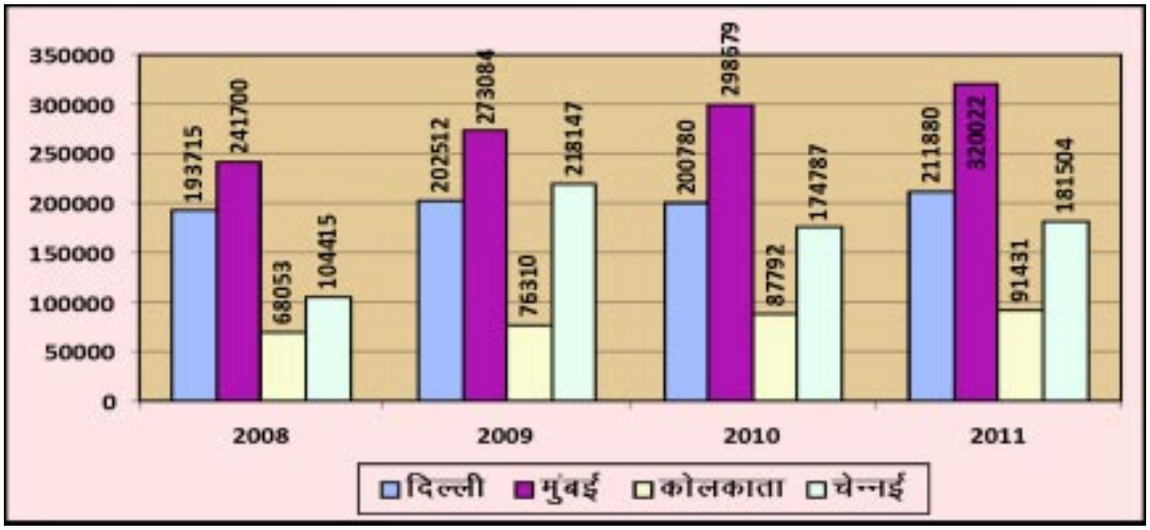

को पे टीवी उपभोक्ताओं की शहरवार स्थिति को **चित्र–30** में दर्शाया गया है। एक अनुमान के अनुसार, स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या 60,000, और मल्टी–सिस्टम (एमएसओ)/स्वतंत्र केबल ऑपरेटरों (आईसीओ) की संख्या 6,000 है। किसी एमएसओ द्वारा केबल नेटवर्क पर चलाए जाने वाले टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या 310 है, जैसा कि भादूविप्रा ने भी सूचित किया है, जबकि परंपरागत एनालॉग के लिए यह संख्या 100 है। विगत चार वर्षों में केबल नेटवर्क पर चलाए गए फ्री–टु–एयर और पे टीवी चैनलों की संख्या **चित्र–31** में दी गई है।

चित्र 30 : अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में पे उपभोक्ताओं की शहर–वार स्थिति(मार्च, 2011 को)

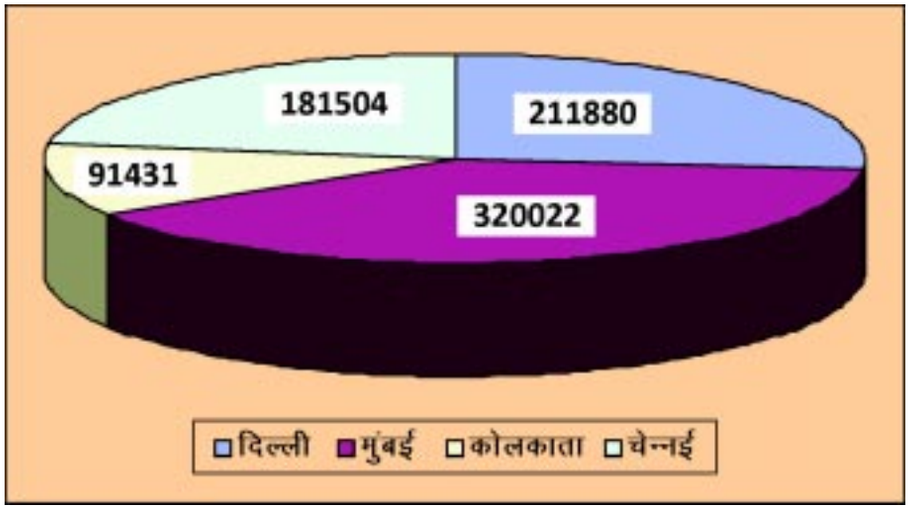

चित्र 31 : केबल नेटवर्कों पर चलाए जा रहे फ्री–टु–एयर और पे टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या

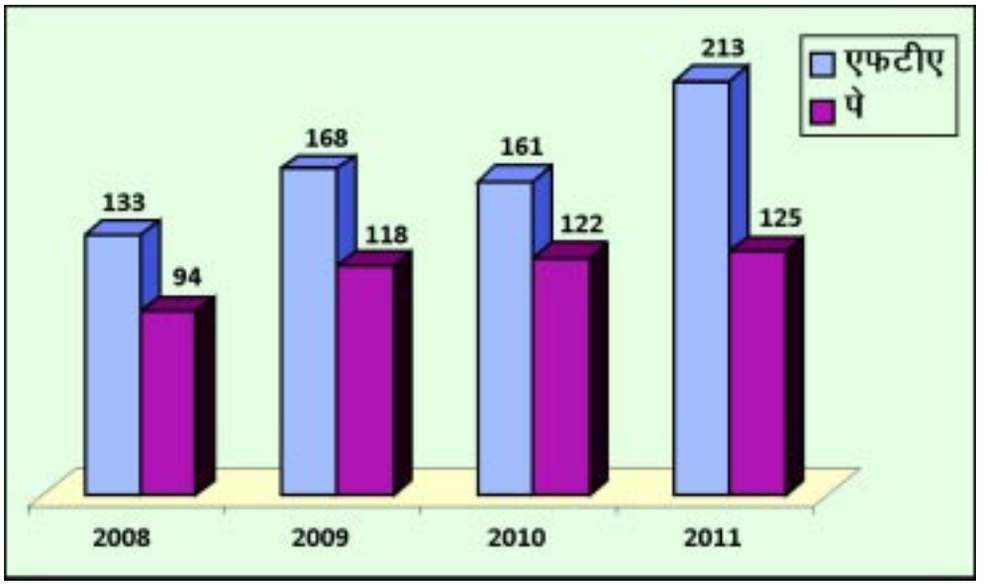

53. एनालॉग केबल टीवी सेवाओं में क्षमता संबंधी बाध्यताएं हैं, जो समाधान योग्य प्रकृति की नहीं हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी उपभोक्ताओं सहित वितरण श्रृंखला के सभी स्तरों पर बेहतर संतुष्टि हेतु अपेक्षित समाधान मुहैया कराने का भरोसा देती है। इन मामलों का समाधान करने के दृष्टिगत, समाधान योग्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए भादूविप्रा ने कई कदम भी उठाए हैं। सभी पहलुओं और व्यापक परामर्श के दौरान प्राप्त सूचनाओं पर समुचित विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 5 अगस्त, 2010 को "भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें" सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं।

रेडियो

54. रेडियो अपने व्यापक प्रसार, टर्मिनल पोर्टेबिलिटी, कम स्थापना खर्च और कम कीमत के कारण जन संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। भारत में रेडियो कवरेज शार्ट–वेव(एसडब्ल्यू), मीडियम वेव(एमडब्ल्यू) और फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण को इसकी सर्वत्तोमुखी लोकप्रियता के कारण मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन माना जाता है। मार्च, 2011 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के अतिरिक्त, 245 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो के पास 237 प्रसारण केन्द्रों का मजबूत नेटवर्क है जिसमें 149 मीडियम फ्रीक्वेंसी (एमडब्ल्यू), 54 हाई फ्रीक्वेंसी (एचडब्ल्यू) और 177 एफएम ट्रांसमीटर शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो, भारत के 91.85% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हुए देश की 99.18% आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2011 को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए 123 लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनमें से 103 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि को क्रमशः **चित्र–32 और चित्र–33** में दर्शाया गया है।

चित्र 32 : प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

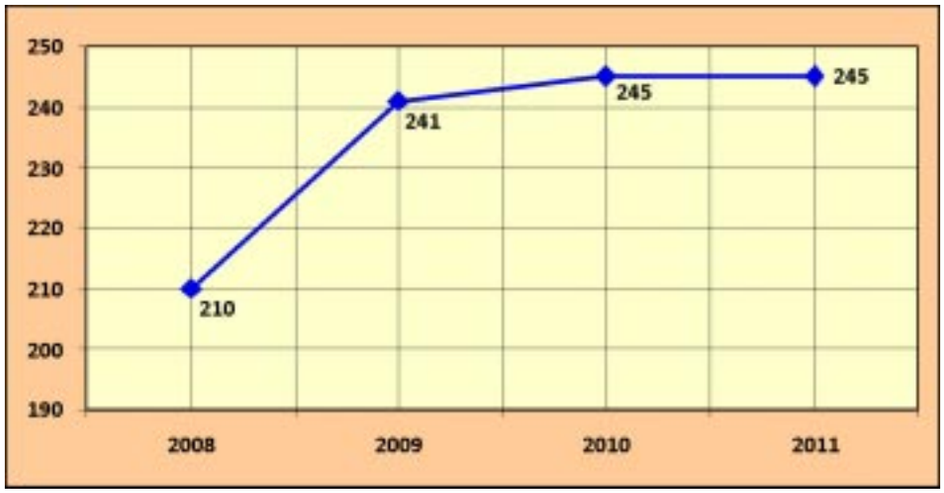

चित्र 33 : देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

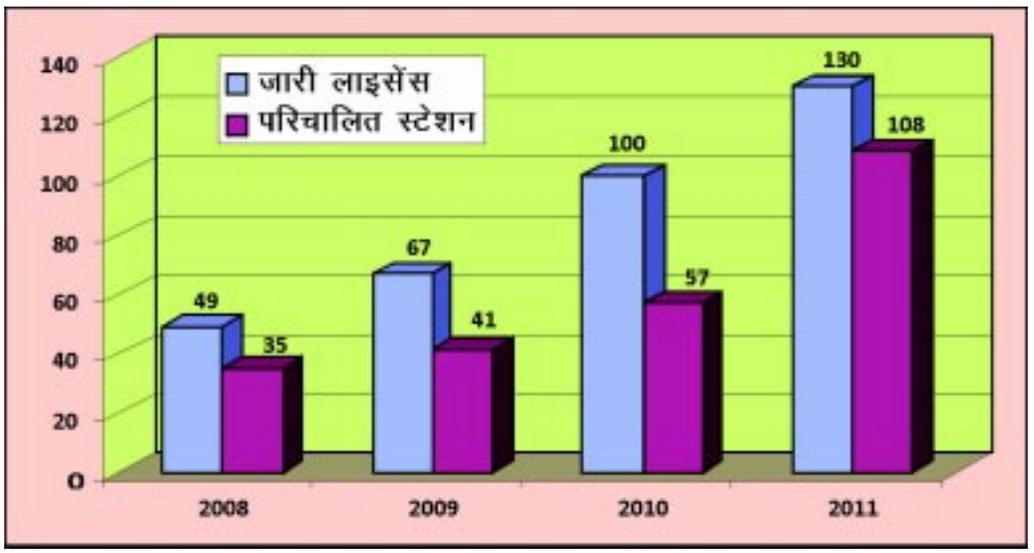

टेलीपोर्ट्स

55. टेलीपोर्ट्स पूरी दुनिया में टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर कंटेंट होस्टिंग और वितरण एवं नेटवर्क प्रबंधन के सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए संयुक्त समाधान प्रदाता के रूप में सामने आए हैं। भारत में उदार अपलिंकिंग दिशानिर्देशों सहित परिचालन की कम लागत एवं कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप दूसरे देशों को भारत से जोड़ने के लिए चैनलों में व्यापक बदलाव आया है। यदि भारत "टेलीपोर्ट्स हब" के रूप में विकसित हो जाता है तो ऐसे चैनल भी भारत में आ जाएंगे जो भारत में डाउनलिंकिंग के लिए नहीं हैं। इससे रोजगार सृजित होंगे और राजस्व की आय में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी मुद्रा भी अधिक मात्रा में भारत आने लगेगी। तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक स्थल के मद्देनजर भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में टीवी चैनल दिखाने के लिए टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग सुविधाएं मुहैया करा सकता है। भादूविप्रा ने इस अवसर की पहचान करके "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से जुड़ी समस्याओं" पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में शासन को भारत को टेलीपोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।

56. पिछले चार वर्षों में भारत में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि को **चित्र–34** में दर्शाया गया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की सूची **अनुबंध IV** में दी गई है।

चित्र 34: देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि

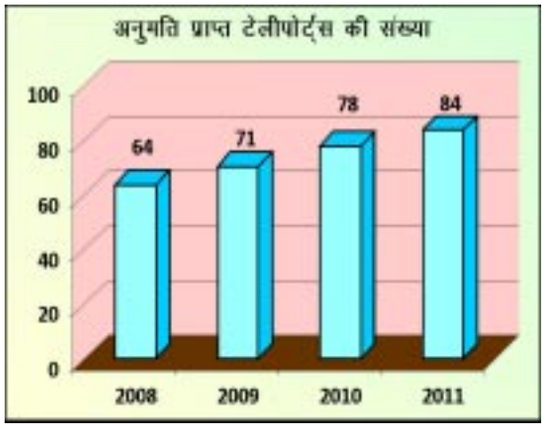

प्रसारण क्षेत्र के प्रशुल्क में रुझान

57. उपभोक्ताओं को सस्ती प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, भादूविप्रा, समय–समय पर प्रशुल्क आदेशों के रूप में नियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। गैर–सीएएस क्षेत्र और अधिसूचित सीएएस क्षेत्र और एड्रेसेबल प्लेटफार्मों जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी इत्यादि के प्रशुल्क, भादूविप्रा द्वारा उनके संबंध में जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होते हैं। प्रसारण क्षेत्र में एआरपीयू की दर पिछले कुछ वर्षों से 160 रु0 प्रतिमाह के रूप में स्थिर बनी हुई है जबकि परंपरागत टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि के अलावा सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया कराए जा रहे चैनलों की संख्या में कई नई सेवाओं जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं, मूवी ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग सहित इंटरएक्टिव सेवाओं, विशेषकर एड्रेसेबल प्लेटफार्मों, जो इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं, के संदर्भ में भी वृद्धि हुई है।

58. एसटीबी की कीमत में निरंतर कमी को डीटीएच क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में माना गया है। विगत चार वर्षों में एसटीबी की कीमत 4000 रु. से कम होकर लगभग 1000 रु. पर आ गई है और इस गिरावट के आगे भी जारी रहने की संभावना है। इससे लगता है कि आने वाले समय में उच्च वर्ग के लिए मानी जाने वाली यह सेवा आम आदमी को बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी।

59. एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए भादूविप्रा के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के आदेश में थोक के साथ–साथ फुटकर स्तर पर पृथक रूप में पे चैनलों को ऑफर करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, थोक मूल्य कई प्रतिबंधों के साथ निर्धारित किए गए हैं। थोक और फुटकर स्तरों पर इन प्रावधानों के कारण एक ऐसे ट्रेंड के विकसित होने की संभावना है जिसमें सब्सक्रिप्शन पैटर्न सेवा प्रदाताओं द्वारा परिभाषित न होकर उपभोक्ताओं द्वारा परिभाषित होगा। मार्केट में यह पहले ही देखा गया है कि 150 रु. के न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, जिसे ऑपरेटर उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार निर्धारित कर सकता है, के अधिकतम के अंदर, वे पहले से ही विभिन्न मासिक पैक मुहैया करा रहे हैं, जिसमें प्रति उपभोक्ता 132 चैनलों के लिए 90 रु0 तथा 186 चैनलों के लिए 150 रु. प्रतिमाह तक के पैक उपलब्ध हैं। ध्यान दिया जाए कि इन पैकों में काफी संख्या में पे चैनल भी शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं के लिए चैनलों के कई विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।

केबल एवं सेटेलाइट टीवी सेवा क्षेत्र में स्टेकहोल्डर

60. मार्च, 2011 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत टीवी चैनलों की कुल संख्या 649 थी, जिसमें 155 पे चैनल शामिल थे। इन चैनलों के मालिकों (कंटेंट मालिक) की संख्या लगभग 250 थी और इनकी बिक्री 24 डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों द्वारा की जाती है। पे डीटीएच चैनलों, डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों की सूची और पे ऑपरेटरों की सूची क्रमशः **अनुबंध V** और **अनुबंध VII** में दी गई है।

प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

61. प्रसारण और केबल सेक्टर की समग्र स्थिति को **तालिका–15** में दर्शाया गया है।

62. पिछली चार तिमाहियों में प्रसारण सेक्टर का सेवा निष्पादक संकेतक नीचे **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका 15 : प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

देश में घरों की संख्या (अनुमानित)	233 मिलियन
टीवी दर्शकों की संख्या (अनुमानित)	143 मिलियन
केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)	92 मिलियन
31 मार्च, 2011 को प्राईवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	35.56 मिलियन
केबल प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	60,000
मल्टी सिस्टम प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	6000
पे–डीटीएच प्रचालकों की संख्या	6
31 मार्च 2011 को चैनलों की संख्या	649
31 मार्च 2011 को पे–चैनलों की संख्या	155
31 मार्च 2011 को एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	245
31 मार्च 2011 को लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	130
31 मार्च 2011 को प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	108
31 मार्च 2011 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित सेटटॉप बॉक्स	0.8 मिलियन
31 मार्च 2011 को देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की संख्या	84

तालिका 16 : प्रसारण सेक्टर का सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल सेवाएं	को समाप्त तिमाही			
	जून 2010	सितम्बर 2010	दिसम्बर 2010	मार्च 2011
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	515	526	604	652
पे–चैनलों की संख्या	150	154	155	155
प्राईवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	23.77	26.44	32.05	35.56
सीएएस क्षेत्रों में सेटटॉप बॉक्सों की संख्या	7,70,519	7,75,876	7,86,422	8,04,837
प्राईवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	248	248	245	245

भाग–II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

1. रिपोर्ट के भाग–एक में प्रसारण तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में विद्यमान सामान्य परिवेश का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया है और 2010–2011 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वह नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी' 99) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें प्रसारण व केबल सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में सफल प्रतिस्पर्धा तथा विकास संभव हो सके और साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हों। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक योगदान किया है। भादूविप्रा का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा माहौल सुनिश्चित किया जाए जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां मिलें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ प्राप्त हो।

2. भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं को, भादूविप्रा(संशोधन) अधिनियम 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के धारा 2 (ट) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया है। इस अधिसूचना से प्रसारण तथा केबल सेवाओं का 'कैरिज' भाग भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार में आ गया है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ–साथ, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक

निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, टैरिफ संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी शर्तों और साथ ही सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र में, टैरिफ नीति की मॉनीटरिंग, अंतःसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और काल हैंडओवर के सिद्धांतों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक जनता के लिए खुला विकल्प और अभिगम की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क ढांचों और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की जरूरत, सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान–प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के संपर्क के लिए मंच की स्थापना करने से जुड़े मामलों पर विचार करना और निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (घ) के अंतर्गत 9 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उन निबंधन और शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया, जिनके अनुसार उपभोक्ताओं के लिए "एड्रेसेबल प्रणालियां" मुहैया कराई जाएंगी और पे–चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय की सीमा विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश, भादूविप्रा को अंतरिम उपायों सहित पे–चैनलों की दरों में संशोधन की अवधि तथा उसके मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

4. अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ आपस में विचार–विमर्श करता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिसमें भादूविप्रा द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी स्टेकहोल्डरों तथा आम जनता को, उनसे राय मांगे जाने पर, उनके द्वारा राय दिए जाने के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ओपन हाऊस बैठकें करना, ई–मेल पर तथा पत्रों के जरिए लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और विभिन्न अभिमत तथा नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श हेतु संपर्क–सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है जिसमें वे कारण स्पष्ट किए जाते हैं, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई सहभागिता पूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

5. दूरसंचार तथा प्रसारण सेक्टर के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के विचार जानने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उनके साथ भी पारस्परिक विचार–विनिमय करता है। यह दूरसंचार सेक्टर के कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अन्तरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करने की प्रणाली भी अपनाता है। भादूविप्रा ने 31 मार्च 2011 तक सारे देश

से 41 (इकतालीस) उपभोक्ता संगठनों का अपने पास पंजीकरण किया है और उपभोक्ता संगठनों को सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के निरंतर उपाय कर रहा हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और स्टेकहोल्डरों, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

6. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो अपनी ओर से अथवा अनुज्ञप्तिदाता अर्थात् प्रसारण व केबल सेवाओं के मामले में दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से निदेश पर सिफारिशें दे। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2010–11 में शासन को दी गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

(i) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे के संबंध में दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशें।

(ii) ''नम्बरिंग संसाधनों के कार्यकुशल उपयोग'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2010 की सिफारिशें।

(iii) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के संबंध में दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 की सिफारिशें।

(iv) दिसम्बर, 2006 से आगे जारी लाइसेंसों के रोल–आउट दायित्वों की स्थिति पर दिनांक 18 नवम्बर एवं 22 दिसम्बर, 2010 की सिफारिशें।

(v) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की वर्ष 2010 की कीमत के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2011 की सिफारिशें।

(vi) मोबाइल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 14 अप्रैल, 2010 की संशोधित सिफारिशें।

(vii) प्रसारण सेक्टर के लिए सीधे विदेशी निवेश सीमा के संबंध में दिनांक 30 जून, 2010 की सिफारिशें।

(viii) भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की सिफारिशें।

(ix) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली लागू करने के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशें।

(x) निजी एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर दिनांक 09 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(xi) भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग संबंधी नीति से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(xii) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी पद्धति को लागू करने के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

7. निम्नलिखित सिफारिशें, वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजित की गई परामर्शी प्रक्रियाओं का परिणाम हैं:–

(i) 'दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति' पर सिफारिशें।

(ii) 'हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण' पर सिफारिशें।

(iii) 'दूरसंचार अवसंरचना नीति' पर सिफारिशें।

(i) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे पर दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशें

8. दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा मई, 2009 की "एक्सेस (जीएसएम/सीडीएमए) स्पेक्ट्रम और मूल्य नियतन'' समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी गई थी। इसके अलावा, भादूविप्रा से विद्यमान यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंस पर लाइसेंसों की अवधि, निबंधन और शर्तों के संबंध में सिफारिशें देने का अनुरोध भी किया गया। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से 800, 900 व 1800 मेगाहर्ट्ज के सिवाए सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और दिनांक 26 सितम्बर, 2007 से 01 अक्तूबर, 2007 तक प्राप्त नए यूएएस लाइसेंस प्रदान करने संबंधी लंबित आवेदनों के संबंध में, प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या में कोई रोक न होने की नीति के संबंध में तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं की संरचनाओं के विषय में विद्यमान लाइसेंसों पर पंच (आर्बीट्रेज) फैसला हटाने के संबंध में सिफारिशें मांगी हैं।

9. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा "समग्र स्पेक्ट्रम प्रबंधन व लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा" के संबंध में दिनांक 16 अक्तूबर, 2009 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों व अपने विश्लेषण के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई, 2010 को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन व लाइसेंसिंग ढांचा" विषय पर अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों में निम्नांकित मुद्दों पर विचार किया गया है:–

(i) स्पेक्ट्रम की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(ii) लाइसेंसिंग से संबंधित मुद्दे

(iii) स्पेक्ट्रम आबंटन और मूल्य निर्धारण

(iv) स्पेक्ट्रम का समेकन

(v) स्पेक्ट्रम प्रबंधन

10. सिफारिशों का सारांश निम्न प्रकार है :–

- प्राधिकरण को सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्षा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
- 585–698 मेगाहर्ट्ज को मोबाइल टीवी सहित डिजिटल प्रसारण सेवा के लिए अलग किया जा सकता है। 698–806 मेगाहर्ट्ज को केवल आईएमटी उपयोग के लिए अलग किया जा सकता है।
- लाइसेंसों के नवीकरण के समय 800 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए।
- स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए एक विशिष्ट निधि बनाई जाए तथा नीलामी से प्राप्त आय के साथ ही साथ स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार सहित स्पेक्ट्रम से प्राप्त समस्त आय/लाभ का 50 प्रतिशत, इस निधि में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
- जीएसएम/सीडीएमए के लिए 2001 में अथवा इसके बाद जारी सभी एक्सेस लाइसेंसों के लिए अनुबंधित स्पेक्ट्रम क्रमशः 6.2 मेगाहर्ट्ज/5 मेगाहर्ट्ज है।

- स्पेक्ट्रम की कमी तथा विद्यमान लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए, यूएएस लाइसेंस से सम्बद्ध और अधिक स्पेक्ट्रम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। तद्नुसार एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या पर कोई रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। रोक न लगाने संबंधी यह सिफारिश केवल तभी के लिए है, यदि भविष्य के लाइसेंसों को स्पेक्ट्रम से अलग किया जाता है। अन्यथा प्राधिकरण की स्पष्ट सिफारिश यह है कि और अधिक लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए।
- भविष्य के समस्त लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होने चाहिए तथा स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग कर दिया जाना चाहिए।
- सभी दूरसंचार लाइसेंसों और सेवा क्षेत्रों के लिए समरूप लाइसेंस फीस होनी चाहिए।
- आईपी–1 श्रेणी को भी तत्काल प्रभाव से लाइसेंस देने की प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस को चार वर्ष की अवधि के दौरान उत्तरोत्तर एजीआर के एकरूप (यूनीफार्म) 6 प्रतिशत पर लाया जाए।
- लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार वास्तविक एजीआर पर होना चाहिए, बशर्ते कि यह एजीआर के न्यूनतम तक तो हो।
- सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों में विद्यमान रोल आउट के अनुबंध को मेट्रो शहरों के अलावा सेवा के सभी क्षेत्रों में निम्नांकित अनुबंधों (ओब्लीगेशन्स) से प्रतिस्थापित किया (बदल दिया) जाए। मेट्रो शहरों के लिए रोल आउट अनुबंध जारी रहेंगे।

समय	निवास > 10000	निवास 5000–10000	निवास 2000–5000
प्रभावी तिथि से 2 वर्ष	100%	50%	-
प्रभावी तिथि से 3 वर्ष	100%	100%	50%
प्रभावी तिथि से 4 वर्ष	100%	100%	100%

उपर्युक्त रोल–आउट दायित्व में, 90 प्रतिशत अथवा अधिक निवासों को परिधि में लाने के लिए व्यवस्था करने पर, दायित्व पूरा हुआ माना जाएगा।

- 2000–5000 तक की आबादी वाले निवास स्थलों को अंतःसेवा क्षेत्र रोमिंग के द्वारा परिधि में लाने के लिए लाइसेंसधारक को अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि कम से कम एक तिहाई निवास उसके अपने नेटवर्क की परिधि में आने चाहिए।
- रोल–आउट दायित्वों को पूरा न कर पाने पर दण्ड स्वरूप दर्शाई गई दरों पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार देना होगा।
- उन लाइसेंसधारकों, जिन्होंने 500–2000 की आबादी वाले निवासों के 50 प्रतिशत को परिधि में ले लिया है, को वार्षिक फीस में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाए तथा उन लाइसेंसधारकों जिन्होंने 500–2000 की आबादी वाले निवासों के 100 प्रतिशत (90 प्रतिशत व अधिक को 100 प्रतिशत माना जाए) को परिधि में ले लिया है, को वार्षिक लाइसेंस फीस में 2 प्रतिशत की छूट दी जाए।
- लाइसेंस का नवीनीकरण करते समय, शासन द्वारा केवल निर्धारित सीमा तक ही स्पेक्ट्रम

अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण से पहले नियत स्पेक्ट्रम, जो भी कम हो, का आबंटन किया जाए।

- नवीनीकरण के वर्ष में विधिवत् समायोजन उपरांत स्पेक्ट्रम आबंटन वर्तमान दरों पर किया जाएगा।

- 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के मूल्य/महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के समय, लाइसेंसदार द्वारा 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में धारित स्पेक्ट्रम को समान मात्रा में 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम द्वारा बदला जाए।

- लाइसेंस देने की नई प्रणाली का ढांचा निम्न प्रकार होना चाहिए :–

  (i) एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत यूएएसएल/सीएमटीएस, एनएलडी, आईएलडी, इंटरनेट, आईपी–1 और जीएमपीसीएस होंगें;

  (ii) क्लास लाइसेंस के अंतर्गत वीएसएटी सेवाएं होंगी, और

  (iii) लाइसेंस के माध्यम से पीएमआरटीएस, रेडियो पेजिंग और वॉयस मेल/ऑडियो टेक्स/यूनीफाइड मेसेजिंग सेवाएं प्राधिकृत करना;

  (iv) प्रसारण लाइसेंस।

- राष्ट्रव्यापी एकीकृत लाइसेंस के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रवेश शुल्क की उगाही की जाए। सेवा क्षेत्रवार लाइसेंसों के लिए, प्रवेश फीस मेट्रो शहरों व 'ए' श्रेणी के सेवा क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपए, 'बी' श्रेणी के सेवा क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ रुपए तथा 'सी' श्रेणी के सेवा क्षेत्रों के लिए 0.5 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके अलावा एजीआर पर 6 प्रतिशत की वार्षिक लाइसेंस फीस उगाही जाए।

- एक सेवा प्रदाता को सौंपे जाने वाले स्पेक्ट्रम की सीमा दिल्ली व मुंबई के लिए 2x10 मेगाहर्ट्ज होगी, शेष सभी क्षेत्रों के लिए 2x8 मेगाहर्ट्ज होगी। इसी प्रकार सीडीएमए स्पेक्ट्रम के संबंध में प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि दिल्ली व मुंबई के मेट्रो क्षेत्रों के लिए स्पेक्ट्रम की सीमा 2x6.25 मेगाहर्ट्ज होगी व अन्य सभी सेवा क्षेत्रों के लिए यह 2x5 मेगाहर्ट्ज होगी।

- स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए, उपभोक्ता से संबद्ध मानदंड को समाप्त कर दिया जाए।

- 800, 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जानी चाहिए।

- 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के वर्तमान मूल्य के लिए 3जी के मूल्य को अपनाया जाए। साथ ही साथ, इस मामले पर और विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा अलग से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है तथा शासन को निष्कर्षों से सूचित करेगा।

- 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का वर्तमान मूल्य 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के मूल्य के 1.5 के बराबर तय किया जाए। प्राधिकरण द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए भी यही मूल्य निर्धारित किया जाए।

- अनुबंधित मात्रा से अधिक स्पेक्ट्रम रखने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रभार का उनके लाइसेंस की शेष वैधता की अवधि के अनुपात में परंतु न्यूनतम 7 वर्ष के लिए वर्तमान मूल्य पर भुगतान करना चाहिए। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापस करने वाले सेवा प्रदाताओं को, 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो तो, वापस करना होगा, और उन्हें वर्तमान मूल्य पर न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए, अतिरिक्त एक–बार (वन टाइम चार्ज) का प्रभार देना होगा।

- 8 मेगाहट्र्ज से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए, वर्तमान मूल्य के 1.3 की दर से भुगतान करना होगा।

- स्पेक्ट्रम उपयोग का प्रभार, जीएसएम और सीडीएमए दोनों स्पेक्ट्रम के लिए अनुबंधित स्पेक्ट्रम की सीमा तक 0.5 प्रतिशत की दर पर होना चाहिए तथा अनुबंधित मात्रा से अधिक स्पेक्ट्रम के संबंध में यह 1 प्रतिशत प्रति मेगाहट्र्ज होगा, बशर्ते कि यह जीएसएम के संबंध में अधिकतम 10 प्रतिशत व सीडीएमए के संबंध में 7 प्रतिशत होगा। प्राधिकरण ने यह सिफारिश की है कि दिनांक 25 फरवरी, 2010 को किए गए परिवर्तनों को उपयुक्त प्रकार से संशोधित कर लिया जाए।

- परिणामी तत्व (रिजल्टेंट एन्टिटी) की संबंधित मार्केट में मार्केट हिस्सेदारी, कुल उपभोक्ता आधार और/अथवा किसी अनुज्ञापित दूरसंचार सेवा क्षेत्र के एजीआर के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- यदि यूएएस/सीएमटीएस एक्सेस सेवा प्रदाताओं की संख्या संबंधित बाजार में एमएण्डए गतिविधि के विचाराधीन होने के परिणामस्वरूप 6 से कम हो जाती है तो कोई एम एण्ड ए गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- किसी एक सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलयन होने पर, विलयन के बाद परिणामी कंपनी के पास का कुल स्पेक्ट्रम जीएसएम प्रौद्योगिकी में 14.4 मेगाहट्र्ज से अधिक नहीं होगा। सीडीएमए प्रौद्योगिकी के संबंध में यह सीमा 10 मेगाहट्र्ज होगी।

- चूंकि परिणामी तत्व (रिजल्टेंट एन्टिटी) कंपनी भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के आधार पर 6.2 मेगाहट्र्ज/5 मेगाहट्र्ज के केवल एक ब्लॉक के लिए हकदार होगा, विलयन के पक्षकारों में से किसी एक को स्पेक्ट्रम का मूल्य अर्थात् वर्तमान मूल्य व पहले भुगतान की गई राशि के मध्य का अंतर, विलयन की अनुमति प्रदान करने से पहले, जमा कराना होगा।

- स्पेक्ट्रम स्थानांतरण प्रभार, सौदे के मूल्य और वर्तमान मूल्य के अंतर के 5 प्रतिशत की दर से, अनुमति प्रदान करने से पहले, भुगतान करना होगा।

- यूएसएस लाइसेंस में, लाइसेंस की शर्तों को संशोधित करके उसमें यह शर्त जोड़ी जाएगी कि प्रवर्तक जिनकी कुल संपत्ति को लाइसेंस की पात्रता का निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखा गया था, वे अपनी इक्विटी को 5 वर्ष की अवधि अथवा रोल–आउट की शर्तों को पूरी तरह संपादित करने तक, जो भी पहले हो, 51 प्रतिशत से नीचे नहीं रख सकते हैं। 51 प्रतिशत से नीचे किसी भी प्रकार की घटत, लाइसेंस प्रदाता की पूर्व व स्पष्ट अनुमति के बाद ही होगी।

- स्पेक्ट्रम में साझेदारी की अनुमति दी जाएगी, परंतु प्रत्येक मामले में यह उसी अनुज्ञापित सेवा क्षेत्र में, लाइसेंस प्रदाता की पूर्व अनुमति के साथ और पूरी तरह निर्धारित किए जा रहे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगी

- स्पेक्ट्रम में साझेदारी की अनुमति अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

- स्पेक्ट्रम की साझेदारी के लिए ऐसी पार्टियों के बीच अनुमति दी जाएगी, जिनमें प्रत्येक पार्टी के पास 4.4 मेगाहट्र्ज/2.5 मेगाहट्र्ज (जीएसएम/सीडीएमए) से अधिक स्पेक्ट्रम नहीं होगा।

- साझेदारी की अनुमति केवल तभी ही दी जाएगी, यदि साझेदारी के बाद एलएसए में कम से कम छह प्रचालक हों।
- 3जी स्पेक्ट्रम–धारक लाइसेंसधारियों के बीच स्पेक्ट्रम सहभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- स्पेक्ट्रम उपभोग प्रभार की उगाही दोनों प्रचालकों से एक–एक करके की जाएगी परंतु यह दोनों प्रचालकों द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम पर होगी। अन्य शब्दों में यदि एक प्रचालक 'एक्स' के पास 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है तथा वह दूसरे प्रचालक 'वाई' के साथ उसके 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में सहभाजन करता है तो तब दोनों 'एक्स' और 'वाई' प्रचालकों को वह स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार देना होगा जो 8.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर लागू होता है।
- भारत में कम से कम वर्तमान स्थिति में, स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी बाद में पुनः समीक्षा की जाएगी।

(ii) "नंबरिंग संसाधनों का कुशल उपयोग" पर दिनांक 20 अगस्त, 2010 की सिफारिशें

11. नंबरिंग संसाधनों द्वारा सदैव दूरसंचार में केन्द्रीय भूमिका निभाई गई है एवम् दूरसंचार सेक्टर के उदारीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम उपार्जित कर लिया है। तद्नुसार, नंबरों के, पर्याप्त न्यायोचित और पारदर्शी पहुंच के प्रतियोगी, दूरसंचार बाजार सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य अंग बन जाने के कारण एक नियामक साधन के रूप में नंबरिंग का महत्व भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है।

12. वर्तमान राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, 2003 (एनएनपी 2003), जिसकी अभिकल्पना 450 मिलियन मोबाइल कनेक्शनों सहित 750 मिलियन कनेक्शनों के लिए की गई थी तथा जिसकी रूपरेखा 2030 तक चलने के लिए तैयार की गई थी, मोबाइल नंबरों द्वारा इस स्तर को वर्ष 2009 में ही पार कर लेने के कारण, अत्यधिक दबाव के नीचे आ गई है। वर्ष 2014 तक उपभोक्ताओं की संख्या के एक अरब का आंकड़ा पार कर जाने की संभावना के कारण, स्थिति की तत्काल समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी सेवा में न्यूनतम बाधा के साथ नंबरों की सतत् उपलब्धता बनी रहे। ये सिफारिशें इस संबंध में एक समाधान प्रस्तुत करती हैं।

13. सिफारिशों में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रस्ताव किया है कि 11 नंबरों की नंबरिंग योजना में स्थानांतरण के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा से बचने के लिए वर्तमान 10 नंबरों की नंबरिंग योजना को बनाए रखा जाए। दो तरफा योजना प्रस्तुत करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि भारत को फिक्सड और मोबाइल सेवाओं के लिए, 31 दिसम्बर, 2011 तक, एक एकीकृत नंबरिंग योजना में स्थानांतरित होना चाहिए। अन्य शब्दों में कहें तो फिक्सड लाइन और मोबाइल फोन दोनों के लिए 10 नंबरों के नंबर होंगे। यह विद्यमान सेवाओं के विस्तार की मांग को पूरा करने तथा आगामी 30–40 वर्षों तक नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त नंबर उपलब्ध कराएगा। यह एकीकृत नंबरिंग, फिक्सड लाइनों में नंबर स्थानांतरण की सुविधा का विस्तार करने में भी सहायक होगा। एकीकृत योजना के कार्यान्वित होने तक फिक्सड लाइनों से अंतर सर्किल मोबाइल कॉल करने के लिए पहले '0' डॉयल किया जाएगा। इससे विद्यमान अल्प दूरी वाले चार्जिंग क्षेत्र (एसडीसीए) कोड के उप–स्तरों में, किसी टेलीफोन नंबर या एसटीडी कोड को प्रभावित किए बिना, एक

अरब की संख्या तक उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का दोहन करने में सहायता प्राप्त होगी।

14. टेलीफोन नंबर बहुमूल्य संसाधन हैं और इनका कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयोग में नहीं आ रहे नंबरों के संचयन को रोकने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि सेवा प्रदाताओं के पास, नंबरों के नए ब्लॉक हेतु अनुरोध करते समय, एक सेवा क्षेत्र में 3 मिलियन से अधिक प्रयोग में नहीं आ रहे नंबर नहीं होने चाहिए। नंबरों के आबंटन को और अधिक कार्य–कुशल बनाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आबंटन प्रक्रिया में स्वचालिता (ऑटोमेशन) की सिफारिश की गई है। इससे सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आबंटन प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

(iii) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना पर दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 की सिफारिश

15. ब्रॉडबैंड नीति 2004 के द्वारा निर्धारित 20 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 2010 के अंत तक भारत में केवल 10.30 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। देश में ब्रॉडबैंड के विस्तार में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 08 दिसम्बर, 2010 को "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" शासन को प्रेषित की है।

16. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश की गई है। यह नेटवर्क एक विवृत अभिगम (ओपन एक्सेस) ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा जो कि 500 और अधिक आबादी वाले निवास स्थलों को जोड़ेगा। इस नेटवर्क की स्थापना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी नगरों, शहरी क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के नेटवर्क में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सभी निवास स्थलों में विस्तार होगा और इसे वर्ष 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह नेटवर्क लगभग 66,000 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित किया जाएगा तथा इसका वित्त पोषण यूएसओ फण्ड तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण/गारंटी से होगा।

17. इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी (एनओएफए) बनाई जाएगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी, केन्द्र सरकार की शत्–प्रतिशत स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनी होगी। एक नियंत्रित कंपनी होने के अलावा, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी द्वारा जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आने वाले सभी 63 नगरों में भी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

18. प्रत्येक राज्य में एक राज्य ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी (एसओएफए) की स्थापना की जाएगी जिसमें 51 प्रतिशत इक्विटी राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी की तथा शेष 49 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारित होगी। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी, समस्त राज्य ऑप्टिकल फाइबर एजेंसियों की नियंत्रक कंपनी होगी। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी के समग्र मार्गदर्शन में सभी राज्य ऑप्टिकल फाइबर एजेंसियां, जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत आने वाले नगरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क व बैकहॉल स्थापित करेगी।

19. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना की कल्पना है कि वर्ष 2012 तक 75 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन

दिनांक 06 सितंबर, 2010 को हैदराबाद में
"राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर ओपन हाउस चर्चा

(17 मिलियन डीएसएल, 30 मिलियन केबल और 28 मिलियन वायरलैस ब्रॉडबैंड) तथा वर्ष 2014 तक 160 मिलियन ब्रॉडबैंड (22 मिलियन डीएसएल, 78 मिलियन केबल और 60 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड) कनेक्शन हों।

20. शासन अग्रता के आधार पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मार्ग के अधिकार के प्रभार को अधिसूचित करे व विभिन्न दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मार्ग के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

21. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नांकित बैंड–विड्थों की मदद करेगा :–

क. वर्ष 2014 के अंत तक 63 मेट्रो और बड़े शहरों में जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत आने वाले प्रति परिवार प्रति वायरलाइन कनेक्शन के लिए 10 एमबीपीएस डाउन लोड स्पीड।

ख. वर्ष 2014 तक 352 शहरों में प्रति परिवार, प्रति वायरलाइन कनेक्शन के लिए 4 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड।

ग. वर्ष 2014 तक नगरों व गांवों में प्रति परिवार, प्रति वायरलाइन कनेक्शन के लिए 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड।

* अपलोड गति, डाउनलोड गति के आधे के बराबर होगी।

22. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उद्देश्य जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आने वाले 63 शहरों के घरों को ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध कराना है। अन्य समस्त नगरों में फुटपाथ के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना (किसी भी आवास से 0.5 कि.मी.)।

दिनांक 19 अगस्त, 2010 को दिल्ली में
"राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर ओपन हाउस चर्चा

23. प्राधिकरण द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इस प्रकार परिभाषित किया जाए "किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला एक डाटा कनेक्शन जो कि इंटरनेट एक्सेस सहित अंतःक्रिया (इंटरएक्टिव) सेवाओं को आधार बन सकता हो और 512 किलो बाइट्स प्रति सेकण्ड की न्यूनतम गति को संभाल सकता हो"।

24. उपभोक्ता परिसर उपकरण लागत की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए शासन को ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के यंत्रों और तैयार उत्पादों पर उगाहे जा रहे शुल्कों की समीक्षा करनी चाहिए।

25. इंटरनेट और ब्रॉडबैंड में प्रयोग किए जाने वाले मॉडम और राउटर सहित उपभोक्ता परिसर में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों पर पहले वर्ष में शत्–प्रतिशत मूल्यह्रास पर विचार किया जाना चाहिए।

(iv) दिसम्बर, 2006 व इससे आगे जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में रोल–आउट दायित्वों की स्थिति पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 18 नवम्बर और 22 दिसम्बर, 2010 की सिफारिशें

26. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997 (यथासंशोधित) की धारा 11(1)(ख)(i) के अनुसार भादूविप्रा द्वारा उन सभी सेवा प्रदाताओं, जिन्हें दिसम्बर, 2006 व इससे आगे लाइसेंस जारी किए गए हैं, से रोल–आउट दायित्वों के संबद्ध लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।

27. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसम्बर, 2006 व इससे आगे जारी किए गए 130 लाइसेंसों के संबंध में रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया तथा अपनी दिनांक

18 नवम्बर, 2010 की सिफारिश में 38 यूएएस लाइसेंसों को निरस्त करने के अतिरिक्त परिसमापन हर्जाने की उगाही करने की संस्तुति की है, जबकि 31 लाइसेंसों के मामले में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई कि कानूनी समीक्षा के बाद, निर्धारित हर्जाना लगाने के अलावा इन लाइसेंसों को निरस्त करने पर गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

28. इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 की सिफारिश में मैसर्स आइडिया/स्पाइस के पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्रों से संबंधित पांच लाइसेंसों को निरस्त करने की संस्तुति की है।

(v) 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के वर्ष 2010 में मूल्य पर दिनांक 8 फरवरी, 2011 की सिफारिशें

29. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई, 2010 को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंस देने का ढांचा" पर सिफारिशें दी हैं। यह सिफारिश करते समय कि इस पर आगे विचार–विमर्श होने तक, स्पेक्ट्रम की वर्तमान कीमत के लिए 3जी कीमत को अपनाए जाने को कहा है। प्राधिकरण ने यह उल्लेख किया है कि इस विषय पर और आगे अध्ययन करने के लिए अलग से कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है तथा प्राधिकरण अपने निष्कर्षों से शासन को अवगत कराएगा। प्राधिकरण ने अध्ययन की जिम्मेदारी चार विशेषज्ञों को सौंपीं, उन्होंने **"2010 में 1800 मेगाहट्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम के मूल्य"** विषय पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 जनवरी, 2011 को प्रस्तुत की है।

30. इस रिपोर्ट में 1800 मेगाहट्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम के मूल्य का आंकलन तकनीकी के साथ ही साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया गया है। रिपोर्ट में 1800 मेगाहट्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम के मूल्य को दो भागों में निर्धारित किया गया है – अनुबंधित स्पेक्ट्रम अर्थात 6.2 मेगाहट्र्ज तक का मूल्य और उपचय संबंधी (इन्क्रीमेंटल) स्पेक्ट्रम अर्थात् 6.2 मेगाहट्र्ज से अधिक आगे प्रति मेगाहट्र्ज आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए।

31. प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया गया और यह अनुभव किया है कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जाए। इसे इस बोध के साथ लिया जाए कि ये अनुमानित आंकड़े हैं तथा ये सही/यथार्थ बाजार मूल्य से मेल खा भी सकते हैं और नहीं भी।

32. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2011 के पत्र संख्या 103–2/2011–एमएन द्वारा सिफारिश की गई कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मूल्य/कीमत को बेहतर उपलब्ध आंकड़े के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। प्राधिकरण द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि 1800 मेगाहट्र्ज में 6.2 मेगाहट्र्ज से अधिक आगे के स्पेक्ट्रम के लिए इन अनुमानित आंकड़ों के आधार पर मूल्य लेना, सुस्पष्ट रूप से इस शर्त के अधीन होगा कि अंतिम मूल्य को, बाजार मूल्य दर्शाने के लिए सेवा क्षेत्र जहां नीलामी की गई हो, नीलामी की कीमत के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

33. विशेषज्ञों द्वारा जो अनुमान निकाले गए हैं, वे वर्ष 2010 के लिए हैं। माना कि ये 31 मार्च, 2010 तक के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं, प्राधिकरण द्वारा यह सिफारिश की गई कि इन कीमतों को 01.04.2010 से लागू किया जाए तथा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की कीमत का संबंधित लाइसेंसों की शेष बची वैध अवधि के अनुपातिक आधार पर निर्धारण किया जाए।

(vi) मोबाइल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर संशोधित सिफारिशें

34. "मोबाइल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों" पर भादूविप्रा की दिनांक 23 जनवरी, 2008 पिछली सिफारिशों का उल्लेख करते हुए, शासन द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2010 को भादूविप्रा से अपनी पहले की स्पेक्ट्रम आबंटन, प्रति सेवा क्षेत्रवार लाइसेंसों की संख्या, समुचित लाइसेंस क्षेत्र बनाने के लिए छोटे राज्यों को मिलाना, लाइसेंस अवधि का कार्यकाल और इसके नवीकरण इत्यादि से संबंधित कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इन मुद्दों पर पुनर्विचार करने के बाद, भादूविप्रा द्वारा अपनी सिफारिशें दिनांक 14 अप्रैल, 2010 को शासन को भेजी गई। संशोधित सिफारिशों के मुख्य बिंदु हैं:–

- प्रथम चरण में, देश में एकाधिकार को रोकने के लिए किसी भी तत्व (व्यक्ति/फर्म/संगठन इत्यादि) के पास, देश में दी गई कुल अनुमतियों में से पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो उस अनुबंध के अतिरिक्त था कि एक तत्व (व्यक्ति/फर्म/संगठन इत्यादि) के पास एक सेवा क्षेत्र में केवल एक लाइसेंस होना चाहिए।
- यूएएसएल/सीएमटीएस/लाइसेंसधारकों सहित कोई भी पात्र तत्व (व्यक्ति/फर्म/संगठन इत्यादि) बोली लगाने की प्रक्रिया में सहभागिता कर सकता है।
- किसी भी लाइसेंस के कार्यकाल को, लाइसेंसधारक के विकल्प पर, एक बारगी (वन टाइम) प्रवेश फीस (ओटीईएफ) का भुगतान करके आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथापि नवीकरण के समय, एक बारगी प्रवेश फीस के संबंध में निर्णय, जब भी लाइसेंसों के नवीकरण संबंधी नीति अधिसूचित होती है, के बाद लिया जाए।
- लाइसेंसधारी को, रोल आउट दायित्व पूरे कर लेने के बाद ही लाइसेंस सौंपने अथवा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए।
- लाइसेंस फीस, सकल आय के 4 प्रतिशत अथवा आरक्षित ओटीईएफ के 5 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, के अनुसार ली जाए।

- रोल आउट दायित्व निम्न रीति के अनुसार तीन चरणों में होने चाहिए :–
  - पहले चरण में, एक लाइसेंसधारी द्वारा, स्पेक्ट्रम आबंटन के बारह महीनों के अंदर, लाइसेंस क्षेत्र की सीमा में (2001 की जनगणना के अनुसार) एक मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी शहरों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में, मोबाइल टीवी का प्रसारण प्रारंभ कर दिया जाए।
  - दूसरे चरण में, लाइसेंसधारक द्वारा स्पेक्ट्रम आबंटन के चौबीस महीनों के अंदर लाइसेंस क्षेत्र की सीमा में (2001 की जनगणना के अनुसार) एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों/नगरों में मोबाइल टीवी का प्रसारण प्रारंभ कर दिया जाए।
  - तीसरे चरण में, लाइसेंसधारी द्वारा स्पेक्ट्रम आबंटन के छत्तीस महीने के अंदर, लाइसेंस क्षेत्र की सीमा में सभी जिला मुख्यालयों में, मोबाइल टीवी का प्रसारण प्रारंभ कर दिया जाए।

- रोल आउट दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब के लिए छह माह की अवधि के लिए परिसमापन हर्जाना आकर्षित करेगा और इसके बाद की

चूक के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा व स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाएगा।

(vii) प्रसारण सेक्टर के लिए सीधे विदेशी निवेश की सीमाओं के संबंध में दिनांक 30 जून, 2010 की सिफारिशें

36. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2010 को प्रसारण सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श प्रक्रिया व आंतरिक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 30 जून, 2010 को "प्रसारण सेक्टर के लिए सीधे विदेशी निवेश की सीमा" पर अपनी सिफारिशें शासन को प्रस्तुत की है।

37. मुख्य सिफारिशें हैं :–

(i) प्रसारण वहन (कैरिज) सेवाओं अर्थात् डीटीएच, आईपीटीवी, मोबाइल टीवी, एचआईटीएस, टेलीपोर्ट और राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय एमएसओ जो कि डिजिटल एड्रेसेबल परिवेश में उन्नयन कर रहे हैं, के लिए विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत होगी।

(ii) एलसीओ के लिए विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत होगी।

(iii) समाचार व करेन्ट अफेयर्स टीवी चैनलों व एफएम रेडियो के लिए विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत होगी।

(iv) समाचार व करेन्ट अफेयर्स टीवी चैनलों के अलावा अन्य टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(viii) भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की सिफारिशें

38. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग नीति के मुद्दे पर दिनांक 15 मार्च, 2010 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। परामर्श प्रक्रिया व आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2010 को अपनी सिफारिशें शासन को प्रस्तुत की गई हैं।

39. सिफारिशों के मुख्य बिंदु हैं :–

(क) भारत से डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग के लिए सेटेलाइट आधारित टीवी चैनलों की संख्या पर उच्चतम सीमा की कोई रोक नहीं है।

(ख) समाचार व गैर–समाचार टीवी चैनलों और टेलीपोर्ट की कुल संपदा(नेटवर्थ) का पुनरीक्षण;

(ग) शीर्ष प्रबंधन में कम से कम एक व्यक्ति के अनुभव सहित टीवी चैनलों के पंजीकरण की शर्तों का पुनरीक्षण करना;

(घ) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग अनुमति के लिए 10 वर्ष की एक समान अवधि, अनुमति की अहस्तांतरणीयता, अनुमति फीस और इसकी आवधिकता का पुनरीक्षण इत्यादि की व्यवस्था करना;

(च) भारत को टेलीपोर्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने की पहल।

(ix) भारत में एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी का कार्यान्वयन करने के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशें

40. भारत में विगत सत्रह वर्षों के दौरान केबल और सेटेलाइट टीवी सेवाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। तथापि, एनालॉग केबल टीवी सेवाएं, जो कि केबल और सेटेलाइट टीवी जगत का अधिकांश हिस्सा है, की गुणवत्ता कई समस्याएं खड़ी करती है। एनालॉग केबल टीवी में, क्षमता के प्रतिबंध तथा गैर एड्रेसेबल प्रकृति, जटिल व्यावसायिक लेन–देन और मुकदमों की संख्या में वृद्धि सहित कई समस्याएं उत्पन्न करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में, उपभोक्ता सहित वितरण श्रृंखला के सभी स्तरों पर बेहतर संतुष्टि के आश्वासन के साथ अपेक्षित समाधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली, ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित प्रदान की जाने वाली सेवा के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। सभी पहलुओं तथा परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त योगदान/जानकारी पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2010 को भारत मे डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई।

41. मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैः–

- 31 दिसम्बर, 2013 को देश में एनालॉग टीवी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तथा इसे चरणबद्ध चार–चरणों में एनालॉग गैर एड्रेसेबल से डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली में स्थानांरित किया जाएगा;
- समापन तिथि से पहले डिजिटल एड्रेसेबल वितरण नेटवर्क स्थापित करने वाले विभिन्न स्टेकहोल्डरों को टैक्स राहत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना;
- सभी डिजिटल हेडइंड उपकरणों और एसटीबी के लिए सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर देना;
- गैर विशिष्ट आधार पर ऑप्टिकल फाइबर/केबल बिछाने के लिए एमएसओ/एलसीओ को मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) प्रदान करना;
- प्रसारण वितरण सेक्टर पर करों/उगाहियों को युक्तिसंगत बनाना; और
- समस्त स्टेकहोल्डरों को डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के लाभों के संबंध में शिक्षित करके, उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(x) निजी एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें

42. निजी एफएफ रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 22 फरवरी, 2008 की पहले की सिफारिश पर निर्देश देते हुए, शासन द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2011 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से निविदा प्रक्रिया, आरक्षित मूल्य, वार्षिक लाइसेंस फीस और लाइसेंस अवधि से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें मांगी गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इन मुद्दों पर दिनांक 09 फरवरी, 2011 को शासन को अपनी सिफारिशें भेजी गई। सिफारिशों में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :–

- एफएम रेडियो के लिए तीसरे चरण में लाइसेंस आबंटन हेतु 'आवश्यक परिवर्तन सहित' 3जी आरोही ई–नीलामी पद्धति को अपनाने में भादूविप्रा को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुझाव भी दिया गया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए

कि ईको–प्रणाली और ई–नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय, समस्त संबंधित प्रशासनिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए।

- मंत्रियों के समूह द्वारा नए चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य, दूसरे चरण के दौरान तुलनीय/समान नगरों/शहरों से प्राप्त वास्तविक मूल्य के आधार पर रखने की सिफारिश की है। प्रस्तावित कार्यवाही पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

- मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार, लाइसेंसों के लिए 15 वर्ष की वैधता अवधि निर्धारित किए जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

(xi) भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर दिनांक 22 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

43. भारत में, टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर भादूविप्रा की दिनांक 22 जुलाई, 2010 की सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाते हुए, शासन द्वारा दिनांक 02.02.2011 को भादूविप्रा से कुछ मुद्दों पर संशोधित सिफारिशें मांगी गई। भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22.02.2011 को अपनी संशोधित सिफारिशें शासन को भेजी गई। संशोधित सिफारिशें मुख्यतः आवेदक कंपनियों की अपेक्षित निवल आर्थिक हैसियत (नेटवर्थ), उनकी पात्रता के मापदण्ड, साथ ही किसी मीडिया कंपनी में शीर्ष प्रबंधक का पद धारण करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के अनुभव के मापदण्ड और रोल आउट दायित्वों के प्रावधानों का प्रवेश करने से संबंधित थी। प्राधिकरण द्वारा अपनी इस मान्यता को पुनः दोहराया गया कि बच्चों/वैज्ञानिक/शिक्षा संबंधी चैनलों के लिए अपेक्षित निवल आर्थिक हैसियत 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए तथा शैक्षणिक चैनल स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवर्तित सोसाइटियों/कंपनियों के लिए निवल आर्थिक हैसियत की शर्त से छूट प्रदान की जाए।

(xii) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल टीवी प्रणाली लागू करने पर दिनांक 22 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें

44. भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली लागू करने के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 05 अगस्त, 2010 की पहले की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए, शासन द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2011 को अन्य मुद्दों के अलावा भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी के लागू किए जाने के संबंध में भादूविप्रा से संशोधित सिफारिशें मांगी गई। संदर्भित मुद्दों पर भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2011 को अपनी सिफारिशें भेजी गई। संशोधित सिफारिशों के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं:–

- पहले चरण में, चार मेट्रो शहरों में व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, 2011 तक की समय–सीमा की सिफारिश की गई थी, दूसरे चरण में दस लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों में व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, 2012 तक की समय–सीमा की सिफारिश की गई थी तथा तीसरे व चौथे चरण के लिए सभी शहरी क्षेत्रों के साथ ही साथ शेष भारत में व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, 2013 तक की समय–सीमा की सिफारिश की गई थी।

- विस्तृत योजना तैयार करने और समय–सीमा का पालन करने के लिए रणनीति का निरीक्षण

करने के उद्देश्य से, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष कार्य बल का गठन करना।

(xiii) 'दूरसंचार उपकरण विनिर्माण संबंधी नीति' पर सिफारिशें

45. भारत में दूरसंचार विनिर्माण से संबंधित मुद्दों को लाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मई, 2010 में परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया। प्राप्त टिप्पणियों तथा और आगे अध्ययन के आधार पर स्टेकहोल्डरों के विचार जानने के लिए दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 को "भारत में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने" के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया गया। प्राप्त सुझावों एवं खुला मंच चर्चा के दौरान प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को, "दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति" पर अपनी सिफारिशें जारी की गई। इन सिफारिशों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निम्न हैः–

- स्वदेशी निर्मित उत्पादों द्वारा वर्ष 2015 तक 45 प्रतिशत घरेलू मांग व वर्ष 2020 तक 80 प्रतिशत घरेलू मांग पूरी करना।
- भारतीय उत्पादों को वर्ष 2015 तक 25 प्रतिशत तक और वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तक बाजार अभिगम (मार्केट एक्सेस) उपलब्ध कराना।
- स्वदेशी निर्मित उत्पादों के परिमाण में (वैल्यू एडीशन) वर्ष 2015 तक 35 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 65 प्रतिशत वृद्धि करना।

प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित सिफारिशें की गई हैं:–

1. निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच एक समन्वयक के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार उपकरण निर्माता संगठन (टीईएमओ) स्थापित करना।
2. टीईसी को एक स्वायत्त परीक्षण और प्रमाणन संगठन (टीसीओ), जो कि भारतीय और वैश्विक, दोनों उत्पादों का परीक्षण और प्रमाणन करेगा, में परिवर्तन करना।
3. टीईएम को बढ़ावा देने के लिए 10 दूरसंचार समूहों (क्लस्टरों) की पहचान करना तथा एक समयबद्ध तरीके से इन समूहों (क्लस्टरों) में से आधारभूत संरचनाओं संबंधी कमियों को दूर करना।

दिनांक 02 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में
"दूरसंचार उपस्करण विनिर्माण" पर ओपन हाउस चर्चा

4. अनुसंधान आईपीआर सृजन, विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निधि (टीआरडीएफ) स्थापित करना और अनुसंधान व विकास, नव प्रवर्तन (इन्नोवेशन), आईपीआर सृजन तथा दूरसंचार उद्योग की तेज व धारणीय वृद्धि (सस्टेनेबल ग्रोथ) के लिए व्यवसायीकरण की सुविधा के लिए अनुसंधान पार्क स्थापित करना।

5. 3000 करोड़ रुपए का दूरसंचार विनिर्माण निधि (टीएमएफ) स्थापित करना, जो देशी विनिर्माताओं को व्यवसायीकरण परियोजना विकास व ब्रान्ड सृजन से पहले व इसके बाद जोखिम पूर्ण कार्य के लिए सहायता देने के लिए कम लागत पर वित्त पोषण के रूप में, पूंजी उपलब्ध कराएगी।

6. सुरक्षा मानकों सहित, दूरसंचार मानकों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का संचालन करने (ड्राइविंग और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के प्रयोग में आने वाले उपकरणों की विशिष्टियों (विशेष विवरणों) को तैयार करने से संबंधित समस्त काम करने के लिए दूरसंचार मानक संगठन (टीएसओ) की स्थापना करना।

7. भारत निर्मित उत्पादों और भारतीय उत्पादों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है।

   - राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी प्रस्ताव किया गया है, और
   - इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों (कम्पोनेंट) के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए भी उपाय सुझाए गए हैं।

(xiv) हरित दूरसंचार पर सिफारिशें

46. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा "हरित दूरसंचार" विषय पर, स्टेकहोल्डरों के विचार मांगने के लिए दिनांक 18 जून, 2010 को एक परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त अभिमतों के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2011 को "हरित दूरसंचार" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दे विचार–विमर्श के लिए उठाए गए :–

- भारत में दूरसंचार सेक्टर के कार्बन पदचिह्नों का अनुमान।
- भारतीय दूरसंचार सेक्टर के लिए कार्बन क्रेडिट नीति की आवश्यकता व इसका ढांचा।
- दूरसंचार सेक्टर के कार्बन पदचिह्नों को कम करने के उपाय।
- ऊर्जा दक्ष यंत्रों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादों व सेवाओं के हरित होने के मानक, परीक्षण और प्रमाणन।
- ई–कचरे का प्रबंधन।

स्टेकहोल्डरों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तथा उनका आगे विश्लेषण करने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा "हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण" पर अपनी सिफारिशों को दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य सिफारिशें हैं:–

- सेक्टर को हरित बनाने के उपाय, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का अंग होंगे।
- आगामी 5 वर्षों में – सभी ग्रामीण टावरों के 50 प्रतिशत तथा सभी शहरी टावरों के 30 प्रतिशत टावरों का संचालन मिश्रित/हाईब्रिड पावर (नवीकृत ऊर्जा स्रोत + ग्रिड पावर) द्वारा किया जाएगा।
- वर्ष 2015 तक सेक्टर में परिनियोजित सभी उपकरणों, उत्पादों और सेवाओं का ऊर्जा

दिनांक 18 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में
"हरित दूरसंचार" पर ओपन हाउस चर्चा

और निष्पादन मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा ये "हरित पासपोर्ट" के रूप में प्रमाणित होने चाहिए।

- वर्ष 2015 तक सभी मोबाइल फोन ब्रोमीनेट्स, क्लोरीनित मिश्र (क्लोरी नेटेड कम्पाउन्ड्स) और एन्टीमोनी ट्राइआक्साइड से मुक्त होने चाहिए।
- सभी मोबाइल निर्माता/वितरक, ई–कचरे, मोबाइल फोन, बैटरियों, चार्जरों इत्यादि को एकत्रित करने के लिए, पूरे देश में उपयुक्त स्थानों पर संग्रहण (कलेक्शन) बिन रखेंगे।

(xv) दूरसंचार अवसंरचना नीति पर सिफारिशें

47. दिनांक 14 जनवरी, 2011 को भादूविप्रा द्वारा "दूरसंचार अवसंरचना नीति से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों व स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार अवसंरचना नीति पर, दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को सिफारिशें जारी की गई। इन सिफारिशों के मुख्य बिंदु हैं :–

- दूरसंचार अवसंरचना को एक अनिवार्य अवसंरचना माना जाए।
- धारा 80 1क के अंतर्गत, दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को करों में छूट प्रदान की जाए।
- अवसंरचना प्रबंधकों/संभरकों (आईपी–1) को सक्रिय नेटवर्क (एंटेना तक सीमित), फीडर केबल, नोड बी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) और प्रेषण (ट्रांसमिशन) प्रणाली लगाने व भागीदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि उन्हें प्रस्तावित लाइसेंस देने की एकीकृत व्यवस्था (यूनीफाइड लाइसेंसिंग रेज़ीम) के अंतर्गत लाया जाता है।

दिनांक 25 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में
"दूरसंचार अवसंरचना नीति" पर ओपन हाउस चर्चा

- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुमति 45 दिन के अंदर दी जानी चाहिए तथा केबल डालने के लिए एक–समान पुनःस्थापना प्रभार लागू किया जाना चाहिए।
- अनुमति देने से इंकार करने अथवा शर्तों का अधिरोपण करने के मामलों को निपटाने के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- टावरों की संख्या में कमी लाने, बेहतर प्रसारण तथा कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए, इंडोर बिल्डिंग सोल्यूशन्स (आईबीएस) और डिस्ट्रीब्यूटेड एंटेना प्रणाली (डीएएस) का परिनियोजन किया जाए।
- दूरसंचार विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे आगामी एक वर्ष के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भवनों सहित केन्द्र सरकार के सभी भवनों हवाई अड्डों और उनके क्षेत्राधिकार व नियंत्रण में आने वाले भवनों में आईबीएस/डीएएस सोल्यूशन्स उपलब्ध कराएं।
- इसी प्रकार सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे आगामी एक वर्ष के अंदर 100 से अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालयों सहित सभी भवनों, 25000 वर्ग फुट से अधिक के सुपर निर्मित क्षेत्र वाले शापिंग माल्स में आईबीएस/डीएएस सोल्यूशन्स उपलब्ध कराएं/लगाने के आदेश दें।
- जहां तक बाहरी प्रसारण (आउटडोर कवरेज) का प्रश्न है, 63 जेएनएनयूआरएम नगरों में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के अंतर्गत आप्टीकल फाइबर नेटवर्क का कार्य पूरा होने के बाद, 18 महीनों के भीतर इन नगरों में डीएएस को स्थापित करना, अनिवार्य किया जाए।
- दूरसंचार के लिए उपयोग में लाए जा रहे सभी प्रकार के टावरों के लिए टीईसी द्वारा

मानक विकसित किए जाएं। इन मानकों को सभी सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य बनाया जाए। लाइसेंस की शर्तों को संशोधित करके इनमें जोड़ा जाए कि सभी टावर, टीईसी द्वारा विकसित मानकों के अनुरूप होंगे।

- हेरिटेज, पर्यावरणीय और वास्तुकला के महत्व वाले क्षेत्रों में छद्यावरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और हेरिटेज, सुरक्षा तथा पर्यावरणीय महत्व के क्षेत्रों में अवसंरचना की भागीदारी करने के आदेश दिए जाने चाहिए।
- मोबाइल यथार्थ (वर्च्युअल) नेटवर्क प्रचालकों की वृद्धि को सुसाध्य बनाने के लिए एक संशोधित ढांचा (एमवीएनओ)।
- इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स (आईएक्सपी) को क्लास लाइसेंस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और तेजी से विकसित हो रही घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के कुशल व प्रभावशाली अनुमार्गण (रूटिंग) को सुसाध्य बनाने के लिए डाटा केन्द्रों को सीधे आईएक्सपी से जोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- वर्ष 2012 तक समस्त सरकारी वेबसाइटों को आईपीवी6 का अनुपालक बनाया जाना चाहिए और आईआईटी, आईआईएस जैसी अकादमिक संस्थाओं के पास पहले से उपलब्ध आईपीवी6 बेड सुविधाओं को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि स्टेकहोल्डरों तक पहुंच आसान हो सके।
- दूरसंचार विभाग द्वारा समस्त राज्य सरकारों को पत्र लिखे जाएं कि वे राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को निदेश दें कि वे दूरसंचार टावर स्थलों को ग्रिड पावर का संयोजन अग्रता के आधार पर उपलब्ध कराएं।

48. वर्ष 2010–11 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित विनियम जारी किए गए :–

(i) दूरसंचार मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2010

(ii) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 दिनांक 01 दिसम्बर, 2010

(iii) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 14 दिसम्बर, 2010

(iv) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

(v) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तृतीय संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 31 जनवरी, 2011

(vi) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 28 फरवरी, 2011

(vii) दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2011 दिनांक 07 मार्च, 2011

(viii) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पांचवां संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 18 मार्च, 2011

(ix) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010

49. इन विनियमों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 व संशोधन

50. भादूविप्रा द्वारा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों और इस कारण उपभोक्ताओं के असंतोष को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनियम तैयार किया गया। इस उद्देश्य के लिए भादूविप्रा द्वारा मई, 2010 में परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक चर्चाओं के बाद, भादूविप्रा द्वारा **"दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010"** जारी किया गया। पिछले विनियमों, जिनमें केवल "कॉल–न–करें रजिस्ट्री" की व्यवस्था थी, के विपरीत जारी किए गए विनियम में, उपभोक्ता को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। वह "पूर्णतः निरूद्ध" श्रेणी जो कि पिछले विनियम की "कॉल–न–करें" रजिस्ट्री के समान है, को चुन सकता है अथवा वह आंशिक रूप से निरूद्ध श्रेणी को चुन सकता है, इस मामले में उसको, उसके द्वारा चुनी हुई श्रेणी/श्रेणियों के एसएमएस प्राप्त होते रहेंगे। आंशिक रूप से निरूद्ध श्रेणी, कॉल–करें रजिस्ट्री के समान है। प्राधिकरण के सतत् प्रयासों के द्वारा मूल विनियम के सभी प्रावधान दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से प्रभावी हो गए हैं।

पहला संशोधन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार विनियम प्रभावशाली होंगे।

दूसरा संशोधन टेलीमार्केटरों का पंजीकरण 15 जनवरी, 2011 से प्रभावी होगा। अन्य प्रावधान 1 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो गए हैं।

तीसरा संशोधन टेलीमार्केटरों का पंजीकरण 15 जनवरी, 2011 से प्रभावी हो गया है। उपभोक्ता अधिमान का पंजीकरण 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो गया तथा विनियम के अन्य प्रावधान 01 मार्च, 2011 से प्रभावी हो गए हैं।

चौथा संशोधन टेलीमार्केटरों का पंजीकरण 15 जनवरी, 2011 से प्रभावी हो गया है। उपभोक्ता अधिमान का पंजीकरण 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो गया तथा विनियम के अन्य प्रावधान 21 मार्च, 2011 से प्रभावी हो गए हैं।

पांचवां संशोधन अन्य प्रावधान उन तिथियों से प्रभावी होंगे जैसी कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती हैं।

(ii) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 का मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010

51. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 सितम्बर,2010 को ''मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) विनियम,2009'' जारी किया गया। मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) द्वारा उपभोक्ताओं को मोबाइल प्रौद्योगिकी का ध्यान किए बिना, एक एक्सेस प्रदाता को छोड़कर दूसरे के पास जाते समय अथवा एक ही अनुज्ञापित सेवा क्षेत्र में अभिदाता की एक सेल्युलर प्रौद्योगिकी से दूसरी में जाते समय अपना विद्यमान मोबाइल नम्बर बनाए रखने का अवसर प्रदान किया गया है। नए दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास जाने के बावजूद अपना विद्यमान मोबाइल टेलीफोन

नम्बर बनाए रखने की सुविधा से उपभोक्ता को अपने मित्रों/उपभोक्ताओं से संपर्क बनाए रखने में सहायता मिलती है। मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) के प्रारंभ करने से सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होती है तथा यह, सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। इस विनियम का द्वितीय संशोधन दिनांक 24 नवम्बर, 2010 को जारी किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप मूल विनियम के कुछ विनियम, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 से हरियाणा सेवा क्षेत्र में प्रभावी हुए। आगे इस संशोधन की शर्तों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से, दाता प्रचालक के लिए आधारभूत विनियम के विनियम 10 में दी गई समयोचित्तता को 24 घंटे से बढ़ाकर 4 कार्य दिवस कर दिया गया।

(iii) दिनांक 07 मार्च,2011 का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण व संरक्षण निधि विनियम, 2007 (संशोधन)

52. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा एक विनियम अधिसूचित किया गया है, जिसे दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 कहते हैं। यह सेवा प्रदाताओं को उनके पास पड़ी हुई उपभोक्ताओं की वापस नहीं लौटाई गई धनराशि को, कॉरपोरेशन बैंक में, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण निधि" के नाम पर खोले गए खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण निधि के उपयोग पर बनी समिति में पंजीकृत उपभोक्ता संरक्षण समूहों (कन्ज़यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स) को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने समस्त स्टेकहोल्डरों से विचार मांगने के बाद दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में दिनांक 07 मार्च, 2011 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया है और इस प्रकार समिति में उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) का प्रतिनिधित्व दो से बढ़कर पांच हो गया है।

(iv) दूरसंचार(प्रसारण एवं केबल सेवा) अंतःसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम

53. इस उद्देश्य के लिए दिनांक 6 अप्रैल, 2010 को परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में, परामर्श के लिए सामने रखे गए मुद्दों को दो प्रमुख वर्गों अर्थात् अंतःसंयोजन मुद्दे और प्रशुल्क संबंधी मुद्दे में समूहित किया गया। प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों पर अलग से विचार किया गया है। विषय के सभी पहलुओं, जैसे कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान उभर कर आए हैं, पर विचार करने पर, प्राधिकरण द्वारा एचआईटीएस प्रचालक की परिभाषा को संशोधित करके, इन प्रचालकों द्वारा उपयोग के लिए सी और केयू बैंड उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के लिए अंतःसंयोजन विनियम को संशोधित किया गया। चूंकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एचआईटीएस प्रचालकों को अपने केबल नेटवर्क पर अपने स्थलीय अभिग्राही स्टेशन पर संकेतों को डाउनलिंक करने के बाद बहु–चैनल टीवी कार्यक्रमों को वितरित करने की अनुमति प्रदान करते हैं और साथ ही एचआईटीएस प्रचालकों को यह दायित्व भी देते हैं कि वे,अन्य एमएसओ अथवा केबल प्रचालकों के संघ के लिए आधारभूत संरचना सुविधा उपलब्ध कराने वाले सहयोगी बनें,

अतः "एचआईटीएस प्रचालक" और "बहु–प्रणाली प्रचालक" की वर्तमान परिभाषा के दायरे को उपयुक्त रूप से बढ़ा दिया गया है। तद्नुसार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को दूरसंचार(प्रसारण व केवल सेवाएं) अंतःसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम जारी किया गया।

54. वर्ष 2010–11 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित प्रशुल्क आदेश जारी किए गए :–

(i) दिनांक 21 जुलाई,2010 का दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा(चौथा) (एड्रेसेबल सेवा) प्रशुल्क आदेश,2010

55. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2010 को "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चौथा) (एड्रेसेबल) प्रशुल्क आदेश", 2010 (2010 का 1) अधिसूचित किया गया। देश का केबल व सेटेलाइट टीवी क्षेत्र अधिकांशतः एनालॉग और गैर एड्रेसेबल है। एनालॉग प्रणालियों में क्षमता व गुणवत्ता की बाधाएं हैं तथा यह उपभोक्ताओं को चयन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता है। उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। दिनांक 21 जुलाई, 2010 को जारी किया गया प्रशुल्क आदेश इन प्रयासों की दिशा में एक कदम है। इस प्रशुल्क आदेश के अंतर्गत समस्त डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी आते हैं।

56. यह प्रशुल्क आदेश उपभोक्ताओं को चैनलों के संबंध में प्रत्येक चैनल के लिए अलग मूल्य व किराए के बिल (ए–ला–कार्टे) के अनुसार पसंद का विकल्प प्रदान करता है। चैनलों को किराए के बिल के (ए–ला–कार्टे) प्रावधान के अलावा, प्रचालक चैनलों के समूह (पैकेज) का प्रस्ताव भी कर सकता है। चैनलों/समूह (पैकेज) का मूल्य परिहार (फोरबीयरेंस) के अंतर्गत है, परन्तु प्रचालक के साथ पंजीयन की तिथि से 6 माह तक अभिदान (सबक्रिप्शन) प्रभारों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। एक प्रचालक मासिक अभिदान की शर्त रख सकता है जो कि प्रचालक की सेवाएं लेने के लिए प्रति माह, प्रति उपभोक्ता (टैक्सों को छोड़कर) 150/–रु0 तक हो सकता है। थोक स्तर पर प्रसारक समूह (पैकेज) का प्रस्ताव कर सकते हैं, परन्तु वे प्रचालकों को गैर एड्रेसेबल प्रणाली की तदनुरूप दरों से 35 प्रतिशत तक अधिक दरों पर किराए के बिल (ए–ला–कार्टे) के आधार पर चैनलों का प्रस्ताव करने के लिए अधिदेशाधीन है। इसके अतिरिक्त, प्रसारक विकल्प के तौर पर समूह का प्रस्ताव भी कर सकते हैं तथापि समूह का संयोजन गैर एड्रेसेबल प्रणाली के जैसा होना चाहिए तथा इसकी दरें भी गैर एड्रेसेबल प्रणाली की अनुरूपी दरों से 35 प्रतिशत तक ही अधिक हो सकती है।

57. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने आदेशों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान सेवा प्रदाताओं को निम्नांकित निदेश जारी किए गए :–

(i) शार्ट कोड नंबर 1900 पर एसएमएस भेजने के लिए उपभोक्ताओं से उगाहे जा रहे प्रभार के संबंध में दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 को समस्त मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं और यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदाताओं को जारी निदेश।

(ii) दिनांक 20 जनवरी, 2011 से समस्त दूरसंचार क्षेत्रों में मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 18 जनवरी, 2011 को समस्त सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं, यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) सेवा प्रदाताओं को जारी निदेश।

(iii) यूनिक पोर्टिंग कोड के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश के संबंध में दिनांक 21 जनवरी, 2011 का संशोधन, जो कि समस्त सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं, यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) प्रदाताओं को जारी किया गया।

(iv) मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) पर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में जारी दिनांक 22 फरवरी, 2011 का निदेश।

(v) मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) पर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में जारी दिनांक 22 फरवरी, 2011 का निदेश।

58. वर्ष 2010–11 के दौरान सेवा प्रदाताओं को जारी निदेशों के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है :–

(i) शॉर्ट कोड नम्बर 1900 पर एसएमएस भेजने पर उपभोक्ताओं से लिए जा रहे प्रभार के संबंध में दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 को समस्त सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदाताओं को जारी निदेश

59. इस निर्देश के द्वारा, प्राधिकरण ने सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और यूनीफाइड एक्सेस प्रदाताओं को निदेश दिए गए कि शॉर्ट कोड नंबर 1900 को मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) के लिए अनुरोध करते हुए भेजे गए एसएमएस को प्रभार वसूलने के लिए सामान्य एसएमएस माना जाए तथा ऐसे एसएमएस की दरें, उपभोक्ता द्वारा चुनी गई टैरिफ योजना के अंतर्गत सामान्य एसएमएस के लिए लागू प्रशुल्क से अधिक नहीं होगी।

(ii) दिनांक 20 जनवरी, 2011 से समस्त दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) के कार्यान्वयन के संबंध में जारी 18 जनवरी, 2011 का निदेश

60. इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा देश में 20 जनवरी, 2011 से समस्त दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में प्रभावी दूरसंचार के लिए मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) विनियम, 2009 के विनियम 6 (मोबाइल नंबर सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) संबंधी अनुरोध के लिए पात्रता के लिए मानदंड), 7 (मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) के लिए अनुरोध), 8 (प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा कार्रवाई), 9 (मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) सेवा प्रदाता द्वारा कार्रवाई), 10 (दाता (डोनर) प्रचालक द्वारा कार्रवाई), 11 (मोबाइल नंबर का स्थानांनतरण (पोर्टिंग), 12 (दाता प्रचालक द्वारा स्थानांनतरण (पोर्टिंग) के अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार), और 13 (स्थानांनतरण अनुरोध को वापस लेना) लाए गए।

(iii) दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश संख्या 116–9/2009–एमएन के संशोधनों के संबंध में जारी दिनांक 21 जनवरी, 2011 का निदेश

61. दिनांक 21 जनवरी, 2011 के निदेश द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में संशोधन

किया गया। दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश के अनुसार, यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) में आठ चिह्न (कैरेक्टर) होंगे, जिनमें से पहले दो चिह्न वर्णमाला के होंगे जो कि सेवा प्रदाता के कोड व इस निदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' और 'ख' में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र कोड को सूचित करते हैं, और शेष 6 चिह्नों में 1 से 9, केवल ए–एन और पी–जेड होंगे, तथा छोटे अक्षरों और वर्ण 'ओ' का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

62. हरियाणा सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) दिनांक 25 नवम्बर, 2010 से कार्यान्वित कर दी गई है तथा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ता/पाने वाले प्रचालक द्वारा गलत यूनिट पोर्टिंग कोड भरे जाने के कारण घटित अस्वीकरणों की संख्या काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण ऐल्फा – संख्यावाचक चिह्नों को या तो पढ़ने अथवा लिखने में हुई गलती है, चूंकि कुछ ऐल्फा संख्यावाचक चिह्न, जैसे '1 व आई', 'यू और वी', 'एस और 5' इत्यादि को भरने/लिखने में गलती की संभावना हो सकती है।

63. अतः उपभोक्ता के हित में, प्राधिकरण द्वारा फॉर्मेट को सरल बनाने के लिए दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में संशोधन किया गया। संशोधित यूपीसी फॉर्मेट में अब आठ चिह्न होंगे, जिनमें से पहले दो वर्ण होंगे जो कि निदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' और 'ख' में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता कोड व सेवा क्षेत्र कोड को विनिर्दिष्ट करते हैं, तथा शेष चिह्नों में केवल संख्यावाचक चिह्न 1 से 9 होंगे, और वर्ण '0' के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

(iv) मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) पर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में जारी दिनांक 22 फरवरी, 2011 का निदेश

(v) मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) पर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में जारी दिनांक 22 फरवरी, 2011 का निदेश

64. दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम 2003 की "अनुसूची–4" के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को एसएमएस पर भेदमूलक प्रभार लेना बंद करने के निदेश जारी किए गए।

65. वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 16 परामर्श पत्रों पर प्रक्रिया आरम्भ की। इन परामर्श प्रक्रियों के परिणामस्वरूप 08 के संबंध में सिफारिशें/विनियम/आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिन शेष 08 परामर्श पत्रों पर परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं है, वे निम्न प्रकार हैं:–

(i) दूरसंचार क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 02 अगस्त, 2010 का परामर्श पत्र

66. दूरसंचार सेवाओं की बढ़ रही पैंठ, अपने घेरे में अधिक लोगों को ला रही है, इनमें से अधिकांश हिस्सा मूल्यवर्धित सेवाओं का है। उपभोक्ता हितों का प्रभावशाली ढंग से संरक्षण करने को निरंतर अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दिनांक 25 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में
"टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के उपायों की समीक्षा" पर ओपन हाउस चर्चा

दिनांक 21 जनवरी, 2011 को चेन्नई में
"टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के उपायों की समीक्षा" पर ओपन हाउस चर्चा

दिनांक 11 मार्च, 2011 को लखनऊ में
"टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के उपायों की समीक्षा" पर ओपन हाउस चर्चा

दिनांक 16 मार्च, 2011 को कोलकाता में
"टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के उपायों की समीक्षा" पर ओपन हाउस चर्चा

द्वारा इस मुद्दे पर समय–समय पर कई विनियम जारी किए गए हैं। हालांकि इन विनियमों से उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने में सहायता मिली है फिर भी, उपभोक्ताओं के और हित लाभ के लिए निरंतर शिकायत निवारण प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। समस्त प्रासंगिक मुद्दों पर केन्द्रित चर्चा प्रारंभ करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2010 को "उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

(ii) मल्टी ऑपरेटर मल्टी सेवा परिदृश्य में इन्टेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं संबंधी विनियम, 2006 में संशोधन का प्रारूप

67. दूरसंचार विभाग द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की लम्बी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्ड के प्रावधानों की सिफारिशें स्वीकार कर लेने तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंस के अनुबंधों के संबंधित उपबंधों में परिणामी संशोधनों के बाद, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल के लिए कॉलिंग कार्ड जारी करने के लिए पात्र हो गए हैं। अतः, इंटेलीजेंट नेटवर्क विनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया ताकि सेवा प्रदाता, उन अन्य सभी सेवा प्रदाताओं के साथ जो कि पहले से ही इंटेलीजेंट नेटवर्क आधारित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं अथवा भविष्य में उपभोक्ताओं के हित में इंटेलीजेंट नेटवर्क पर आधारित सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रारंभ करेंगे, के साथ अनुबंध कर सकें। उक्त विनियम में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप स्टेकहोल्डरों से टिप्पणी प्राप्त करने हेतु जारी किया गया।

(iii) "दूरसंचार प्रशुल्क (टैरिफ) से संबंधित कुछ मुद्दों" पर दिनांक 13 अक्तूबर, 2010 का परामर्श पत्र

68. दूरसंचार सेवाओं और प्रशुल्क (टैरिफ) आदेशों में पारदर्शिता हमेशा से और अब भी प्राधिकरण के लिए प्रमुख चिंता का विषय रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विगत में, प्रशुल्क आदेशों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं व उनके प्रतिनिधियों द्वारा और अधिक प्रभावशाली पारदर्शिता उपाय करने की मांग के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2010 "दूरसंचार प्रशुल्कों से संबंधित मुद्दों पर" को एक परामर्श पत्र जारी किया।

(iv) मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की सेवा गुणवत्ता पर दिनांक 28 अक्तूबर,2010 का परामर्श पत्र

69. भारत सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयिक समूह (आईएमजी) द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग द्वारा बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए ढांचा तैयार किया गया है। समूह द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को वित्तीय सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोबाइल टेलीफोनों का प्रयोग करके वित्तीय लेन–देन को आधार प्रदान करने के लिए, सेवा पैरामीटर की गुणवत्ता के संबंध में, प्रासंगिक मुद्दों पर केंद्रित (फोकस्ड) चर्चा प्रारंभ करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को ''मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की सेवा गुणवत्ता पर'' परामर्श पत्र जारी किया गया।

(v) गुम/चोरी हो गए मोबाइल हैंडसेटों की आईएमईआई को निरुद्ध(ब्लॉक) करने से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 02 नवम्बर, 2010 को जारी परामर्श पत्र

70. यदि कोई मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो, वर्तमान में इसको निरुद्ध (ब्लॉक) करने की कोई क्रियाविधि नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यह परामर्श पत्र जारी किया गया है, जिसके द्वारा यह गुम/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की आईएमईआई को निरुद्ध (ब्लॉक) करने से संबंधित कई मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं।

(vi) इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं के लिए आमदनी सहभाजन व्यवस्था पर दिनांक 03 नवम्बर, 2010 का परामर्श पत्र

71. यह ध्यान में आया है कि इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवा विनियम द्वारा ऐसा करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, कुछ सेवा प्रदाता, आमदनी/राजस्व सहभाजन के लिए आपसी सहमति नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा लंबी दूरी प्रचालकों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के प्रावधान के लिए कॉलिंग कार्ड्स के माध्यम द्वारा उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच बनाने के लिए अनुमति देने की, लाइसेंस

दिनांक 11 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में
"इंटेलीजेंट नेटवर्क के लिए आय/राजस्व सहभाजन" और "गुम/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेटों के लिए आईएमईआई ब्लॉकिंग से संबंधित मामले" पर ओपन हाउस चर्चा

शर्तों में संशोधन के एक वर्ष के बीत जाने के बाद भी, किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा कॉलिंग काड्र्स सेवाओं के लिए कोई भी करार दाखिल नहीं किया गया है। कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा कॉलिंग काड्र्स सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन व वाणिज्यिक व्यवस्था निर्धारित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं की आमदनी/राजस्व सहभाजन व्यवस्था जिसके द्वारा इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन सेवाएं प्रदान करने वालों की न्यायोचित रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी, पर पहुंचने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2010 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

(vii) मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रावधानों के संबंध में मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर दिनांक 25 जनवरी, 2011 का परामर्श पत्र

72. विगत चार दशकों के दौरान बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बावजूद, बड़ी संख्या में परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के पास बैंक खाता नहीं है। आबादी के इस हिस्से को बुनियादी

दिनांक 25 मार्च, 2011 को मुंबई में
"मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताओं को बुनियादी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित सेवा गुणवत्ता" पर ओपन हाउस चर्चा

सेवाएं प्रदान करने के लिए, इन क्षेत्रों में तेजी से विस्तारित हो रही मोबाइल सेवाओं को एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयिक समूह (आईएमजी) द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग द्वारा बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। यह ढांचा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ऐसी सेवाओं का प्रबंध करने व मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा इनकी कीमत निर्धारण के कारण उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों का समाधान करने का काम सौंपता है। मोबाइल फोन के प्रयोग द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था व कीमत निर्धारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान करने व उनका समाधान करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा यह परामर्श पत्र जारी किया गया है।

(viii) डीटीएच सेटटॉप बॉक्सों की तकनीकी अंतःपरिचालन योग्यता पर परामर्श पत्र

73. वर्ष, 2003 में भारत में इनके प्रारंभ से, डीटीएच सेवाओं ने बहुत प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। डीटीएच सेवा प्रदाता, प्रेषण, संपीड़न (कम्प्रेशन) और कोडीकरण (एंक्रिप्शन) के रूप में, प्रौद्योगिकी के लिए भिन्न–भिन्न मानक अपनाते हैं। तकनीकी अंतःपरिचालन योग्यता के माध्यम द्वारा उपभोक्ता एक ही सेटटॉप बॉक्स का उपयोग करते हुए किसी भी डीटीएच सेवा प्रदाता से संकेत प्राप्त कर सकता है। भादूविप्रा की पहले की सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाते हुए शासन ने भादूविप्रा से तकनीकी अंतःपरिचालन योग्यता के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। इन मुद्दों को स्टेकहोल्डरों के साथ उठाने के लिए भादूविप्रा द्वारा "डीटीएच सेटटॉप बॉक्स की तकनीकी अंतःपरिचालनता" पर दिनांक 20 अगस्त, 2010 को परामर्श पत्र जारी किया गया।

74. आगे, विशिष्ट नीतिगत तंत्र के प्रंसग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य एवं परिचालन, जिनकी पूर्व भागों में चर्चा की गई है, की निम्नांकित पैराग्राफों में समीक्षा की गई है:– (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) बुनियादी व मूल्यवर्धित (वैल्यू ऐडड) सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश, (घ) तकनीकी अनुरूपता तथा सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतःसंयोजन (इंटरकनेक्शन), (च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन, (ज) सेवा की गुणवत्ता, तथा (झ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

(क) एवं (ख) ग्रामीण टेलीफोन एवं टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

75. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सदैव ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जाग्रत है। जून,2010 में, भादूविप्रा ने पुनः राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना पर परामर्श पत्र जारी किया है, जिस पर सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया की गई है। परामर्श प्रक्रिया व आंतरिक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण द्वारा "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 को अपनी सिफारिशें शासन को प्रस्तुत की गई हैं। "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश की है। यह नेटवर्क एक विवृत अभिगम ऑप्टिकल फाइबर (ओपेन एक्सेस आप्टीकल फाइबर) नेटवर्क होगा, जो कि 500 व इससे अधिक आबादी वाले सभी स्थानों को जोड़ेगा। यह नेटवर्क दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में सभी शहर/शहरी क्षेत्र एवम् ग्राम पंचायते

होंगी तथा यह वर्ष 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में 500 व इससे अधिक आबादी वाले सभी क्षेत्रों में नेटवर्क का विस्तार होगा तथा इसे वर्ष 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह नेटवर्क लगभग 66,000 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित किया जाएगा। इसका वित्त पोषण यूएसओ फण्ड और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण/गारंटी के द्वारा किया जाएगा।

(ग) बुनियादी व मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी सेक्टर का प्रवेश

76. वर्तमान में, देश में बेसिक एवं सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले कुल 279 एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी है। लाइसेंस–वार विवरण निम्न प्रकार है :–

लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंसों की संख्या
बेसिक	2 (सार्वजनिक उपक्रम – बीएसएनएल एवं एमटीएनएल)
सीएमटी	37
यूएएस	240

77. चूंकि मोबाइल फोनों के माध्यम द्वारा उपभोक्ताओं की सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक व अन्य जरूरतों को पूरा करते हुए, कई प्रकार के उपयोग व सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, अतः, मूल्यवर्धित सेवाओं का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। भादूविप्रा ने "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा" विषय पर मई, 2010 में जारी अपनी सिफारिशों में मूल्यवर्धित सेवा के लिए स्वस्थ ईको प्रणाली विकसित करने पर ध्यान दिया है तथा उल्लेख किया है कि मूल्यवर्धित सेवा उद्योग के सही ढंग से विकास के लिए उपायों की पहचान करने हेतु अलग परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भादूविप्रा के परामर्श से जनवरी, 2011 में एसोचैम द्वारा "मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाएं व्यापक विकास का प्रारंभ करने तथा डिजिटल खाई को पाटने का साधन" विषय पर एक अध्ययन पत्र जारी किया गया। अध्ययन पत्र में, मोबाइल मूल्यवर्धित सेवा उद्योग में नीतिगत ढांचा, सहायक अवसंरचना और उच्च संतुलित ईको प्रणाली सहित मुद्दों की पहचान की गई है।

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन।

78. संपूर्ण नेटवर्क में बाधारहित दूरसंचार में मदद करने के लिए, यह आवश्यक है कि भिन्न–भिन्न नेटवर्कों में अंतःसंयोजन हो। लाइसेंस की शर्तों में भी यह निर्धारित है कि सभी अभिगम प्रदाता (एक्सेस प्रोवाइडर), आपस में व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी ऑपरेटरों के नेटवर्कों से अंतःसंयोजन करें।

79. अंतःसंयोजन दूरसंचार की जीवन रेखा है। अंतःसंयोजन, एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क पर दूसरे सेवा प्रदाता के उपभोक्ता, सेवाओं और नेटवर्क को अभिगम (एक्सेस) करने की अनुमति देता है। अंतःसंयोजन प्रभार (आईयूसी) एक दूरसंचार प्रचालक द्वारा अन्य प्रचालक के नेटवर्क में या तो एक कॉल को प्रारंभ करने, समाप्त करने अथवा पारगमन/आगे ले जाने के प्रयोग के लिए देय प्रभार है। अंतःसंयोजन और अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार के लिए विनियामक ढांचे की व्यवस्था भादूविप्रा द्वारा जारी विभिन्न विनियमों के द्वारा की गई थी। विद्यमान दिनांक 09 अप्रैल, 2009 का अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार

विनियम, दिनांक 01 अप्रैल,2009 से प्रभावी है।

80. वर्ष के दौरान, अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम की समीक्षा करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को एक परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया, जिसमें सेवा प्रदाताओं से अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया। इन सेवा प्रदाताओं एवं संघो द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करने के उपरांत, दिनांक 27 अप्रैल,2011 को विस्तृत परामर्श पत्र एवं दिनांक 29 अप्रैल,2011 को उसका अनुशेष जारी किया गया। दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम की "अनुसूची IV" के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 फरवरी,2010 को मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को निदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राधिकरण ने उनकों एसएमएस पर अलग–अलग समापन प्रभार लागू करने को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

(च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

81. विनियामक अनुभव समय के साथ किस प्रकार विकसित होते हैं, पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का गहरा प्रभाव है। अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार के क्षेत्र में, विशेषकर विभिन्न अवस्थाओं में अभिसरण में परिवर्तनों को संचालित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करेगा। नेटवर्क, सेवाएं और विनियमों में नए परिवर्धन विशेष महत्व के होंगे। उपयोगी जानकारी का आधार तैयार करने तथा उसे उद्योग के साथ सहभाजन करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा एक मासिक प्रौद्योगिकी सार संग्रह, जिसमें आधुनिक अभिरूचि का स्पष्टतयाः विस्तृत विवरण होता है तथा दूरसंचार पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखों के लिए, संदर्भ सामग्री के रूप में एक त्रैमासिक प्रौद्योगिकी का प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के नए विकास पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है तथा उद्योग के हितलाभ हेतु अध्ययन रिपोर्टें जारी की जाती है। इस संबंध में की गई, कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैः–

(i) भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

82. भावी पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन) एक समसामयिक महत्व का क्षेत्र है। वर्ष के दौरान भादूविप्रा ने इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को तेज किया है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर दृष्टि रखने के बाद भादूविप्रा का परामर्श पत्र तैयार करने में सहायता करने के लिए इसने पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को अनुबंधित करने का निर्णय लिया ताकि उसकी सेवाओं का उपयोग स्टेकहोल्डरो से टिप्पणियां प्राप्त करके भावी पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) के लिए उपयुक्त नीति व नियामक ढांचा तैयार करने के लिए किया जा सके। "भावी पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) में स्थानांतरण" के संबंध में परामर्शी सेवाएं देने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए दिनांक 05 जनवरी, 2011 को एक पत्र जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अन्ततः जर्मनी के मैसर्स एसबीआर जुकोनोमी का चयन एक विस्तृत रिपोर्ट व भावी पीढ़ी के नेटवर्क पर एक परामर्श पत्र तैयार करने के लिए किया गया। इन दस्तावेजों को तैयार करने का काम प्रगति पर है।

(ii) प्रौद्योगिकी सार–संग्रह का प्रकाशन

83. प्रौद्योगिकी प्रवाह की पहचान करने तथा इसे उद्योग के साथ सहभाजन करने के अपने निर्णय के अनुसरण में भादूविप्रा द्वारा एक मासिक प्रौद्योगिकी सार–संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। प्रकाशन के लिए चिह्नित किए गए कुछ क्षेत्र/विषय हैं – बैकहॉल प्रणाली, उन्नत एंटेना प्रौद्योगिकी, मशीन से मशीन में संप्रेषण, भावी पीढ़ी का प्रकाशिक (आप्टीकल) एक्सेस और परिज्ञानशील रेडियो प्रणालियां। त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें, विगत 2–3 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित दूरसंचार के कुछ बेहतर लेख सम्मिलित होंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के श्रेष्ठ अकादमीशियनों/ विद्वानों से युक्त एक संपादकीय समिति का गठन किया गया है।

(छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

84. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नांकित पर ध्यान दिया गया है:–

- नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार की उपलब्धता;
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित समस्त अपूरित क्षेत्रों में व्यापक सेवा का प्रावधान करने और देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सकने में सक्षम उच्च स्तरीय सेवा के प्रावधान के बीच संतुलन उपलब्ध कराने का प्रयास करना;
- देश के दूरस्थ, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करना;
- देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा विश्वस्तरीय निर्माण क्षमताओं को स्थापित करने को प्रोत्साहित करना;
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता व पारदर्शिता प्राप्त करना;
- स्पेक्ट्रम का उपयोग दक्षतापूर्वक, किफायती ढंग से, युक्तिपूर्ण तरीके से और अनुकूल रूप से किया जाए;
- संचार सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की जरूरत है। समुचित आवृति बैंड पहले से (ऐतिहासिक रूप से) रक्षा विभाग व अन्यों को आबंटित की गई हैं और अब इनका पुनर्निधारण करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि स्पेक्ट्रम का अनुकूल उपयोग किया जा सके। पुनर्निधारण की क्षतिपूर्ति स्पेक्ट्रम फीस और शासन द्वारा उगाहे गए राजस्व हिस्से में से की जाए;
- घरेलू उपयोग व निर्यात दोनों के लिए देशी दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- सभी सेवा प्रदाताओं के लिए मार्ग के अधिकार के लिए शीघ्र अनुमोदन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

85. उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2010–11 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित मुख्य विषयों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू गई:–

(i) स्पेक्ट्रम प्रबंधन व लाइसेंसिंग तंत्र।

(ii) नंबरिंग संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

(iii) अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण का सामना करने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण।

(iv) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना।

(v) दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति।

(vi) दूरसंचार अवसंरचना नीति।

(ज) सेवा की गुणवत्ता

86. प्राधिकरण द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ख)(v) के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक तय किए गए हैं। भादूविप्रा द्वारा तय किए गए विभिन्न पैरामीटरों के लिए निर्देश चिह्नों के संबंध में सेवा की गुणवत्ता के विनियमों के प्रभावशाली ढंग से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :–

(i) एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन

87. सेवा क्षेत्रवार, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन मॉनीटरन रिपोर्टों (पीएमआरएस) और मासिक संकुलन/भीड़–भाड़ रिपोर्टों के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा विनियम में विभिन्न पैरामीटरों के निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के निर्देश चिह्न की तुलना में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का गहनता से मॉनीटरन किया जा रहा है।

88. बेसिक टेलीफोन, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं की प्रमाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता के विचार जानने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने (1) बेसिक, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता के वस्तुपरक मूल्यांकन करने तथा (2) सेवा के विषय में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों तथा जोन आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निराकरण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल एवं मैसर्स मार्केट पल्स को नियुक्त किया। इन एजेंसियों द्वारा सेवा गुणवत्ता का मूल्यांकन, अद्यतन मापन (लाइव मेज़रमेंट), ड्राइव टेस्ट, रिकॉर्ड सत्यापन, टेस्ट कॉल करके और उपभोक्ताओं से पुनः सत्यापन के माध्यम द्वारा किया गया। इन परीक्षणों और सर्वेक्षण रिपोर्टों के परिणाम व साथ ही पीएमआर रिपोर्टों का, जनता/स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए, भादूविप्रा की वेबसाइट व समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा व्यापक प्रसारण किया गया।

89. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण विनियम, 2007 और उस पर बाद में जारी निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं के कॉल सेंटरों, नोडल अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के पास दर्ज शिकायतों का मॉनीटरन किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता के मॉनीटरन, निरीक्षण और सर्वेक्षण के फलस्वरूप संज्ञान में आयी कमियों को सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया जाता है।

(ii) सेवा प्रदाता की बिलिंग प्रणाली का ऑडिट के माध्यम से बिलिंग में पारदर्शिता

90. बिलिंग कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए भादूविप्रा द्वारा सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता से संबंधित आचरण संहिता) विनियम, 2006 द्वारा मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता से संबंधित आचरण संहिता निर्धारित की गई है, जिसका अनुपालन प्रत्येक

सेवा प्रदाता द्वारा किया जाना है। इन विनियमों द्वारा सेवा प्रदाताओं को यह भी आदेश दिए गए हैं कि भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित लेखा परीक्षकों के पैनल में से किसी एक लेखा परीक्षक से अपनी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाएं तथा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 30 जून, तक भादूविप्रा को प्रस्तुत करें। सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट में यदि कोई कमियां बताई गई हों तो उन पर अपेक्षित कार्रवाई कर, कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक भादूविप्रा को प्रस्तुत करें। इसके अलावा, वीएएस व्यवस्था तथा गलत बिलिंग से संबंधित उपभोक्ताओं की कई शिकायतें ऑडिट एजेंसियों को निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए तथा उस पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं। निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई, जानबूझकर की गई त्रुटियों को एक समयबद्ध तरीके से ठीक किया जाना है। मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा वर्ष 2006–07 से प्रचलित है तथा इससे सेवा प्रदाताओं को बिलिंग में अपनी प्रणाली में सुधार करने व उपभोक्ता शिकायतों की घटनाओं में कमी लाने में सहायता मिली है।

91. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:–

(i) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम 2010

92. अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मई, 2010 में परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। भादूविप्रा द्वारा, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक चर्चा के उपरांत दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 जारी किया गया। दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार टेलीमार्केटरों का पंजीकरण वेब पोर्टल www.nccptrai.gov.in पर दिनांक 15 जनवरी, 2011 से प्रारंभ हो गया है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान का पंजीकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्ट्री (एनसीपीआर) पर दिनांक 10 फरवरी, 2011 से प्रारंभ हो गया है।

93. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) उपभोक्ता को अपनी पसंद चुनने का विकल्प;

(ii) उपभोक्ता द्वारा विकल्प देने के लिए सीधी व सरल प्रक्रिया;

(iii) प्रभावशाली पहचान के साथ टेलीमार्केटरों का आसान पंजीकरण;

(iv) सेवा प्रदाताओं व टेलीमार्केटरों के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्टर की भागीदारी करना ताकि टेलीमार्केटिंग गतिविधियां प्रारंभ करने से पहले टेलीफोन के डाटाबेस की प्रभावशाली ढंग से छानबीन कर ली जाए।

(v) उपभोक्ताओं के विकल्प, यदि कोई हो तो, के अनुसार कॉलों और एसएमएस को फिल्टर करना और स्वतः अवरूद्ध करना;

(vi) चूककर्ता टेलीमार्केटरों के दूरसंचार संसाधनों का नियोजन करना व उन्हें काली सूची में डालना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी अन्य अभिगम प्रदाता से किसी प्रकार का दूरसंचार संसाधन प्राप्त न कर सके।

(vii) विनियमों के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान।

94. इन प्रावधानों में उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प दिए गए हैं। वह "पूर्णतः निरूद्ध" श्रेणी जो कि पिछले विनियम की 'कॉल–न–करें' रजिस्ट्री के समान है, के अंतर्गत आने को चुन सकता है अथवा वह "आंशिक रूप से निरुद्ध" श्रेणी जिसमें वह उसके द्वारा चुनी गई श्रेणी/श्रेणियों से एसएमएस प्राप्त करेगा, को चुन सकता है।

(ii) मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी)

95. शासन द्वारा, मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 2009 में मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) विनियम जारी किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए गए तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2010 से हरियाणा के अनुज्ञापित सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर सुवाह्यता(एमएनपी) सेवाएं तथा देश के शेष भाग में दिनांक 20 जनवरी, 2011 से प्रारंभ हुई। तद्नुसार, दूरसंचार मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (संशोधन) विनियम जारी किए गए। सुरक्षा कारणों से, दाता प्रचालक के लिए पोर्टिंग अनुरोध को स्वीकारने अथवा अस्वीकार करने के लिए आधारभूत विनियम के विनियम 10 में दी गई समयोचित्तता को 24 घंटे से बढ़ाकर 4 कार्य दिवस कर दिया गया। इसने सभी सेवा क्षेत्रों में सुवाह्यता हेतु कुल समय सीमा 4 से 7 कार्य दिवस निर्धारित कर दी है जबकि असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों के लिए यह 15 कार्य दिवस होगी। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2011 के अंत तक 64.22 लाख उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर की सुवाह्यता (पोर्टिंग) के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है।

(झ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व

96. 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा' के संबंध में अपनी दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों में भादूविप्रा ने यह मत व्यक्त किया है कि वर्तमान रोल आउट दायित्व बहुत उदार है व शहरों पर केन्द्रित है। लाइसेंस में दिए गए रोल आउट दायित्वों में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिए कोई शर्त नहीं है तथा सेवा प्रदाताओं को केवल जिला मुख्यालयों व बड़े शहरों में क्षेत्र/प्रसारण विस्तार के लिए अधिदेशित किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश में मोबाइल सेवाएं प्रारंभ होने के 15 वर्ष के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व 25 से कम है। स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ/अपर्याप्त साधन है तथा सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि इसका ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे सेवा क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध कराकर, इसका इष्टतम उपयोग करें। तथापि अनुभव से इसके विपरीत स्थिति प्रकट होती है। यद्यपि 6–7 प्रचालकों को लाइसेंस प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उन्हें अभी बहुत बड़ी संख्या में गांवों को कवर करना है। यूएसओ निधि भी इसका समाधान नहीं है, चूंकि इसके द्वारा जून, 2007 से जब ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टावर स्थापित करने के लिए सहायिकी (सब्सिडी) की योजना प्रारंभ की गई, तबसे 31.12.2009 तक मात्र 6956 टावर चालू किए गए हैं।

97. 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों/आबादी वाले क्षेत्रों में आगामी तीन वर्ष के भीतर कवरेज पहुंचाने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा अपनी सिफारिशों में इस चुनौती के लिए दोहरी प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली के एक खण्ड में है, सेवा प्रदाताओं द्वारा एक चरणबद्ध तरीके

से 2000 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं पर कवरेज प्रदान करने की बाध्यता लगाना। इसके अतिरिक्त छोटी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कवरेज की सुविधा देने के लिए भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि जिन लाइसेंसधारकों द्वारा 500–2000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों के 50 प्रतिशत तक पहुंच कर ली है, उन्हें वार्षिक लाइसेंस फीस में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाए तथा जिन लाइसेंसधारकों द्वारा 500–2000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों के 100 प्रतिशत (90 प्रतिशत से अधिक को 100 प्रतिशत माना जाए), उन्हें वार्षिक लाइसेंस फीस में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। यह छूट लाइसेंसधारक के सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) में दिए जाने वाले अंशदान में से दी जाए।

98. इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का उपयोग प्रारंभ में 1000 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों में ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए किया जाए तथा बाद में इसका विस्तार 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाए। तद्नुसार 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना' के संबंध में अपनी दिसम्बर, 2010 की सिफारिशों में भादूविप्रा द्वारा यह सिफारिश की गई कि यूएसओ निधि का उपयोग ब्लॉक मुख्यालय (बीएचक्यू) से गांवों की ओर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रावधान के लिए बैकहॉल बैंडविड्थ की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) को बिछाने की कार्रवाई को एक समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी (एनओएफए) और राज्य ऑप्टिकल फाइबर एजेंसी (एसओएफए) के गठन की सिफारिश की गई।

99. "दूरसंचार अवसंरचना नीति" पर अपने 16 जनवरी, 2011 के परामर्श पत्र में भादूविप्रा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर पुनः विचार विमर्श किया गया। "दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें" विषय पर अपनी अप्रैल, 2011 की सिफारिशों में इसके द्वारा निम्नांकित सिफारिशें की गईः–

क) भविष्य में यूएसओ निधि का उपयोग निम्नांकित तक सीमित किया जाए :–

i. 500 से कम आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान; और

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के विस्तार को आगे बढ़ाने व ब्रॉडबैंड के प्रावधान के लिए जिला स्तर से ब्लॉक मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों से गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना ताकि बैकहॉल बैंडविड्थ की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

iii. कोई अन्य उपयोग, यदि किसी प्रतिबद्धता पर पहले ही सहमति बन चुकी हो।

ख) स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिंग, ई–वाणिज्य, ई–शिक्षा, ई–गवर्नेंस, ई–मनोरंजन इत्यादि को विकसित करना तथा उपयोग के अनुरूप बनाना।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टावर तथा इनसे संबंधित उपकरणों को स्थापित करने से स्थानीय जनता के साथ–साथ कुछ हद तक व्यापारिक संगठनों की जरूरतें पूरी होती हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टावर स्थापित करने के लिए भूमि (लगभग 400 वर्गमीटर भूमि) के उपयोग को बदलने की जरूरत को समाप्त किया जाना चाहिए।

घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ग्रामीण बीटीएस को अग्रता के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए।

उपभोक्ता जागरूकता

100. जनवरी, 2011 में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संगठनों और दूरसंचार क्रियाकलापों से संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श करने के तौर–तरीकों को औपचारिक रूप देते हुए, विनियम जारी किया गया। इस विनियम में, गैर सरकारी संगठनों और उपभोक्ता संगठनों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ निःशुल्क पंजीकरण के लिए कार्यरीति उपलब्ध कराई गई हैं ताकि धारणीय आधार पर दोतरफा विचारों का आदान–प्रदान किया जा सके। पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को परामर्श पत्र भेजकर, उन्हें विचार–विमर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करके तथा प्राधिकरण के साथ उनकी बैठकों की व्यवस्था करके, उन्हें गतिविधियों/विकास के संबंध में अवगत रखा जाता है। उपभोक्ता समूह और गैर सरकारी संगठनों, उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की जानकारी में लाकर, भादूविप्रा की नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। मार्च, 2011 के अंत तक पूरे देश में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ 41 उपभोक्ता संगठन पंजीकृत थे।

101. यद्यपि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं फिर भी यदि ये व्यवस्था से संबंधित समस्याओं/कमियों से संबंधित हैं तो इन्हें स्वीकार किया जाता है। भादूविप्रा में प्राप्त शिकायतों से सेक्टर के निष्पादन का मापन करने में सहायता मिलती है। ऐसी शिकायतों के आधार पर, दूरसंचार सेक्टर के उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त निदेश, आदेश और विनियम जारी करके कई मुद्दों का समाधान किया गया है। यह बहुत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को इनकी जानकारी हो ताकि उनके अधिकारों और सुविधाओं को प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित किया जा सके। उपभोक्ता शिक्षण और उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करके, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाओं का आयोजन करता है। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने और गुणवत्तायुक्त सेवाएं देने के संबंध में इन विनियमों व भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सेवा प्रदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उन्हें भी इन कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाता है।

102. वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं – पहली दिनांक 04.08.2010 को बेंगलुरू में, दूसरी दिनांक 05.02.2011 को कोलकाता में, तीसरी 17.02.2011 को मुंबई में, चौथी 10.03.2011 को लखनऊ में और पांचवी 15.03.2011 को शिलांग में आयोजित की गई। इससे पहले, मई, 2010 में प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकारियों और उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशुल्क आदेशों में पारदर्शिता, प्री–पेड उपभोक्ताओं की समस्याओं, कॉल सेन्टरों में शिकायतों के प्रभावशाली ढंग से समाधान' इत्यादि पर चर्चा की गई, जो उपभोक्ताओं और उपभोक्ता समर्थक समूहों के मुख्य चिंता के विषय हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों की वार्षिक बैठक दिनांक 17.12.2010 को चेन्नई में आयोजित की गई।

दिनांक 05 फरवरी, 2011 को कोलकाता में
"पूर्वी जोन के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला"

दिनांक 17 फरवरी, 2011 को मुंबई में
"पश्चिमी जोन के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला"

दिनांक 10 मार्च, 2011 को लखनऊ में
"उत्तरी जोन के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला"

दिनांक 15 मार्च, 2011 को शिलांग में
"पूर्वोत्तर जोन के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशाला"

103. वर्ष 2010–11 के दौरान प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों के द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर पर 100 उपभोक्ता शिक्षण, कार्यशालाओं के आयोजन का अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें से उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में 72 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। प्रत्येक अंचल से उपभोक्ता समर्थक समूहों और भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता संगठन को उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि(सीयूटीसीईएफ) के उपयोग संबंधी समिति में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि विनियमों को संशोधित करके दिनांक 07.03.2011 को अधिसूचित किया गया है। तद्नुसार दिनांक 25 मार्च,2011 सीयूटीसीईएफ को पुनगर्ठित किया गया।

104. जनवरी, 2011 से महत्वपूर्ण गतिविधियों/प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेक्टर में की गई पहलों की जानकारी, एक मासिक समाचार पत्र के माध्यम से सभी पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों को दी जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समय–समय पर कई विनियम और आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकरण ने समस्त स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विनियमों, निदेशों और आदेशों की एक पुस्तिका/हैंडबुक का संकलन किया है तथा यह संकलन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

105. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी गतिविधियां, अन्य देशों के विनियामकों/संगठनों के साथ समझौता पत्र, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरों के संबंध में निम्नांकित पैराओं में चर्चा की गई है :–

(i) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – एमआईसी (जापान के आंतरिक मामले व संचार मंत्रालय) के बीच, दूरसंचार विनियमन और प्रतिस्पर्धा नीति पर अनुभव व विशेषता आपस में बांटने के उद्देश्य से दिनांक 06 अप्रैल, 2010 को भादूविप्रा में नीति संबंधी संवाद हुआ। जापान के शिष्टमंडल का नेतृत्व दूरसंचार ब्यूरो, एमआईसी जापान के महानिदेशक श्री सकुराई द्वारा किया गया।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) डब्ल्यूटीडीसी–2010 (विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन) के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 28 मई, 2010 को राजदूत फिलिप एल. वेरवीर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना नीति पर अमरीकी समन्वयकर्ता तथा श्री जूलियस जेनाचोस्की, अध्यक्ष फेडरल संचार कमीशन (एफसीसी) के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दूरसंचार व प्रसारण क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया गया।

दिनांक 20 मई, 2010 को बैठक में भादूविप्रा के अध्यक्ष के साथ राजदूत फिलिप एल. वेरवीर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना नीति पर अमरीकी समन्वयकर्ता तथा श्री जूलियस जेनाचोस्की, अध्यक्ष फेडरल संचार कमीशन (एफसीसी)

बैठक में सलाहकार (एफए एण्ड आईएफए), प्रधान सलाहकार (विधि), सदस्य, सलाहकार (सीएन) और प्रधान सलाहकार (टीडी) (बाएं से दाएं) भी उपस्थित थे

(ग) दिनांक 09 से 10 अगस्त, 2010 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परिसर में, एशिया पैसेफिक संचार टेलीकम्युनिटी (एटीपी) के दक्षिण एशिया दूरसंचार नियामक परिषद(एसएटीआरसी) के कार्यदल की “नीति और विनियम” विषय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में, एसएटीआरसी के सदस्य देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ईरान, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में, एक शिष्टमंडल जिसमें प्राधिकरण के सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे, ने दिनांक 23 से 27 अगस्त, 2010 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। वाशिंगटन में एफसीसी, यूएस डिपॉर्टमेंट ऑफ स्टेट्स में बैठकों का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान न्यूयार्क और बोस्टन में भी, अमेरीकी उद्योग व निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित की गई।

(च) दिनांक 27 सितम्बर से 01 अक्तूबर, 2010 तक टोक्यो, जापान में भारत–जापान संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जिसमें प्राधिकरण के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय दूरसंचार व प्रसारण उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने बैठक में भागीदारी की।

दिनांक 27 सितम्बर से 01 अक्तूबर, 2011 तक भारतीय शिष्टमंडल का टोक्यो दौरा

टोक्यो में एमआईसी जापान के साथ भादूविप्रा शिष्टमंडल की बैठक

श्री टेत्सु यामाकावा, नीति निर्धारण के लिए उप मंत्री, आंतरिक मामले और संचार मंत्री के साथ अध्यक्ष, भादूविप्रा

(छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 09 से 12 नवम्बर, 2010 तक सेनेगल के दकार में विनियामकों के लिए आयोजित सार्वभौमिक परिसंवाद में सहभागिता की।

(ज) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण व दक्षिण/दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े सेल्युलर प्रचालक एमटीएन के बीच बैठक आयोजित की गई।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आगमन

क) ईटीए शिष्टमंडल

दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को इथोपियन दूरसंचार एजेंसी (ईटीए), इथोपिया के छह सदस्यी शिष्टमंडल ने प्राधिकरण का दौरा किया।

ख) इन्डोनेशियाई शिष्टमंडल

भारत में संचार, इसका अनुरक्षण और प्रसारण प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री सुबागियो, निदेशक, शासकीय दूरसंचार संस्थान के नेतृत्व में, इंडोनेशिया के संचार और सूचना मंत्रालय से सात सदस्यी शिष्टमंडल दिनांक 30 अप्रैल, 2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दौरे पर आया।

ग) संयुक्त अरब अमीरात

महामहिम मोहम्मद नासिर अल घानिम, महानिदेशक, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआए), संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए दिनांक 25 जून, 2010 को भादूविप्रा का दौरा किया।

घ) तनजानिया

मिसेज मैरी दोटो, आवृति प्रबंध इंजीनियर, तनजानिया संचार विनियामक प्राधिकरण (टीसीआरए) दिनांक 19 से 23 जुलाई, 2010 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अध्ययन दौरे पर आई।

(च) कार्यपालक (एमटीएन) दक्षिण अफ्रीका

एमटीएन, दक्षिण अफ्रीका से आए कार्यपालकों के साथ दिनांक 24 नवम्बर को सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। भारत में दूरसंचार नीतियों और विनियामक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके अनुरोध पर यह बैठक की गई थी।

छ) यूएसआईबीसी शिष्टमंडल

अमेरिका–भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) जिसमें शीर्ष आईसीटी कंपनियों और दूरसंचार उद्योग संघों के कार्यपालक सम्मिलित थे, प्राधिकरण के साथ बैठक के लिए दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आए।

दिनांक 06 दिसंबर, 2010 को यूएसआईबीसी शिष्टमंडल भादूविप्रा के दौरे पर

ज) संयुक्त राज्य अमेरिका

राजदूत फिलिप वेरवीर, अंतर्राष्ट्रीय संचार व सूचना नीति के लिए अमेरिकी समन्वय और डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने अपने शिष्टमंडल के सदस्यों के साथ प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए दिनांक 09.12.2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

दिनांक 25 जनवरी, 2011 को जाम्बिया के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के महानिदेशक के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल का अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा स्वागत

दिनांक 25 जनवरी, 2011 को जेडआईसीटीए के शिष्टमंडल के साथ भादूविप्रा के सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण

झ) जाम्बिया

महानिदेशक, जाम्बिया, सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (जेडआईसीटीए) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने दिनांक 25 जनवरी, 2011 को प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

ट) जापान

श्री टेटसूओ यामाकावा, उप मंत्री, नीति समन्वय, आंतरिक मामले व संचार मंत्रालय ने प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए दिनांक 22.02.2011 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

ड) यूएसआईबीसी

अमेरिकी–भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के शिष्टमंडल ने प्राधिकरण के साथ बैठक के लिए दिनांक 21 मार्च, 2011 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया।

दिनांक 22 फरवरी, 2011 को भादूविप्रा में दौरे के दौरान श्री टेटसूओ यामाकावा, उप मंत्री, नीति समन्वय, आंतरिक मामले व संचार मंत्रालय, जापान

(iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन

106. वर्ष 2010–11 के दौरान एनाटेल, ब्राजील और भादूविप्रा के बीच हैदराबाद में आयोजित आईटीयू डब्ल्यूटीडीसी–10 बैठक में दिनांक 26 मई, 2010 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। महामहिम राजदूत रोनाल्डो सरडेनबर्ग, प्रेजीडेंट एनाटेल और डॉ. जे.एस. शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, निम्नांकित के साथ समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:–

(क) एनटीआरए, मिश्र

(ख) ईईटीए, यूनान

(ग) एमआईसी, जापान

(घ) स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमरीका।

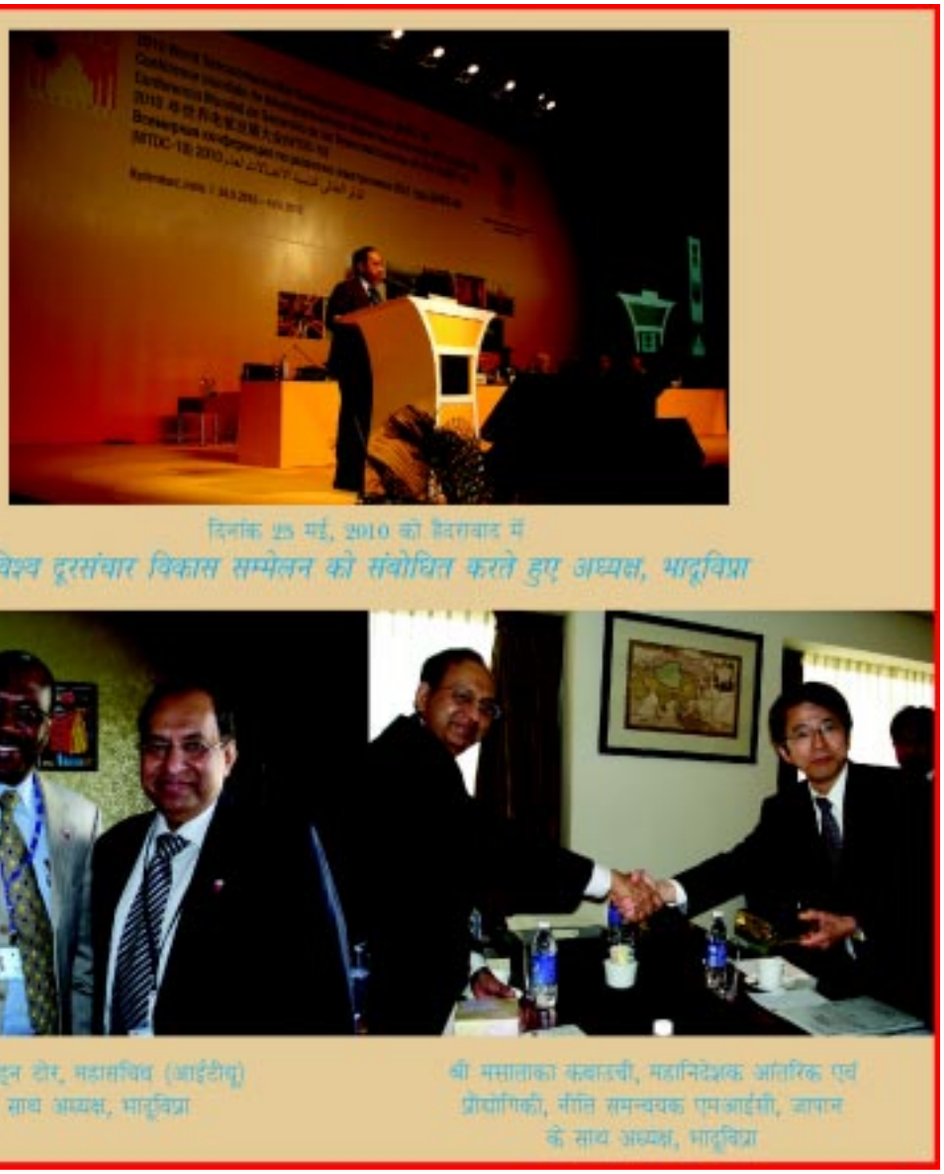

दिनांक 25 मई, 2010 को हैदराबाद में
विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, भादूविप्रा

डॉ० हमादून टोर, महासचिव (आईटीयू) के साथ अध्यक्ष, भादूविप्रा

श्री मसाताका कवाउची, महानिदेशक अंतरिक एवं प्रौद्योगिकी, नीति समन्वयक एमआईसी, जापान के साथ अध्यक्ष, भादूविप्रा

दिनांक 26 मई, 2010 को
अध्यक्ष, भादूविप्रा और महामहिम राजदूत रोनाल्डो सरडेनबर्ग, प्रेजीडेंट एनाटेल, ब्राजील समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए

दिनांक 18 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में
"हरित दूरसंचार" पर ओपन हाउस चर्चा की समाप्ति पर मीडिया को जानकारी देते हुए अध्यक्ष, भादूविप्रा

भाग–III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

1. प्राधिकरण द्वारा उद्योग के विकास व उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में या तो स्वयं की पहल से अथवा सरकार से प्राप्त निदेशों पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं। लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों को लागू करने की कार्रवाई की है तथा कई अन्य मुद्दों पर कार्य शुरू किया है। विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश भर में दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा प्रसारण व केबल टीवी सेवा क्षेत्र सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हुए व्यापक नेटवर्क के रूप में दूरसंचार सेवाओं के विकास में योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के फलस्परूप उपभोक्ताओं को सेवा के विकल्प, दूरसंचार सेवाओं की कम दरों तथा सेवा की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में लाभ हुआ है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट विभिन्न मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए गए कुछ विशिष्ट कार्यों को नीचे दिया गया है।

क) भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार दरें जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर, भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, पे–चैनलों के लिए दरों के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्दिष्ट करने तथा केबल सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करने का कार्य

भी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपा गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विवरणों पर निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की गई है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर, भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्राधिकरण एक समान दूरसंचार सेवाओं के लिए, विभिन्न व्यक्तियों अथवा श्रेणी के व्यक्तियों हेतु भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में प्रचलित प्रशुल्क, विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हों। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उन दरों की मॉनीटरिंग करता है जिन दरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

4. वर्तमान में, फिक्सड लाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में किराया, निःशुल्क कॉल पारितोषिक और स्थानीय कॉल प्रशुल्कों, मोबाइल टेलीफोनी में रोमिंग सेवाओं तथा लीज्ड सर्किट के लिए निःशुल्क कॉल पारितोषिक और स्थानीय कॉल प्रशुल्कों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क परिहार (फोरबीयरेंस) के अधीन हैं। सेवा प्रदाताओं को कतिपय विनियामक सिद्धांतों के अधीन, जिनमें आईयूसी अनुपालन भी शामिल है, कोई भी प्रशुल्क पेश करने का लचीलापन प्राप्त है। दिनांक 09.03.1999 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 1999 के अनुसार परिहार (फोरबीयरेंस) का अर्थ है जहां प्राधिकरण ने कुछ समय के लिए किसी दूरसंचार सेवा अथवा उसके भाग के लिए प्रशुल्क नियतन करना आस्थगित कर दिया हो तथा सेवा प्रदाता के पास ऐसी दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई भी प्रशुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

5. दिनांक 01 अप्रैल 1999 से लागू प्राधिकरण के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) 1999 को विनियामक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है जिसमें उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है तथा जो निवेश को प्रोत्साहित करने के एक संकेत के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान, मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रारंभ की गई प्रति सेकण्ड पल्स प्रशुल्क योजना, इस वर्ष के प्रशुल्क प्रस्तावों की नियमित विशेषता है। लगभग सभी सेवा प्रदाताओं ने पोस्ट–पेड व प्री–पेड दोनों खण्डों में कम से कम प्रति सेकण्ड पल्स प्रशुल्क का विकल्प दिया है। यहां तक की कुछ सेवा प्रदाताओं ने आजीवन वैधता के साथ प्रति सेकण्ड प्लान का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार उपभोक्ता, सभी सेवा खण्डों व सेवा क्षेत्रों के आर–पार तथा सभी सेवा प्रदाताओं से कई प्रकार के छूट–युक्त प्रस्तावों के कारण न्यून प्रशुल्कों का लाभ उठा रहे हैं।

6. इस वर्ष की विशेषता, प्रारंभ में जीएसएम मोबाइल खण्ड (सेगमेंट) में आए नए प्रतियोगियों के आने के कारण प्रारंभ हुई सक्रिय प्रतिस्पर्धा के चरण के बाद, मूल्यों का झुकाव

समेकन/दृढ़ीकरण की तरफ होना जारी है। तथापि, मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) के लागू होने के फलस्वरूप, दूरसंचार प्रदाता अन्य दूरसंचार प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नवीन प्रशुल्क प्रस्ताव लाने और साथ ही अपने विद्यमान उपभोक्ताओं के लिए कम प्रशुल्क दरों के साथ–साथ मोबाइल सेवाओं के विभिन्न आकर्षक प्रस्ताव लाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। इन सब कारणों के परिणामस्वरूप मोबाइल सेवाएं अधिक वहनीय (खर्च वहन करने योग्य हुई) हैं तथा पहले ही तेजी से विकसित हो रहे उपभोक्ता आधार में और विस्तार हो रहा है।

7. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 के आदेश द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं व यूनीफाइड एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिए गए कि शार्ट कोड नम्बर 1900 पर मोबाइल नम्बर सुवाह्यता के लिए पोर्टिंग कोड का अनुरोध करने वाले एसएमएस को, प्रभार लेने के उद्देश्य से सामान्य एसएमएस माना जाए तथा ऐसे एसएमएस की दर, उपभोक्ता द्वारा चुने गए प्रशुल्क प्लान के अंतर्गत एसएमएस पर लागू सामान्य दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से खुदरा प्रशुल्कों की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं के अनुसार सेवा प्रदाता, कार्यान्वयन के सात दिन के अंदर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रशुल्क रिपोर्ट फाइल करते हैं। इस आवश्यकता के अंतर्गत हजारों प्रशुल्क रिपोर्टें फाइल की जा रही हैं तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इनकी निगरानी की जा रही है। यद्यपि, सेवा प्रदाताओं को यह आज्ञा दी गई है कि वे स्वतः जांच के पश्चात ही प्रशुल्क लागू करें तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा फाइल किए गए प्रशुल्कों के साथ ही साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शित प्रशुल्कों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि ये विनियामक मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुकूल हैं।

9. सभी प्रचालकों से तिमाही आधार पर आय/राजस्व व उपभोक्ताओं के आंकड़े प्राप्त करने के बाद, विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण के परिणाम "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक" पर तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किए जा रहे हैं। ये आवधिक रिपोर्टें, देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के प्रवाह पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार सेवाओं का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं व उनके संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदनों व शिकायतों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टें, मार्केट में प्रचलित प्रशुल्कों की विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ संभावित असंगति का संकेत देती है। इस संबंध में सुधारक उपायों का पता लगाने के लिए, इन शिकायतों की विस्तृत जांच की जाती है।

10. समस्त एक्सेस प्रदाताओं को टीटीओ–1999 के प्रावधान के अंतर्गत भेदभावपूर्ण प्रशुल्क पर निषेध के संबंध में एक सामान्य परामर्शिका जारी की गई थी। इस परामर्शिका के माध्यम से एक्सेस सेवा प्रदाताओं को परामर्श दिया गया था कि वे मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) के उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण रूप से विशिष्ट प्रशुल्कों के प्रस्तावों के संबंध में प्रावधानों का पालन करें और यदि उक्त टीटीओ के प्रावधानों से असंगत कोई प्रशुल्क लागू हो तो उसे तुरंत वापस लें।

11. वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान, प्रसारण और केबल सेक्टर के लिए प्रशुल्क से संबंधित

दो परामर्श पत्र जारी किए गए। इस परामर्श प्रक्रिया का चरम बिंदु, दिनांक 21 जुलाई, 2010 का दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चौथा) (एड्रेसेबल सेवा) प्रशुल्क आदेश, 2010 के जारी होने के रूप में आया। इस रिपोर्ट के भाग–2 में पहले ही प्रशुल्क आदेश के विवरण के संबंध में चर्चा की गई है।

ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश की जरूरत व समय (ii) नए सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदान करने की निबंधन व शर्तें और (iii) लाइसेंस की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेंस के प्रतिसंहरण (रीवोकेशन) पर सिफारिशें

12. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो अपनी ओर से अथवा अनुज्ञप्तिदाता (लाइसेंसर) अर्थात् प्रसारण व केबल सेवाओं के मामले में दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से अनुरोध पर सिफारिशें दे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

(i) मोबाइल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 14 अप्रैल, 2010 की संशोधित सिफारिशें।

(ii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे के संबंध में दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशें।

(iii) प्रसारण सेक्टर के लिए सीधे विदेशी निवेश सीमा के संबंध में दिनांक 30 जून, 2010 की सिफारिशें।

(iv) भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की सिफारिशें।

(v) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली लागू करने के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशें।

(vi) ''नम्बरिंग संसाधनों के कार्यकुशल उपयोग'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2010 की सिफारिशें।

(vii) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के संबंध में दिनांक 08 दिसम्बर 2010 की सिफारिशें।

(viii) दिसम्बर,2006 से आगे जारी लाइसेंसों के रोल–आउट दायित्वों की स्थिति पर दिनांक 18 नवम्बर एवं 22 दिसम्बर, 2010 की सिफारिशें।

(ix) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड मे स्पेक्ट्रम की कीमत निर्धारित करने के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2011 की सिफारिशें।

(x) निजी एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर दिनांक 09 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(xi) भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग संबंधी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की नीति से संबंधित मुद्दों पर संशोधित सिफारिशें।

(xii) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी पद्धति पर दिनांक 22 फरवरी, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

13. निम्नलिखित सिफारिशें वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजित की गई परामर्शी प्रक्रियाओं का परिणाम हैं:–

(i) 'दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति' पर सिफारिशें।

(ii) 'हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण' पर सिफारिशें।

(iii) 'दूरसंचार अवसंरचना नीति' पर सिफारिशें।

14. रिपोर्ट के भाग–2 में इन सिफारिशों के विवरणों के ऊपर पहले ही चर्चा की गई है।

(ग) तकनीकी अनुरूपता तथा प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना

15. दूरसंचार एवं प्रसारण व केबल क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी अनुरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन नीचे किया गया है।

16. अंतःसंयोजन दूरसंचार की जीवन–रेखा है। अंतःसंयोजन एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों को अन्य सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों द्वारा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) वे प्रभार हैं, जो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा कॉल के प्रारंभन, समापन अथवा पारवहन/वहन करने के लिए दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए उसे देय होते हैं। अंतःसंयोजन के लिए विनियामक ढांचा, पहली बार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मई, 1999 में जारी किए गए विनियमों अर्थात "दूरसंचार अंतःसंयोजन (आय/राजस्व साझेदारी पर प्रभार) विनियम 1999" द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें अंतःसंयोजन प्रभारों तथा आय/राजस्व साझेदारी व्यवस्थाओं के निर्धारण के लिए कतिपय सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए थे। इसके पश्चात, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक ऐसी आईयूसी प्रणाली निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण समझा जो अंतःप्रचालक व्यवस्थाओं को अधिक निश्चितता प्रदान करे तथा अंतःसंयोजन करारों को सुकर बनाए। प्राधिकरण ने 24 जनवरी, 2003 को एक अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एक बहु–प्रचालक परिवेश में कॉलों के आरंभन, संचरण तथा समापन के लिए प्रभार अंतर्विष्ट थे। इस आईयूसी प्रणाली ने कॉल करने वाला भुगतान करेगा(सीपीपी) प्रणाली की शुरूआत की, जो संभवतः भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास में सबसे बड़ा कारक है। सीपीपी प्रणाली के आरंभ होने से सभी आवक कॉलें निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। इस विनियम का 29 अक्तूबर, 2003 के विनियम द्वारा अधिक्रमण किया गया। इस विनियम में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी प्रकार की कॉलों के लिए एक समान समापन प्रभार निर्दिष्ट किए तथा इस प्रकार प्रणाली के क्रियान्वयन को सरल बनाया गया। अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हुआ है, के द्वारा घरेलू समापन प्रभार को घटाकर 20 पैसे प्रति मिनट व अंतर्राष्ट्रीय समापन को बढ़ाकर 40 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया।

17. भारत में समापन प्रभार पूरे विश्व में सबसे कम हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई लागत–आधारित आईयूसी प्रणाली ने सेवा प्रदाताओं को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी तरीके से समय–समय पर उनके संबंधित प्रशुल्कों में नीचे की ओर संशोधन करने में सहायता प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र, चीन के पश्चात् विश्व का दूसरा विशालतम बाजार बन गया है। इसने मार्च, 2008 में अमेरिका में कनेक्शनों की संख्या को भी पार कर लिया है। वर्ष 1997 में 14.88 मिलियन लाइनों की संख्या मार्च, 2011 में बढ़कर 846.32 मिलियन हो गई है।

18. वर्ष के दौरान, अंतःसंयोजन प्रभार (आईयूसी) विनियम की समीक्षा करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया, जिसमें सेवा प्रदाताओं से अंतःसंयोजन प्रभार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। इन सेवा प्रदाताओं तथा संघों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों (इनपुट्स) को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को एक विस्तृत परामर्श पत्र व दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को इसका अनुशेष (एडेन्डम) जारी किया गया। अंतःसंयोजन विनियमों की "अनुसूची IV" के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2010 को मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स आडिया सेल्युलर लिमिटेड को निदेश जारी किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा उन्हें एसएमएस पर अलग समापन प्रभार लागू करने को बंद करने की हिदायत दी गई।

19. प्राधिकरण द्वारा, "लंबी दूरी प्रचालकों (एलडीओ) के द्वारा कॉलिंग काड्र्स के प्रावधान" के संबंध में दिनांक 20.08.2008 को दूरसंचार विभाग को सिफारिशें भेजी गई थी। प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंसों की शर्तों में संशोधन किया जाए तथा क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वॉयस टेलीफोन सेवाओं के प्रावधान के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों (एनएलडीओ) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों (आईएलडीओ) को कॉलिंग काड्र्स के माध्यम द्वारा उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच की अनुमति दी जाए। दूरसंचार विभाग ने अगस्त, 2009 में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और लाइसेंस की शर्तों को समुचित रूप से आशोधित किया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें स्वीकार कर लेने तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंस के अनुबंधों के संबंधित उपबंधों में परिणामी संशोधनों के बाद, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक व अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल (एसटीडी) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल(आईएसडी) के लिए कॉलिंग कार्ड जारी करने के लिए पात्र हो गए हैं। सेवा प्रदाता, अन्य सभी सेवा प्रदाताओं के साथ एक समयबद्ध रीति से अनुबंध कर सकें, इस विषय पर स्टेकहोल्डरों की समीक्षा/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बहुप्रचालक, बहु–सेवा परिदृश्य में इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाएं विनियम, 2006 के लिए दिनांक 12.10.2010 को एक प्रारूप संशोधन जारी किया गया।

20. भारत सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को भारत में हेडइंड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किए गए। एचआईटीएस नीति की उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 के पत्र द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि संबंधित अंतःसंयोजन विनियमों, प्रशुल्क आदेशों इत्यादि की पुनःसमीक्षा करे, ताकि यह दृष्टिकोण बनाया जा सके कि क्या इनमें, सेवा के हित में किसी संशोधन की आवश्यकता है? ताकि नीति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। उपयुक्त निर्देश के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा "एचआईटीएस" सेवाओं के अंतःसंयोजन व प्रशुल्क से संबधित मुद्दे" विषय पर परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

21. इस उद्देश्य के लिए दिनांक 06 अप्रैल, 2010 को परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में, परामर्श के लिए सामने रखे गए मुद्दों को दो प्रमुख वर्गों अर्थात् अंतःसंयोजन मुद्दे और प्रशुल्क संबंधी मुद्दे में समूहित किया गया। प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों पर अलग से विचार किया गया है। विषय के सभी पहलुओं, परामर्श प्रक्रिया के दौरान उभर कर आए मुद्दों सहित, पर विचार करने, प्राधिकरण द्वारा एचआईटीएस प्रचालक की परिभाषा को संशोधित करके, इन प्रचालकों द्वारा उपयोग के लिए सी और केयू बैंड उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के लिए अंतःसंयोजन विनियम को संशोधित किया गया। चूंकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एचआईटीएस प्रचालकों को अपने केबल नेटवर्क पर (अपने स्थलीय अभिग्राही स्टेशन पर संकेतों को डाउनलिंक करने के बाद) बहु–चैनल टीवी कार्यक्रमों को वितरित करने की अनुमति प्रदान करते हैं और साथ ही एचआईटीएस प्रचालकों को यह दायित्व भी देते हैं कि वे अन्य एमएसओ अथवा केबल प्रचालकों के संघ के लिए आधारभूत संरचना सुविधा उपलब्ध कराने वाले सहयोगी बनें, अतः "एचआईटीएस प्रचालक" और "बहु–प्रणाली प्रचालक" की वर्तमान परिभाषा के दायरे को उपयुक्त रूप से बढ़ा दिया गया है। तद्नुसार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम जारी किया गया।

(घ) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने पर प्राप्त होने वाले राजस्व को सेवा प्रदाताओं के मध्य संवितरित करने के लिए नियमन की व्यवस्था करना

22. सामान्य कॉलों के मामले में, प्रारंभिक सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को बिल देता है तथा पैसा वसूलता है। तथापि, कॉल में, यदि यह एक लंबी दूरी की कॉल है, जो कॉल को वहन करने में, समापन सेवा प्रदाता तथा लंबी दूरी के सेवा प्रदाता के नेटवर्क के कार्य शामिल होता है। आरंभन सेवा प्रदाता को उन अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ आय की साझेदारी करनी होती है, जो कॉल के समापन में सहायता करते है। समुचित लागत–आधारित वितरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक ऐसी आईयूसी प्रणाली स्थापित की है, जो अंतःप्रचालक भुगतान को विनियंत्रित करती है। निम्न तालिका इन प्रभारों को दर्शाती है:–

विद्यमान अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार	
प्रारंभन प्रभार	परिहार (फोरबीयरेंस) के अधीन
समापन प्रभार	सभी प्रकार की घरेलू कॉलों के लिए एक–समान अर्थात फिक्सड से फिक्सड, फिक्सड से मोबाइल, मोबाइल से फिक्सड और मोबाइल से मोबाइल 20 पैसे/मिनट
3 जी वॉयस कॉलों के लिए समापन प्रभार	2 जी वॉयस कॉलों के समान
आवक अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार	40 पैसे प्रति मिनट
घरेलू वहन प्रभार	0.65 पैसे प्रति मिनट की सीमा
अंतर्राष्ट्रीय वहन प्रभार	परिहार (फोरबीयरेंस) के अधीन
एसएमएस के लिए आईयूसी	परिहार (फोरबीयरेंस) के अधीन। तथापि, इन प्रभारों को पारदर्शी, पारस्परिक तथा गैर–भेदभावपूर्ण होना चाहिए।

23. अतःसंयोजन प्रभार (आईयूसी) विनियम की समीक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया, जिसमें सेवा प्रदाताओं से अंतःसंयोजन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। इन सेवा प्रदाताओं तथा संघों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को एक विस्तृत परामर्श पत्र व दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को इसका अनुशेष (एडेन्डम) जारी किया गया।

24. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.11.2010 को "इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं की आय/राजस्व बंटवारा व्यवस्था" पर परामर्श पत्र जारी किया गया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से अंतःसंयोजन सेवा प्रदाताओं के बीच इंटेलीजेंट नेटवर्क (आईएन) की आय के बंटवारे के जटिल मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए और अंतःसंयोजन सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए काम को पूरित करने की व्यवस्था बनाने में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सहायता करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को सम्मिलित करने का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य था।

(च) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय एवं लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि

25. पारदर्शिता, पूर्वानुमानिता तथा युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराने तथा गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/लोकल लीड के प्रावधान की अनुमति देने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए। इन विनियमों में किसी भी माध्यम से ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अर्थात कॉपर, फाइबर, वायरलैस आदि पर उपलब्ध कराए गए डीएलसी और स्थानीय लीड शामिल हैं। ये विनियम सभी सेवा प्रदाताओं, जिनके पास कॉपर, फाइबर अथवा वायरलैस की क्षमता है तथा जिन्हें डीएलसी प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है, के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे इसकी साझेदारी, अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ करें। प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण से यह पता चला है कि डीएलसी विनियमों के जारी करने के बाद से डीएलसी/स्थानीय लीडों का प्रावधान सरल व कारगर हो गया है।

26. वर्ष के दौरान, ई1 पोर्ट्स के समूह (नम्बर) के समय पर प्रावधान का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सतत् मॉनीटरन किया गया है। समय पर ई1 पोर्ट्स का प्रावधान करने का आदेश देने से संबंधित निदेशों पर, सेवा प्रदाताओं से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई हैं। ऐसे मामलों में जहां सेवा प्रदाता समय पर ई1 पोर्ट्स उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, उन्होंने इसके कारणों की जानकारी दी है, जिनका सत्यापन चाहने/मांगने वाले सेवा प्रदाताओं से किया गया। लंबित ई1 पोर्ट्स का दो तरफा सत्यापन, विभिन्न अवस्थापनों (लोकेशनों) के सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत संकुलन/भीड़–भाड़ (कंजेशन) संबंधी रिपोर्टों के साथ किया गया है। सेवा प्रदाताओं से कहा गया है कि वे अंतःसंयोजन स्थलों (पीओआई) के संकुलन/भीड़–भाड़ का मिलान विभिन्न अवस्थानों (लोकेशनों) पर लंबित ई1 पोर्ट्स के साथ करके उचित कार्रवाई करें।

(छ) लाइसेंस के निबंधन व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

27. यह कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बहु–चरणीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण, सेवा

प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण की उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक)/अभ्यावेदनों के माध्यम से पूर्ति की जाती है। कतिपय मामलों में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनी स्वयं की पहल पर लाइसेंस के निबंधन व शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

28. दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 के निदेश द्वारा प्राधिकरण ने सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं व एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया कि मोबाइल नंबर सुवाह्यता (एमएनपी) हेतु यूनीक पोर्टिंग कोड के लिए अनुरोध करते हुए शॉर्ट कोड नंबर 1900 पर भेजे गए एसएमएस को प्रभार वसूलने के लिए सामान्य एसएमएस माना जाए तथा ऐसे एसएमएस की दरें उपभोक्ता द्वारा चुनी गई प्रशुल्क योजना के अंतर्गत सामान्य एसएमएस के लिए लागू प्रशुल्क से अधिक नहीं होगी।

29. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लघु (शार्ट) मैसेज सेवा पर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार लागू करने के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2010 को मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को निदेश जारी किए गए। दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम 2003 की "अनुसूची–IV" के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा एसएमएस पर भेदभावपूर्ण समापन प्रभार की वसूली को बंद करने के निदेश दिए गए।

30. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं लाइसेंसिंग शर्तों के अनुपालन में हैं, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दाखिल किए गए प्रशुल्कों की तकनीकी एवं लाइसेंसिंग नज़रिए से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में जांच की जाती है।

(ज) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु की गई पहल

31. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 21 मार्च, 2006 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता (एक्यूरेसी) के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2006 जारी किए थे। इसका उद्देश्य था (i) मीटरिंग एवं बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयोग में लाई जा रही पद्धतियों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना; (ii) मापन की सटीकता, बिलिंग की विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्दिष्ट करना; (iii) समय–समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही बिलिंग सटीकता की जांच करना तथा इसकी तुलना मानकों के साथ करना ताकि निष्पादन के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके; (iv) बिलिंग शिकायतों की घटनाओं को कम करना; (v) तथा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। विनियम सेवा प्रदाताओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लेखा परीक्षकों में से किसी एक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग एवं बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने तथा उस संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पूर्व एक लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। यह विनियम, यह भी उपबंध करता है कि सेवा प्रदाताओं को प्रमाण–पत्र में एजेंसी द्वारा इंगित की गई अपर्याप्ताओं, यदि कोई है, पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर से पूर्व उस पर की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास दाखिल करेंगे।

वीएएस प्रावधानों व गलत बिलिंग से संबंधित विभिन्न शिकायतें, लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापन करने व इन पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, लेखा परीक्षा एजेंसियों के पास भेजी जाती हैं।

32. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण व शिकायत निराकरण विनियम, 2007 व बाद में इस विषय पर जारी निदेशों के अनुसार, कॉल सेंटरों, नोडल अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के अपीलीय प्राधिकारियों के पास दर्ज शिकायतों का मॉनीटरन किया जाना है। सेवा गुणवत्ता मॉनीटरन, लेखा परीक्षा और सर्वेक्षण में उठने वाले संबंधित मुद्दे, सेवा प्रदाताओं के साथ उठाए जाते हैं। अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मई, 2010 में परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई। समस्त स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम 2010" जारी किया गया। इस विनियम के विवरण पर रिपोर्ट के भाग–2 में चर्चा की गई है।

33. इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मोबाइल नम्बर सुवाह्यता सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सतत् प्रयास किए गए और दूरसंचार मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (संशोधन) विनियम जारी किए। मोबाइल नम्बर सुवाह्यता संबंधी सेवाएं दिनांक 25 नवम्बर, 2010 से हरियाणा के अनुज्ञापित सेवा क्षेत्र में तथा दिनांक 20 जनवरी, 2011 से शेष देश में प्रारंभ की गई।

34. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संगठनों और दूरसंचार क्रियाकलापों से संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श करने के तौर–तरीकों को औपचारिक रूप देते हुए, जनवरी, 2001 में विनियम जारी किया गया। इस विनियम में, गैर सरकारी संगठनों और उपभोक्ता संगठनों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ निःशुल्क पंजीकरण के लिए कार्यरीति उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वहनीय आधार पर दोतरफा विचारों का आदान–प्रदान किया जा सके। पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को परामर्श पत्र भेजकर, उन्हें विचार–विमर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करके तथा प्राधिकरण के साथ उनकी बैठकों की व्यवस्था करके, उन्हें गतिविधियों/विकास के संबंध में अवगत रखा जाता है। उपभोक्ता समूह और गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की जानकारी में लाकर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। मार्च, 2011 के अंत तक पूरे देश में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ 41 उपभोक्ता संगठन पंजीकृत थे।

35. यद्यपि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को वैयक्तिक उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं फिर भी यदि ये व्यवस्था से संबंधित समस्याओं/कमियों से संबंधित हैं, तो इन्हें स्वीकार किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों से सेक्टर के निष्पादन का आंकलन करने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसी शिकायतों के आधार पर दूरसंचार सेक्टर के उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त निदेश, आदेश और विनियम जारी करके, कई मुद्दों का समाधान किया गया है। यह बहुत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को इनकी जानकारी हो, ताकि उनके अधिकारों और सुविधाओं को प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित किया जा सके। उपभोक्ता शिक्षण और उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करके, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, देश के विभिन्न भागों

में कार्यशालाओं का आयोजन करता है। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने और गुणवत्तायुक्त सेवाएं देने के संबंध में इन विनियमों व भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सेवा प्रदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उन्हें भी इन कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाता है।

36. वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं – पहली दिनांक 04.08.2010 को बेंगलुरू में, दूसरी दिनांक 05.02.2011 को कोलकाता में, तीसरी 17.02.2011 को मुंबई में, चौथी 10.03.2011 को लखनऊ में और पांचवी 15.03.2011 को शिलांग में आयोजित की गई। इससे पहले, प्राधिकरण द्वारा मई, 2010 में सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकारियों और उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रशुल्क आदेशों में पारदर्शिता, प्री–पेड उपभोक्ताओं की समस्याओं, 'कॉल सेन्टरों में शिकायतों के प्रभावशाली ढंग से समाधान' इत्यादि पर चर्चा की गई, जो उपभोक्ताओं और उपभोक्ता समर्थक समूहों की चिंताओं का मुख्य विषय है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों की वार्षिक बैठक दिनांक 17.12.2010 को चेन्नई में आयोजित की गई।

37. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों के द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान जिला/ब्लॉक स्तर पर 100 उपभोक्ता शिक्षण, कार्यशालाओं के आयोजन का अनुमोदन प्रदान किया गया,

दिनांक 17 दिसंबर, 2010 को चेन्नई में
उपभोक्ता समर्थक समूह की छमाही बैठक

इनमें से उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में 72 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। प्रत्येक अंचल से उपभोक्ता समर्थक समूहों और भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता संगठनों को उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि(सीयूटीसीईएफ) के उपयोग संबंधी समिति में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि विनियमों को संशोधित करके दिनांक 07.03.2011 को अधिसूचित किया गया है। तद्नुसार दिनांक 24 मार्च, 2011 से सीयूटीसीईएफ को पुनगर्ठित किया गया है।

38. जनवरी, 2011 से, महत्वपूर्ण गतिविधियों/प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेक्टर में की गई पहलों की जानकारी एक मासिक समाचार पत्र के माध्यम से सभी पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों को दी जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समय–समय पर कई विनियम और आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकरण ने समस्त स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विनियमों, निदेशों और आदेशों की एक पुस्तिका/हैंडबुक का संकलन किया है तथा यह संकलन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

झ) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम ताकि ऐसी सेवाओं का विकास किया जा सके

39. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सदैव ही ऐसी नीतियां स्थापित करने का प्रयास किया है जो समसामयिक विकास के अनुरूप और सरल–सहज व व्यावहारिक हों। जिनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व/आय तथा उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव पड़ता हो। यह इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि उपयुक्त व्यापारिक कार्य–नीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक निश्चित्ता महत्वपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अभिनवता के लाभ प्राप्त होते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए कार्य किया है। सिफारिशों/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय, उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

40. दूरसंचार बाजार के सभी खण्डों के क्रमिक रूप से खोले जाने से अंतःसंयोजनों की बहुलता में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में अंतःसंयोजनों के प्रकार व संख्या अत्यधिक विशाल हो गई है, जिससे अंतःसंयोजन परिदृश्य कुछ जटिल बन गया है। इस स्थिति को एक सेवा क्षेत्र के भीतर, प्रत्येक सेवा के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंसियों ने और भी जटिल बना दिया है। दूरसंचार बाजार में नए प्रवेशकर्ताओं के पास मोल–भाव की पेशकश करने के लिए कुछ खास नहीं है। प्रतियोगिता की इन बाधाओं को हटाने के लिए विभिन्न सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रभावी अंतःसंयोजन व्यवस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने तथा उनके मध्य निपटानों की अत्यधिक निश्चितता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने समय–समय पर विभिन्न विनियम/अवधारणा/निदेश जारी

किए हैं, जो उद्योग की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, बाजार की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं तथा देश में दूरसंचार वृद्धि के समग्र उद्देश्य को सहायता देते हैं।

41. दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित विनियम जारी किए गए हैं:–

(i) दिनांक 30 जुलाई,2010 का दूरसंचार(प्रसारण एवं केबल सेवा) अंतःसंयोजन(छठा संशोधन) विनियम,2010

(ii) दिनांक 24 नवम्बर,2010 का दूरसंचार मोबाइल नंबर सुवाह्यता (द्वितीय संशोधन) विनियम,2010

(iii) दिनांक 01 दिसम्बर,2010 का दूरसंचार वाणिज्यिक उपभोक्ता संप्रेषण अधिमान विनियम, 2010

42. इस रिपोर्ट के भाग–2 में इन विनियमों के विवरण पर चर्चा की गई है।

(ट) ऐसी अमुक सेवाओं पर फीस व अन्य प्रभारों की ऐसी दरों पर उगाही, जैसी कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएं

43. समस्त प्रसारण सेवाओं अर्थात् एनालॉग केबल टीवी सेवाएं (सीएएस रहित) तथा डिजिटल एड्रेसेबल सेवाएं जैसे कि सीएएस, डीटीएच, आईपीटीवी और एचआईटीएस के लिए प्रशुल्क की व्यापक समीक्षा के बाद, दिनांक 21 जुलाई, 2010 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क आदेश, 2010 जारी किया गया था। इस प्रशुल्क आदेश में सभी एड्रेसेबल प्रणालियों जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सम्मिलित हैं। इस प्रशुल्क आदेश द्वारा उपभोक्ताओं को चैनलों के संबंध में किराए के बिल के अनुसार (ए–ला–कार्टे) विकल्प प्रदान किए गए हैं। किराए के बिल के अनुसार (ए–ला–कार्टे) चैनलों के प्रावधानों के अलावा प्रचालक चैनलों के पैकेज का भी प्रस्ताव कर सकता है। उपभोक्ताओं के लिए चैनलों/पैकेज के किराए के स्तर पर कीमत को परिहार (फोरबीयरेंस) के अंतर्गत रखा गया है परंतु किराया प्रभार में प्रचालक के साथ पंजीयन की तिथि से छह माह तक अभिदान में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रचालक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई भी प्रचालक, प्रति उपभोक्ता अधिकतम 150/– रु0 (कर के बिना) का मासिक अभिदान विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(ठ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के प्रभावशाली अनुपालन के लिए उठाए गए कदम

44. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वभौमिक सेवा दायित्व सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। रोल आउट दायित्वों के माध्यम द्वारा और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा के उद्देश्यों को प्राप्त करना लक्षित था। तथापि, अभी तक सार्वभौमिक सेवा दायित्व योजनाओं को सीमित सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा" के संबंध में अपनी मई, 2010 और "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" पर दिसम्बर, 2010

की सिफारिशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पैंठ के मुद्दे का पुनरीक्षण किया है। इन सिफारिशों के फलस्वरूप, उत्पन्न एक प्रमुख परिवर्तन है, यूएसओ निधि के उपयोग संबंधी क्षेत्रों का पुनर्निधारण किया जाना। इनमें से कुछ क्षेत्रों में सम्मिलित हैं, बीएचक्यू स्तर तक प्रकाशिक तंतु (ऑप्टीकल फाइबर) बिछाना, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के लिए बैकहॉल उपलब्ध कराना तथा 500 से कम आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराना।

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में तथा दूरसंचार उद्योग से संबंधित प्रासंगिक किसी अन्य मामले में केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण

45. दूरसंचार और प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(i) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे के संबंध में दिनांक 11 मई 2010 की सिफारिशें।

(ii) ''नम्बरिंग संसाधनों के कार्यकुशल उपयोग'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2010 की सिफारिशें।

(iii) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के संबंध में दिनांक 08 दिसम्बर 2010 की सिफारिशें।

(iv) दिसम्बर, 2006 से आगे जारी लाइसेंसों के रोल–आउट दायित्वों की स्थिति पर दिनांक 18 नवम्बर एवं 22 दिसम्बर 2010 की सिफारिशें।

(v) 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की कीमत निर्धारित करने के संबंध में दिनांक 08 फरवरी 2011 की सिफारिशें।

(vi) मोबाइल टीवी सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 14 अप्रैल 2010 की संशोधित सिफारिशें।

(vii) प्रसारण सेक्टर के लिए सीधे विदेशी निवेश सीमा के संबंध में दिनांक 30 जून 2010 की सिफारिशें।

(viii) भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 जुलाई 2010 की सिफारिशें।

(ix) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली लागू करने के संबंध में दिनांक 05 अगस्त 2010 की सिफारिशें।

(x) निजी एफएम रेडियो प्रसारण के तीसरे चरण पर दिनांक 09 फरवरी 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(xi) भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग नीति से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22 जुलाई 2010 की संशोधित सिफारिशें।

(xii) भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी पद्धति के कार्यान्वयन पर दिनांक 22 फरवरी 2011 की संशोधित सिफारिशें।

46. निम्नलिखित सिफारिशें वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजित की गई परामर्शी प्रक्रिया का परिणाम हैं:–

(i) 'दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति' पर सिफारिशें।

(ii) 'हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण' पर सिफारिशें।

(iii) 'दूरसंचार अवसंरचना नीति' पर सिफारिशें।

(ढ) सेवा की गुणवत्ता का मॉनीटरन तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए संवर्धनात्मक सर्वेक्षणों का विवरण

47. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बेसिक और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं का मॉनीटरन निर्धारित मानकों से तुलना करके, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन मॉनीटरन रिपोर्टों (पीएमआर) के माध्यम से किया जाता है।

48. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2006 को जारी ब्रॉडबैंड की सेवा गुणवत्ता विनियम के माध्यम से निर्दिष्ट मानकों की तुलना से सेवा प्रदाताओं की ब्रॉडबैंड सेवा के निष्पादन की निगरानी की जाती है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है ताकि सेवा गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनके निष्पादन का आंकलन किया जा सके। जहां कहीं भी सेवा मानकों की पूर्ति में कमियां संज्ञान में आती हैं, मामले को एक समयबद्ध आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सेवा प्रदाता के साथ उठाया जाता है।

49. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसम्बर 2001 में डायल–अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस की सेवा गुणवत्ता पर विनियम जारी किए थे, जिसमें इंटरनेट डायल–अप एक्सेस के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। इन्हें आईएसपी द्वारा 6 माह के भीतर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। तद्नुसार, आईएसपी के लिए सेवा गुणवत्ता विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसपी से तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तथा सेवा गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

50. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर भीड़–भाड़ (कंजेशन) के स्तर की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है। यह मापदण्ड उस आसानी को इंगित करता है, जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का उपभोक्ता किसी अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है। यह मापदण्ड यह भी प्रतिबिंबित करता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन कितना प्रभावी है। इस मापदण्ड के लिए जुलाई, 2005 के सेवा गुणवत्ता विनियमों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मानक <0.5 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 के लिए पीओआई भीड़–भाड़ (कंजेशन) रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पीओआई पर भीड़–भाड़ (कंजेशन) के संबंध में सीएमएसपी के निष्पादन में मार्च, 2011 की तुलना में सुधार आया है। इस अवधि के दौरान सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता आधार मार्च, 2010 में 584.32 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2011 में 811.59 मिलियन हो गया। भीड़–भाड़ (कंजेशन) रखने वाले पीओआई की संख्या मार्च, 2010 में 82 से घटकर मार्च, 2011 में 63 हो गई है।

दिनांक 02 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में
"दूरसंचार उपस्करण विनिर्माण" पर ओपन हाउस चर्चा

दिनांक 21 जनवरी, 2011 को चेन्नई में
"टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उपायों की समीक्षा"
संबंधी ओपन हाउस चर्चा में मातृविप्रा के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण

भाग–IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

1. इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त–पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और संगोष्ठी के क्षेत्र शामिल हैं और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित विस्तृत सूचना निम्नांकित पैराग्राफ में दी गई है।

(क) संगठन

2.. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित एक निकाय है, जिसके पास उत्तरोत्तर उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा है और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन चल एवं अचल, दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व निपटान करने तथा उसका अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा अथवा उस पर वाद किया जा सकेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक

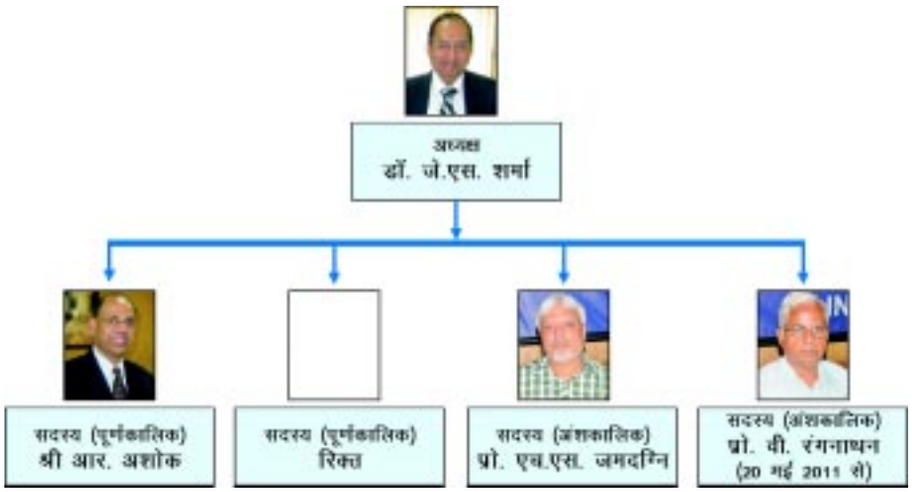

28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। अब प्राधिकरण में शामिल है – एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सचिवालय

3. प्राधिकरण का सचिवालय, सचिव के अंतर्गत कार्य करता है। सचिवालय, कार्यालय, प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है अर्थात् प्रशासन व मानव संसाधन, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण, उपभोक्ता मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विशेष परियोजनाएं, आर्थिक विनियमन, वित्त विश्लेषण एवं आंतरिक वित्त सलाह, अंतःसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क, विधि, मोबाइल नेटवर्क, सेवा गुणवत्ता, विनियामक प्रवर्तन तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग। प्रभागों के प्रमुख प्रधान सलाहकार/सलाहकार हैं।

प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं विनियामक प्रवर्त्तन प्रभाग

4. प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन व विनियामक प्रवर्त्तन प्रभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में मानव संसाधन विकास की योजना और नियंत्रण के साथ–साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्त्तन सहित समस्त प्रशासनिक व कार्मिक प्रकार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन व विनियामक प्रवर्त्तन प्रभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, जन सम्पर्क अनुभाग, विनियामक प्रवर्त्तन अनुभाग, राजभाषा अनुभाग व एम0आर0 अनुभाग और सूचना का अधिकार अनुभाग के प्रबंधन व इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायी होगा। विनियमन प्रवर्त्तन के मोर्चे पर, यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त विनियमों/निदेशों व आदेशों के प्रवर्त्तन के लिए उत्तरदायी है।

ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण प्रभाग

5. ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण प्रभाग, दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अभिसरण से संबंधित तकनीकी मुद्दों के निपटान के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्रभाग ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोनी और वीओआईपी, आईपीवी6, आईपीटीवी से संबंधित मुद्दों का निपटान करता है तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के उपभोक्ताओं में वृद्धि के निष्पादन का, तिमाही व मासिक आधार पर मॉनीटरन करता है। यह प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना के निर्माण और रख–रखाव सहित कार्यालय की सूचना तकनीकी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग द्वारा दूरसंचार से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों का निपटान भी किया जाता है।

प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एण्ड सीएस) प्रभाग

6. प्रसारण एवं केबल सेवाएं(बी एण्ड सीएस) प्रभाग का उत्तरदायित्व प्रसारण व केबल टी0वी0 क्षेत्र के लिए समग्र नियामक ढांचे का

निर्धारण करना, अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ के पहलू सम्मिलित करते हुए सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावशाली अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता व प्रशुल्क मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्ति करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा सेक्टर के लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। प्रसारण व केबल सेवा प्रभाग, प्रसारण व केबल टीवी सेक्टर के आधुनिकीकरण/ डिजिटलीकरण से संबंधित मुददों की जांच करने और उनके संबंध में सिफारिशें देने, निर्धारित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों का मॉनीटरन व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने, नई प्रसारण व केबल टी0वी0 सेवाओं को प्रारम्भ करने के मामलों की जांच करने व सिफारिशों के प्रस्ताव बनाने तथा उद्योग के समस्त स्टेकहोल्डरों के हितों के संरक्षण के उपाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

उपभोक्ता मामले (सीए) एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) प्रभाग

7. उपभोक्ता मामलों का प्रभाग, दूरसंचार सेक्टर में उपभोक्ताओं के पक्ष में समर्थन विकसित करने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों के संबंध में, उपभोक्ताओं में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। उपभोक्ता प्रभाग, सारे देश से उपभोक्ता संगठनों व गैर–सरकारी संगठनों के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनके साथ बातचीत/ अन्योन्यक्रिया करता है। उपभोक्ता मामलों के प्रभाग के अन्य कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं देश के समस्त क्षेत्रों के उपभोक्ता शिक्षण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की जिला और ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने में सहायता करना तथा उपभोक्ताओं की सामान्य शिकायतों का निपटान करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध(आईआर) प्रभाग द्वारा समस्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/ निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी), आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (ओईसीडी) तथा अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाता है।

आर्थिक विनियमन प्रभाग (ईआर)

8 आर्थिक विनियमन प्रभाग, प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रशुल्क नीति तैयार करने, भारत में ऐसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का नियतन करने, जो प्रशुल्क विनियमन के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं घरेलू लीज्ड सर्किटों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किटों और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क, आर्थिक विनियमन प्रभाग प्राधिकरण को लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण से संबंधित मामलों पर तथा भारत में दूरसंचार सेवाओं के बाजार में विभिन्न सेगमेंटों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए

उपायों पर भी परामर्श देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतन रिपोर्ट" का भी संकलन करता है तथा इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

वित्त विश्लेषण (एफए) एवं आंतरिक वित्त सलाह (आईएफए) प्रभाग

9. वित्त विश्लेषण (एफए) एवं आंतरिक वित्त (आईएफए) प्रभाग, दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागतों से संबंधित सभी पहलुओं, लेखांकन पृथकीकरण और सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सलाहकार (एफए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी हैं तथा वे सभी वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखों, वित्तीय लेखा परीक्षा तथा वित्तीय संव्यवहारों की छानबीन से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देते हैं।

अंतःसंयोजन एवं स्थिर नेटवर्क (आई एण्ड एफएन) प्रभाग

10. अंतःसंयोजन के लिए निबंधन और शर्ते निर्धारित करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना, अंतःसंयोजन प्रयोग के प्रभार(आईयूसी) का निर्धारण करने सहित, अंतःसंयोजन से संबंधित सभी मुद्दों का निपटान करने और उसके बाद इनकी नियमित समीक्षा करने, ऑप्टिकल अभिगम मुद्दों व केबिल लैडिंग स्टेशन से संबंधित अभिगम प्रभारों से संबंधित मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा। अंतःसंयोजन व स्थिर नेटवर्क प्रभाग, बुनियादी (बेसिक) राष्ट्रीय सुदूर (एनएलडी) और अंतर्राष्ट्रीय सुदूर (आईएलडी) लाइसेंसों की शर्तो और साथ ही साथ प्रभाग द्वारा जारी विनियमों/निदेशों/ आदेशों के अनुपालन का मॉनीटरन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

विधि प्रभाग

11. विधि प्रभाग, सभी विनियामक मामलों पर प्राधिकरण को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग उन सभी वाद के मामलों का प्रबंधन करता है, जिनमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक पक्ष होता है।

मोबाइल नेटवर्क(एमएन) प्रभाग

12. मोबाइल नेटवर्क प्रभाग मोबाइल प्रचालकों को जारी विभिन्न लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन, मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) सहित बेतार सेवा के विविध मुद्दों/ पहलुओं से संबंधित सिफारिशों, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से संबंधित मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के प्रभावी प्रबंधन, और मोबाइल सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)/एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के अध्ययन समूहों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से संबंधित मामलों का निपटान करता है।

सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

13 सेवा गुणवत्ता प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि दूरसंचार

सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। सेवा गुणवत्ता प्रभाग अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर अनुरक्षित करने तथा ऐसे अन्य सभी मामलों का निपटान करने के लिए भी उत्तरदायी है जो विनियम में उपबंधित किए जाएं। सेवा गुणवत्ता प्रभाग रेडियो पेजिंग, पीएमआरटीएस तथा वीएसएटी सेवा से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है।

प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विश्लेषण (टीडीआरए) प्रभाग

14. विनियामक अनुभव समय के साथ किस प्रकार विकसित होते हैं, पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का गहरा प्रभाव है। नए प्रकार के नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए एक प्रोत्साहन देने वाली विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो कि लम्बे समय के लिए निश्चितता प्रदान करती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान व विश्लेषण प्रभाग, दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रवाह को समझने और उनकी पहचान करने के लिए उनके उपयोग व संभावित उपयोगिता की पहचान करे ताकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, संचार बाजारों के नियंत्रण से सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं और नागरिकों को होने वाली उलझनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके, सोच समझकर निर्णय ले। अनुसंधान के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार के क्षेत्र में, विशेषकर विभिन्न अवस्थाओं में अभिसरण में परिवर्तनों को संचालित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करेगा। विनियमों के कारण नए परिवर्तन तथा वे क्षेत्र जिनके लिए नई अथवा भिन्न विनियामक अथवा गैर–विनियामक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, विशेष महत्व के होंगे। प्रभाग द्वारा एक मासिक प्रौद्योगिकी सार संग्रह, जिसमें आधुनिक अभिरुचि का स्पष्टतयाः विस्तृत विवरण होता है तथा दूरसंचार पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में एक त्रैमासिक प्रौद्योगिकी का प्रकाशन किया जाता है। प्रभाग द्वारा भावी पीढ़ी के नेटवर्क और मामलों का संचालन भी किया जाता है।

ग) मानव संसाधन प्रबंधन

(i) भादूविप्रा की स्टाफ नफरी (दिनांक 31/03/2011 को)

15. 188 कर्मियों का स्टाफ (31.03.2011 की स्थिति के अनुसार) सचिवालय में कार्य का निष्पादन कर रहा है, जो अपने कृत्यों के निर्वहन में इसे प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों का निपटान करता है। जब भी आवश्यक हो, निम्न आधार पर परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जाती हैः–

- प्रतिधारण शुल्क पर वैयक्तिक परामर्शदाता।
- विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता।
- प्रतिधारण आधार पर परामर्शकर्ता फर्में।
- विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शकर्ता फर्में।

परामर्शदाताओं को अस्थायी आधार पर स्थानांतरण या नियत कार्य आधार पर संलग्न किया जाता है।

दिनांक 31/03/2011 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्टाफ नफरी को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है।

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार/सलाहकार	15	15
3.	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	35	21
4.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
5.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	37	28
6.	प्रधान निजी सचिव	02	02
7.	तकनीकी अधिकारी	12	10
8.	अनुभाग अधिकारी	19	16
9.	निजी सचिव	14	10
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	--
11.	सहायक	48	34
12.	वैयक्तिक सहायक	18	17
13.	आशुलिपिक'घ'	01	--
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	--
15.	अवर श्रेणी लिपिक	07	05
16.	चालक	15	15
17.	पीसीएम प्रचालक	02	02
18.	डिस्पैच राइडर	01	01
19.	परिचारक	08	08
	कुल	**240**	**188**

सचिव, प्रधान सलाहकारों/सलाहकारों का विवरणः–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
1.	श्री आर.के. आर्नल्ड सचिव	
2.	श्री आर.के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (प्रशा. मा.स.प्र. एवं वि.प्र.)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
3.	श्री जी. ऐलियास प्रधान सलाहकार (प्रसारण एवं नीति विश्लेषण)	
4.	श्री एन. परमेश्वरन प्रधान सलाहकार (उपभोक्ता मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
5.	श्री लव गुप्ता प्रधान सलाहकार (प्रौद्योगिकी विकास)	
6.	श्री सुधीर गुप्ता प्रधान सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)	
7.	श्रीमती अनुराधा मित्रा प्रधान सलाहकार (वित्त विश्लेषण एवं आंतरिक वित्त)	
8.	श्री हर्षबर्धन प्रधान सलाहकार (विधि)	
9.	श्री एस.के. गुप्ता सलाहकार (उपभोक्ता मामले एवं विशेष परियोजनाएं)	
10.	श्री के.जे.एस. बैंस सलाहकार (विधि)	
11.	श्री राजपाल सलाहकार (आर्थिक विनियमन)	
12.	श्री वसी अहमद सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
13.	श्री ए. रॉबर्ट जेरार्ड रवि सलाहकार (सेवा गुणवत्ता)	
14.	श्री अरविंद कुमार सलाहकार (अंतःसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क)	
15.	श्री संजीव बांझल सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)	
16.	श्री राज कुमार उपाध्याय सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण)	

16. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कार्मिकों को आरम्भ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। ये प्रतिनियुक्त व्यक्ति जो कि दूरसंचार, आर्थिक, वित्त, प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित अनुभव रखते हैं, को आरम्भ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को अनुरोध भेजा जाता है। विद्यमान प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया लम्बा समय लेती है तथा हमेशा सफल भी नहीं होती है। एक ओर जहां प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र, परिधि एवं जटिलता में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं प्राधिकरण को विद्यमान प्रशिक्षित एवं

अनुभवी कर्मियों के उनके मूल विभाग में निरंतर प्रत्यावर्तन के कारण खोने की समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2010 व 13 जुलाई, 2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी व स्टाफ नियुक्तियां) विनियम 2010 (नवां व दसवां संशोधन) में संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों, की पात्रता शर्तों को परिवर्तित किया गया है।

(ii) भर्ती

17. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के आमेलन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्त व्यक्ति, विशेषतः वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों द्वारा स्थायी आमेलन का विकल्प नहीं दिया गया है। अतः प्राधिकरण के सचिवालय हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है। यह दो कारणों से है। प्रथम, प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले स्वतंत्र प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को वर्तमान पारिश्रमिक पैकेज आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। द्वितीय, सरकारी कर्मियों में से संबंधित विशेषज्ञ मुख्यतः मंत्रालयों या शासन शासित दूरसंचार प्रचालकों के पास उपलब्ध होते हैं। यहां तक कि इस समूह के लिए भी प्राधिकरण द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक पैकेज पर्याप्त यथोचित नहीं है, जो कि उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित कर सकें। अतः प्राधिकरण को अपने सचिवालय के लिए उपयुक्त कर्मी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां हो रही है।

18. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रशासित करने वाले विनियमों के संदर्भ में, शासन के हलकों में अधिकांशतः राय यह है कि यह लगभग केन्द्रीय सरकार के नियमों की तरह या ठीक वैसे ही होने चाहिए। इस प्रकार की राय में इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक विशेषज्ञ निकाय है, जिसे दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में से विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है तथा कर्मियों को न केवल सरकार से अपितु खुले बाजार से आकर्षित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सेवा निबंधन और शर्तों को विद्यमान बाजार के निबंधन और शर्तों की तुलना में प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते कम से कम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास, दूरसंचार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामान्य रूप से लागू निबंधन और शर्तों को देने की सक्षमता होनी चाहिए।

(iii) प्रशिक्षण

19. प्रशुल्कों व सेवा गुणवत्ता के मानकों से संबंधित प्रस्तावों का मॉनीटरन करने के लिए बड़ी संख्या में आंकड़ों को संभालने और सेवा गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं व ग्राहकों से संबंधित अन्य मुद्दों के लिए सर्वेक्षण करने व इनका समन्वयन करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों और कार्मिकों की विशेषज्ञता और क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अपने

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को उच्चतम महत्व दिया गया है। यह पहल, परामर्श पत्र तैयार करने व उस पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने तथा खुला मंच (ओपन हाउस) चर्चाओं का आयोजन करने में लाभदायक सिद्ध हुई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन व कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार करते समय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रयास होगा, नीतियों के कार्यान्वयन और मॉनीटरन से संबंधित, वृहत स्तर पर नीति निर्धारण करना और व्यापक तकनीकी–आर्थिक परिचालन विवरणों का संचालन करने के लिए, विविध कौशल प्रदान करना। इस प्रक्रिया में सम्मिलित असीम संचार तंत्र के साथ ही साथ विश्लेषणात्मक तैयारियों के लिए ऐसे स्टाफ की अपेक्षा की जाती है, जो कि अत्यन्त प्रशिक्षित व सुविज्ञ हो और साथ ही अपने दृष्टिकोण व कार्यों में अनुकूली(एडेप्टिव) व लचीला हो। चूंकि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ स्टाफ के नियत कार्यों की विविध व विशिष्ट जरूरतों के लिए विशेष कार्यक्रम की पहचान करने व उनकी रूपरेखा बनाने की जरूरत है, अतः, प्राधिकरण कई संस्थानों और संगठनों जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), सचिवालय एवं प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), एडवांस लेवल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (एएलटीटीसी) इत्यादि के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा संगठन के भीतर अपनी विशेषज्ञता को और अधिक विकसित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हें, "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित किया गया है।

20. वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों ने मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है तथा इन जानकारियों ने विनियामक कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल में संवृद्धि की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 अधिकारियों/कार्मिकों को देश के भीतर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

21. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की घरेलू प्रणाली भी विद्यमान है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों के बारे में, इसके अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों/कार्मिकों का कम्प्यूटर ज्ञान बढ़ाने के लिए क्रमशः डीओईएसीसी/एएलटीटीसी/ आईआईसीए द्वारा आयोजित एडंवास लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 67 अधिकारियों को तथा एनआईआईटी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 52 कर्मियों को नामित किया गया। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए उठाया गया, एक और कदम है।

(iv) संगोष्ठी/कार्यशालाएं

22. समूचे विश्व में हो रहे विकास के साथ सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने

अपने कर्मियों को इन विकास कार्यों की जानकारी हासिल करने तथा अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया/योगदान (फीडबैक/इनपुट) प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामित किया। वर्ष 2010–11 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 संगोष्ठियों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की प्रतिभागिता ने, न केवल उन मुद्दों, जो वर्तमान में भारत में, व्यवस्थापन/विनियमात्मक संबंधी चिंता का मुख्य विषय है, पर केन्द्रित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, बल्कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से भी अवगत कराया है।

(v) कार्यालय भवन

23. भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सरकारी पूल से कार्यालय के भवन हेतु पात्र कार्यालय है। लेकिन 1997 में इसकी शुरूआत से 'भादूविप्रा' किराए के भवन में कार्यरत है। विगत में 'भादूविप्रा' ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपना कार्यालय भवन प्राप्त करने हेतु जोरदार प्रयास किए थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण' दूरसंचार सेक्टर और प्रसारण तथा केबल सेवा के मामलों में विनियमन हेतु एक स्वायत निकाय होने के कारण इसके स्वायत स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसे अपने कार्यालय भवन की आवश्यकता है। वर्तमान में 'भादूविप्रा' का कार्यालय किराया आधार पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भवन में स्थित है।

(vi) भादूविप्रा के स्टाफ हेतु रिहायशी आवास

24. भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को, प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले विशेष लाइसेंस फीस पर, सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दी गई है जो कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस फीस की वसूली करता है। आवास रखने की अनुमत्य अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृत होने की तारीख या प्राधिकरण में उनके प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि, दोनों में से जो पहले हो, तक होगी। जनरल पूल के रिहायशी आवास के लिए आबंटन की पात्रता सम्पदा निदेशालय को ''भादूविप्रा'' द्वारा विशेष लाइसेंस फीस के भुगतान पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिल्ली में, प्राधिकरण के सचिवालय में पदस्थ उन अधिकारियों तक सीमित रहेगी, जो कि इस प्राधिकरण में आने से पूर्व सामान्य पूल के आवास आबंटन हेतु पात्र थे। अतः पूर्ववर्ती स्थिति के मद्देनजर, सम्पदा निदेशालय 'दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आमेलन होने के बाद अधिकारियों और स्टाफ को न तो जनरल पूल का आवास आबंटित कर रहा है और न ही उन्हें पहले से आबंटित सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दे रहा है।

(घ) वित्त–पोषण

25. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका पूर्णतः वित्त–पोषण भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा होता है। वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण पर कुल व्यय 41.62 करोड़ रुपये था जिसमें से 7.34 करोड़ रू0 की राशि वर्ष 2010–11 के दौरान 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत व्यय की गई,

जिसमें कतिपय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

26. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, उसका वित्त–पोषण उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेंस शुल्क के एक छोटे भाग से होना चाहिए तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा–शर्तों के निर्धारण में लचीलेपन की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर–सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां, यह उल्लेख करने योग्य है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' और 'सेबी' उसी क्षेत्र से वसूल किए गए शुल्क से वित्त–पोषित होते हैं, जिसे वे विनियमित करते हैं तथा इन प्राधिकरणों को, अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वसूली गई निधियों का उपयोग करने का लचीलापन प्राप्त है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम

27. 12 अक्तूबर 2005 से प्रभावी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण पर भी लागू होता है। तदनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के सामंजस्य में, प्राधिकरण ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नामित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान सलाहकार के स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई है।

28. वर्ष 2010–11 के दौरान, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 457 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई और 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर उनका उत्तर दे दिया गया।

(छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन

29. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा दिसम्बर 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्रदान किया गया था। इसका तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ वर्ष 2007 एवं 2010 में, दो बार नवीनीकरण किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला आईएस/आईएसओ 9001:2008 नवम्बर 2013 तक की वैध अवधि के लिए प्रदान की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के क्रियान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से छह निगरानी लेखा परीक्षाएं तथा दो नवीकरण लेखा परीक्षाएं आयोजित की। गुणवत्ता लेखा परीक्षकों ने क्यूएमएस कार्यकरण को संतोषजनक माना है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की सिफारिश की है।

30. तिमाही आधार पर आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा संचालन ने भी प्रणाली में अनवरत सुधार सुनिश्चित किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास इस उद्देश्य

के लिए 61 आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षक हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सचिव द्वारा भी मासिक आधार पर और उच्च प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। अंतिम प्रबंधन समीक्षा बैठक का आयोजन माह अगस्त,2010 में किया गया।

(ज) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

31. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव के पर्यवेक्षण में राजभाषा अनुभाग कार्यरत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी विनियम, निविदा सूचनाएं, राजपत्र, अधिसूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, तब यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

32. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी प्रधान सलाहकार (प्रशा0,मा0सं0प्र0 एवं वि0प्र0) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, बैठकों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति तय की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 18 मई, 2010, 13 सितम्बर 2010, 19 जनवरी, 2011 तथा 29 मार्च 2011 को आयोजित की गई।

33. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 14 से 30 सितम्बर 2010 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/प्रारूपण, नारा लेखन, वाद–विवाद आदि आयोजित की गई। संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर 2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य परिचालित किया गया, जिसमें उन्होंने राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 23 दिसम्बर,2010 को आयोजित समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए। सरकारी कामकाज में हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की भावना को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की दिशा में सितम्बर 2010 के दौरान मनाया गया ''हिंदी पखवाड़ा'' सफल सिद्ध हुआ।

34. सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पिछले चार वर्ष से एक ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की अवधि के दौरान अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कार्मिकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इसने स्टाफ को समूचे वर्ष उनका अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

35. अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने में सहायता प्रदान करने तथा उन्हें संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में हिंदी कार्यशालाए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/संदर्भ पुस्तिकाएं आदि वितरित की जाती हैं, जो उन्हें उनका सरकारी कामकाज हिंदी में करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 14 सितम्बर 2010 तथा 10 फरवरी 2011 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई।

36. द्विभाषी पत्रिका ''ट्राई दर्पण'' भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की गृह–पत्रिका है तथा इसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ट्राई दर्पण के दो अंकों (अंक 7 और 8) का प्रकाशन किया गया। इन अंकों की प्राधिकरण में तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को मादूविप्रा में आयोजित "हिंदी पखवाड़ा" के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह में मादूविप्रा के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव

भादूविप्रा की गृह पत्रिका "ट्राई दर्पण" का विमोचन

दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को भादूविप्रा में आयोजित
"हिंदी पखवाड़ा" के दौरान पुरस्कारों का वितरण करते हुए अध्यक्ष, भादूविप्रा

ख) वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखे पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997(जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक(सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों(स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। एक

लेखापरीक्षा में शामिल हैं – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय के लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

(क) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 35.21 करोड़ रु0(पूर्व वर्ष के सहायता अनुदान में से अव्ययित 1.71 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की शेष राशि सहित) के सहायता अनुदान(योजनेत्तर) में से भादूविप्रा केवल 34.32 करोड़ रु0 की राशि(योजनेत्तर) का ही उपयोग कर सका जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2011 को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में 0.89 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की राशि शेष रह गई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 5.99 करोड़ रु0 के सहायता अनुदान(योजना) (जिसमें पिछले वर्ष के अनुदान(योजना) में से भादूविप्रा के पास पड़ी 0.49 करोड़ रु0 (योजना) की अव्ययित शेष राशि भी शामिल है) में से 31 मार्च, 2011 तक, भादूविप्रा केवल 5.84 करोड़ रु0 (योजना) ही व्यय कर सका तथा 0.15 करोड़ रु0 (योजना) की राशि अव्ययित अनुदान के रूप में शेष रह गयी है।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के

अनुलग्नक–I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2011 (योजना और योजनेत्तर दोनों) के तुलन पत्र से संबंधित है, और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखे (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रेवती बेदी)
महानिदेशक –लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21 सितम्बर, 2011

अनुलग्नक– I

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है(संगठन प्रमुख के बजाए वित्त विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं) क्योंकि लेखापरीक्षा एकक, कार्य क्षेत्र एवं आपत्तियों के निवारण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है ।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(3) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

संगठन की स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(4) वस्तु–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु–सूची के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

अस्वीकरण :– "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
दिनांक 31.3.2011 को तुलन–पत्र

कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
कोष/पूंजीगत निधि	1	(2,10,72,360)	2,84,12,319	14,81,92,501	9,16,57,454
रिजर्व एवं अधिशेष	2				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3				
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4				
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5				
आस्थगित ऋण देयताएं	6				
चालू देयताएं और प्रावधान	7	10,74,53,040	9,61,50,546	2,52,17,504	1,59,94,880
कुल		**8,63,80,680**	**12,45,62,865**	**17,34,10,005**	**10,76,52,334**
परिसंपत्तियां					
नियत परिसंपत्तियां	8	2,54,01,358	2,42,30,840	2,02,114	2,53,560
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9				
निवेश–अन्य	10				
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	6,09,79,322	10,03,32,025	17,32,07,891	10,73,98,774
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)					
कुल		**8,63,80,680**	**12,45,62,865**	**17,34,10,005**	**10,76,52,334**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25				

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12				
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	29,00,00,000	24,00,00,000	13,00,00,000	10,00,00,000
शुल्क/अंशदान	14				
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश में से हुई आय को निधियों में स्थानांतरण)	15				
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	3,17,827	2,287		
अन्य आय	18	1,67,385	19,887		
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19				
कुल (क)		**29,04,85,212**	**24,00,22,174**	**13,00,00,000**	**10,00,00,000**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	12,98,22,824	13,38,32,475		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	20,71,38,686	16,44,65,856	7,34,13,506	2,09,39,601
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22				
ब्याज	23				
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		58,13,356	57,01,113	51,446	1,10,847
कुल (ख)		**34,27,74,866**	**30,39,99,444**	**7,34,64,952**	**2,10,50,448**

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
व्यय पर आय के आधिक्य के रूप में शेष (क–ख)					
विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)					
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण					
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, कोष/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		(5,22,89,654)	(6,39,77,270)	5,65,35,048	7,89,49,552
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25				

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – कोष/पूंजीगत निधि

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	2,84,12,319	9,31,95,742	9,16,57,453	1,23,12,335
जोड़ें/घटाएं: कोष/पूंजीगत निधि में योगदान	28,04,975	(8,06,153)		3,95,567
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते में अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष आय और व्यय लेखा	(5,22,89,654)	(6,39,77,270)	5,65,35,048	7,89,49,552
वर्ष की समाप्ति पर तुलन–पत्र	(2,10,72,360)	2,84,12,319	14,81,92,501	9,16,57,454

अनुसूची 2 – रिजर्व और अधिशेष

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. पूंजी रिजर्व	-		-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-		-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
					योजनेत्तर		योजना	
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) निधि का प्रारंभिक शेष								
ख) निधि में जमा राशियां								
i. दान/अनुदान								
ii. निधियों के कारण निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. **पूंजीगत व्यय**								
- नियत परिसंपत्तियां					शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अन्य								
कुल								
ii. **राजस्व व्यय**								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि								
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाए तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधी–ऋण	-	-	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
ख) अन्य–ऋण	-	-	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बाण्ड्स	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 – सुरक्षित ऋण और उधार

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. केन्द्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक		-		-
क) सावधी–ऋण		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बाण्ड्स		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

टिप्पणी :– एक वर्ष के भीतर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) पूंजीगत उपस्करों के गिरवी द्वारा ली गई स्वीकृति तथा अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-
ख) राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क. चालू देयताएं				
1) स्वीकृतियां				
2) विविध ऋणदाता				
क) वस्तुओं के लिए				
ख) अन्य				
3) प्राप्त अग्रिम				
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं				
क) सुरक्षित ऋण/उधार				
ख) असुरक्षित ऋण/उधार				
5) साविधिक देयताएं				
क) बाकी				
ख) अन्य				
6) अन्य चालू देयताएं				
1) ट्राई सामान्य निधि के लिए	21,86,000	5,50,000	6,00,000	
2) टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	6,70,000			
3) ग्राहक जागरूकता शुल्क के लिए	97,76,062			
कुल (क)	**1,26,32,062**	**5,50,000**	**6,00,000**	
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी	1,25,17,450	1,32,29,591		
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	1,42,53,725	1,17,27,827		
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
व्ययों के लिए प्रावधान	6,80,49,803	7,06,43,128	2,46,17,504	1,59,94,880
कुल (ख)	**9,48,20,978**	**9,56,00,546**	**2,46,17,504**	**1,59,94,880**
कुल (क+ख)	**10,74,53,040**	**9,61,50,546**	**2,52,17,504**	**1,59,94,880**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजनेत्तर

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीने और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	60,77,905	13,57,791	9,50,258	64,85,438	34,57,340	3,32,230	9,50,258	28,39,312	36,46,126	26,20,565
5. फर्नीचर, जुड़नार	1,60,81,758	22,08,071		1,82,89,829	77,76,428	14,63,764		92,40,192	90,49,637	83,05,330

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजनेत्तर *(क्रमश:.....)*

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर	1,05,56,196	2,94,842		1,08,51,038	70,74,174	9,54,631		80,28,805	28,22,233	34,82,022
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल	2,74,41,404	16,55,909	30,32,295	2,60,65,018	2,17,54,357	23,40,230	30,32,295	2,10,62,292	50,02,726	56,87,047
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	50,01,490	12,21,458		62,22,948	11,57,013	5,36,461		16,93,474	45,29,474	38,44,477
9. पुस्तकालय पुस्तकें	33,44,194	2,45,803		35,89,997	30,52,795	1,86,040		32,38,835	3,51,162	2,91,399
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य नियत परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग	**6,85,02,947**	**69,83,874**	**39,82,553**	**7,15,04,268**	**4,42,72,107**	**58,13,356**	**39,82,553**	**4,61,02,910**	**2,54,01,358**	**2,42,30,840**
पिछला वर्ष	**6,29,11,319**	**59,92,458**	**4,00,830**	**6,85,02,947**	**3,89,05,963**	**57,01,113**	**3,34,969**	**4,42,72,107**	**2,42,30,840**	**2,40,05,356**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति में										
योग										

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजना

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीने और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, जुड़नार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां – योजना *(क्रमश:.....)*

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय पुस्तकें	3,64,407	-	-	3,64,407	1,10,847	51,446	-	1,62,293	2,02,114	2,53,560
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य नियत परिसंपत्तियां	-				-			-		
चालू वर्ष का योग	**3,64,407**	**-**	**-**	**3,64,407**	**1,10,847**	**51,446**	**-**	**1,62,293**	**2,02,114**	**2,53,560**
पिछला वर्ष		**3,64,407**		**3,64,407**		**1,10,847**		**1,10,847**	**2,53,560**	
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति में										
योग										

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डेबेंचर एवं बांड्स	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डेबेंचर एवं बांड्स	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि का विवरण

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क. चालू परिसंपत्तियां :				
1. सामान सूची				
क) स्टोर्स और स्पेयर्स				
ख) लूज टूल्स				
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल				
कार्य प्रगति पर				
कच्चा माल				
2. विविध ऋणदाता				
क) छह माह की अवधि से अधिक लंबित देनदारी				
ख) अन्य				
3. हाथ में नकदी (चैक/ड्राफ्ट एवम् अग्रदाय सहित)	90,640	92,415		
4. बैंक में शेष				
क) अनुसूचित बैंक के साथ				
- ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	1,19,06,421	1,70,86,623	20,93,027	48,98,572
- पंजीकरण शुल्क के चालू खाते म	6,70,000			
- जमा खाते में (मार्जिन धनराशि सहित)				
- ग्राहक जागरूकता शुल्क बचत खाते में	97,76,062			
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ				
- चालू खाते में				
- जमा खाते में				
- बचत खाते में				
5. डाकघर–बचत खाता				
कुल (क)	**2,24,43,123**	**1,71,79,038**	**20,93,027**	**48,98,572**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि का विवरण

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
क) स्टाफ	33,83,771	37,48,399		
ख) संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को टीए, एलटीसी तथा त्योहार अग्रिम)	2,30,700	3,89,440	1,14,864	24,427
2. अग्रिम और अन्य राशि जिसकी वसूली नकद अथवा इस प्रकार अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में की जानी है				
क) पूंजीगत खाते पर	3,16,00,000	7,66,00,000	17,10,00,000	9,60,00,000
ख) पूर्व भुगतान		2,17,436		11,41,675
ग) अन्य	11,72,165	17,10,044		53,34,100
3. प्रोद्भूत आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर				
ख) निवेश पर – अन्य				
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	16,58,643			
घ) अन्य (देय आय शामिल है – वसूली न गई रु0)				
4. प्राप्त होने वाले दावे	4,90,920	4,87,668		
कुल (ख)	**3,85,36,199**	**8,31,52,987**	**17,11,14,864**	**10,25,00,202**
कुल (क+ख)	**6,09,79,322**	**10,03,32,025**	**17,32,07,891**	**10,73,98,774**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) कबाड़ से बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-	-	-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायता

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)				
1) केन्द्रीय सरकार	29,00,00,000	24,00,00,000	13,00,00,000	10,00,00,000
2) राज्य सरकार (रे)				
3) सरकारी एजेंसियां				
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय				
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन				
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल	**29,00,00,000**	**24,00,00,000**	**13,00,00,000**	**10,00,00,000**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी:–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

अनुसूची 15–निवेश से आय

	निर्धारित निधि से निवेश			
	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) डिविडेंड	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-		-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित				

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1) सावधि जमा पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-		-	-
2) बचत खाते पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी / स्टाफ	3,17,827	2,287	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	3,17,827	2,287	-	-

टिप्पणी :–स्रोत पर काटा गया कर दर्शाए जाए।

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ				-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	1,12,600	35		-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां				-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन				-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				-
4. विविध आय	54,785	19,852		-
कुल	**1,67,385**	**19,887**		**-**

अनुसूची 19–निर्मित माल के स्टॉक एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) अंतिम स्टॉक				
- तैयार माल	-	-		-
- चल रहा कार्य	-		-	-
ख) घटाएं पूर्व स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- चल रहा कार्य	-	-	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		**-**		**-**

अनुसूची 20–स्थापना व्यय

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) वेतन और मजदूरी	10,74,54,388	11,46,45,616	-	-
ख) भत्ते और बोनस	2,71,678	2,95,349	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	33,35,995	34,07,587	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	3,21,738	3,36,899	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ	1,02,20,440	79,71,540	-	-
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को एलटीसी, चिकित्सा तथा स्टॉफ को ओटीए)	82,18,585	71,75,484	-	-
कुल	**12,98,22,824**	**13,38,32,475**	**-**	**-**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) क्रय				
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय				
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार				
घ) विद्युत एवं पावर	13,72,422	12,61,418		
ङ) जल प्रभार				
च) बीमा	1,69,647	1,20,980		
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	34,03,255	30,06,735		
ज) सीमा शुल्क				
झ) किराया, दर और कर	11,07,42,133	8,62,08,792		
ञ) वाहन चालन एवं अनुरक्षण	22,41,168	23,32,116		
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	74,52,217	71,98,930		
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	52,94,186	44,00,532		
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	1,65,18,050	1,54,91,323		
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	39,02,739	23,61,366		
ज) अंशदान व्यय	5,36,808	7,31,047		
त) शुल्क पर व्यय				
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1,12,700	81,243		
द) अतिथि सत्कार व्यय	18,93,672	17,91,007		
ध) वृत्तिक व्यय	2,87,60,976	2,62,89,262		
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान				
प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया		38,221		
फ) पैकिंग प्रभार				
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय				
भ) वितरण व्यय				
म) विज्ञापन और प्रचार	1,38,17,357	52,86,127		
य) अन्य				
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग इत्यादि को भुगतान)	1,09,21,356	78,38,757		
(ii) भवन के अनुरक्षण पर व्यय			7,34,13,506	2,09,39,601
एसएटीआरसी मीटिंग खर्च और फीस		28,000		
कुल	**20,71,38,686**	**16,44,65,856**	**7,34,13,506**	**2,09,39,601**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 22– अनुदानों, सहायता इत्यादि पर व्यय

(राशि–रु0)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता	-	-	-	-
कुल				

टिप्पणी :– अनुदान/सहायता की राशि के साथ संस्था का नाम, उनके क्रियाकलाप प्रकट किए जाएंगे।

अनुसूची 23–ब्याज

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क) नियत ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
कुल	-	-		-

ह0/–
उप सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

प्राप्तियां	योजनेत्तर		योजना		भुगतान	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10		चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
I. अर्धशेष					**I. व्यय**				
क) हाथ में रोकड़	92,415	46,694			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	12,56,42,776	13,56,62,766		
i) चालू खाते में	1,70,86,623	30,39,914	48,98,572	46,86,564	ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	21,00,19,432	15,48,82,015	5,83,15,108	1,71,78,985
ii) जमा खाते में					**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**				
ii) बचत खाते में					(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)				
II. प्राप्त अनुदान									
क) भारत सरकार से	33,50,00,000	31,00,00,000	5,50,00,000	2,30,00,000	**III. किए गए निवेश और निक्षेप**				
ख) राज्य सरकार से					क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से				
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)					ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)				
(पूंजी एवं आय और व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को अलग से दर्शाया जाए)					**IV. नियत परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहा पूंजीगत कार्य**				
III. निम्न से निवेश पर आय					क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद	76,00,448	58,03,855		3,64,407
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां					ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय				
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)					**V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी**				
IV. प्राप्त ब्याज					क) भारत सरकार को		48,000		
क) बैंक जमा पर					ख) राज्य सरकार को				

(क्रमशः.....)

प्राप्तियां	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
ख) ऋण, अग्रिम	4,363	2,287		
ग) विविध				
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)				
विविध आय को	54,785	19,852		
VI. उधार ली गई राशि				
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)				
शुल्क से				
प्रतिभूति जमा से	16,36,000		6,00,000	
परिसंपत्तियों की बिक्री से	1,12,600	27,675		
ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा से	12,72,931	4,39,252		
पंजीकरण शुल्क से	6,70,000			
ग्राहक जागरूकता शुल्क से	97,76,062			
कुल	**36,57,05,779**	**31,35,75,674**	**6,04,98,572**	**2,76,86,564**

भुगतान	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
ग) निधियों के अन्य प्रावधान (उपभोक्ता संरक्षण निधि)				
VI. ऋण प्रभार (ब्याज)				
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)				
ऋण और अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा			90,437	52,44,600
VIII. अंत शेष				
क) हाथ में रोकड़	90,640	92,415		
ख) बैंक में शेष				
i) ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	1,19,06,421	1,70,86,623	20,93,027	48,98,572
ii) पंजीकरण शुल्क के चालू खाते में	6,70,000			
ii) जमा खाते में				
iii) ग्राहक जागरूकता शुल्क के बचत खाते में	97,76,062			
कुल	**36,57,05,779**	**31,35,75,674**	**6,04,98,572**	**2,76,86,564**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची 24 –उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं :–

(क) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में योजनेत्तर तथा योजना, दोनों ही क्रियाकलापों के लिए समुचित रूप से और स्पष्टतः तैयार किए गए हैं।

(ख) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2010–11 के लिए प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं – लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

(ग) लेखा बहियों में समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(ड.) तथ्यों और कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां :–

स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख, अर्जन की लागत पर किया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

3. मूल्यह्रासः–

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार लगाया है, सिवाय नीचे उल्लिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में मूल्यह्रास की ऊँची दरें लागू की गई हैं, जैसाकि पिछले वर्षों के लेखों में किया गया थाः–

श्रेणी	कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर	लागू की गई मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	4.75%	10.00%
फर्नीचर और जुड़नार	6.33%	10.00%
विद्युत उपकरण	4.75%	10.00%
एयरकन्डीशनर	4.75%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	4.75%	20.00%

कार्यालय उपस्करों में शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश सं0 2–1/97–लैन के माध्यम से दूरसंचार विभाग की ही तर्ज पर तीन वर्ष के भीतर इन हैंडसेटों को देने/बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार वर्ष 2007–08 से व आगे मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.03.2009 के आदेश सं0

23–24/2008/जीए (एलटी) के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि भादूविप्रा अधिकारियों को जारी लैपटॉप का उपयोग–काल आगे से चार वर्ष होगा। तद्नुसार, चालू वित्त वर्ष में लैपटॉप पर मूल्यह्रास 25 प्रतिशत की दर से आकलित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में योजित वस्तुओं के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया गया है।

(ग) 5,000/– रू0 अथवा उससे कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति को पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः–

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभः–

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में 31.03.2011 तक अवकाश वेतन और पेंशन योगदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान भारत सरकार द्वारा मूल नियमावली के तहत समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, भादूविप्रा ने वर्ष 2010–2011 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकक(ऐक्चूएरी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6. सरकारी अनुदानः–

1. विर्निदिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भी अनुदान चालू वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ।

2. संस्वीकृत राशि के आधार पर सरकारी अनुदानों को हिसाब में लिया जाता है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएंः–

संस्था के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – चालू वर्ष(शून्य). (पिछला वर्ष– शून्य)।

2. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः–

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में वसूली पर, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य है, कम–से–कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई सकल राशि के समान है।

3. कराधानः–

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर, कर से छूट प्राप्त है।

4. स्थायी परिसंपत्तियों में शामिल है :–

दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 1997–98 के दौरान 14,71,692/– रुपए में खरीदे गए चार वाहनों में से, दो कारें, अक्तूबर 2000 में, टीडीसेट को अंतरित कर दी गई थी। इन दो कारों की कीमत 7,35,846/–रू0

थी और अंतरण के दिन तक संचयित मूल्यह्रास 2,48,211 रु0 था। अंतरण के दिन तक इन कारों की डब्ल्यूडीवी राशि 4,87,635/–रु0 थी, जिसे टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य दावों के नामे किया गया है। मामला दूरसंचार विभाग के पास लम्बित है ।

5. अनुदानः–

लेखांकन वर्ष अर्थात् 2010–11 के दौरान ट्राई सामान्य निधि में योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत अंतरण हेतु स्वीकृत अनुदान 29.00 करोड़ रू0 था, इसके बदले में 33.50 करोड़ रू0 की राशि अनुदान के रूप में दूरंसचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 3.16 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में ''अग्रिम तथा नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अन्य राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसी प्रकार,योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत ट्राई सामान्य निधि में अंतरण हेतु 13.00 करोड़ रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 5.50 करोड़ रू0 की राशि दूरसंचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 17.10 करोड़ रू0 की राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

6. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम,2010 से संबंधित लेन–देनः–

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम,2010 के प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा ने कॉर्पोरेशन बैंक में पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस, जुर्माना टेलीमार्केटर व वित्तीय निरूत्साहन खाते के लिए चार खाते खोले गए हैं । दिनांक 31/03/2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस के लिए क्रमशः 6,70,000/–रू0 तथा 97,76,062/–रू0 की धन राशि प्राप्त हुई। इस राशि को अनुसूची–7(चालू देयताएं एवं प्रावधान) के शीर्ष अन्य देयताएं में दर्शाया गया है ।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ेः–

पिछले वर्ष के तदनुरूप आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

8. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारः–

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

9. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ग) वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखे पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं, आदि यदि कोई हैं, के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा

निष्पादन इस प्रकार करें कि, हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः–

i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक सामान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणी के अधीन, हम यह भी सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–। में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैंः

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च,2011 – अंशदायी भविष्य निधि लेखा के कार्यों के तुलन–पत्र से संबंधित हैं ; और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ''घाटे'' के आय और व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रेवती बेदी)
महानिदेशक –लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 23 सितम्बर, 2011

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–।

(भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(vi) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा ने स्वतंत्र प्रभार के साथ अगस्त, 2009 तक एक पूर्णकालिक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया था, जो कि भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भी उत्तरदायी था। इसके पश्चात आंतरिक लेखापरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार के साथ अनुभाग अधिकारी (लेखा) ने वर्ष 2010–11 के लिए भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा के लेखे तथा संदत्त वाउचरों की जांच की है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है (संगठन प्रमुख के बजाए वित्त विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं) क्योंकि लेखापरीक्षा एकक, कार्यक्षेत्र एवं आपत्तियों के निवारण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है ।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा–सीपीएफ लेखा में कोई नकद संव्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान केवल चैक द्वारा ही किए जाते हैं। सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा सीपीएफ आहरण अथवा अस्थायी अग्रिमों के फलस्वरूप भादूविप्रा–सीपीएफ के सदस्यों को किया गया भुगतान प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों के अनुरूप किया जाता है तथा बैंक बही में इसको नियमित रूप से दर्ज किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीएफ की निधियों का निवेश विनिर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों/नियत जमा/म्यूचुअल फंडों में किया जाता है। इस प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज की आय में उचित रूप से दर्ज किया जाता है। निधियों के निवेश के निर्णय ट्रस्टियों के बोर्ड की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं। सदस्यों के सीपीएफ जमा पर ब्याज को सामान्य भविष्य निधि के अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दरों पर उनके व्यक्तिगत खातों में अंतरित किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज पर घाटे को, यदि कोई हो, को भादूविप्रा सामान्य निधि से पूरा किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्यों को सीपीएफ नियमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी शेष राशि में से धन निकालने अथवा अस्थायी अग्रिम लेने की अनुमति दी जाती है। सदस्यों के दिए जाने अग्रिमों के मामले में, अग्रिम की वसूली के लिए संबंधित सदस्य के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के बारे में भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सूचित किया जाता है।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

अस्वीकरण :– "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ट्राई–सीपीएफ सदस्य खाता	1	55969295.00	45396949.00
रिजर्व एवं अधिशेष	2		-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3		-
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		-
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		-
आस्थगित ऋण देयताएं	6		-
चालू देयताएं और प्रावधान	7		-
कुल		**55969295.00**	**45396949.00**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	8		-
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश–अन्य	10	49937216.00	40656924.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	6032079.00	4740025.00
विविध व्यय – निवेशों के मूल्यों में कमी के कारण (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)	-		
कुल		**55969295.00**	**45396949.00**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया	श्री एस.डी. शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री आर.के. मिश्रा
संयुक्त सलाहकार	उप सलाहकार	संयुक्त सलाहकार	वैयक्तिक सहायक	प्रधान सलाहकार
(लेखा)	(एचआर एवं ओएस)	(विधि)	(बी एंड सीएस)	(प्र. एवं का.)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से आय–निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2632661.20	2290442.62
अन्य व्यय	18		0.00
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19	-	-
कुल (क)		**2632661.20**	**2290442.62**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	50.00	499.25
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	3627507.00	2841422.00
म्यूचुअल फंडों में निवेश का ह्रास मूल्य		17110.00	162883.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**3644667**	**3004804.25**

(क्रमशः.....)

व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		**-1012005.80**	**-714361.63**
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, ट्राई सामान्य निधि से वसूली योग्य को ले जाया गया	11	**-1012005.80**	**-714361.63**
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

ह0/– श्री जे. एस. भाटिया संयुक्त सलाहकार (लेखा) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.डी. शर्मा उप सलाहकार (एचआर एवं ओएस) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.बी. सिंह संयुक्त सलाहकार (विधि) न्यासी	ह0/– श्रीमती पूनम खुराना वैयक्तिक सहायक (बी एंड सीएस) न्यासी	ह0/– श्री आर.के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (प्र. एवं का.) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – भादूविप्रा–सीपीएफ सदस्य लेखा

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	45396949.00	30077334.00
जोड़ेः सदस्यों के खाते में अंशदान	10572346.00	15319615.00
जोड़े/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष आय और व्यय लेखा		
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**55969295.00**	**45396949.00**

अनुसूची 2 – रिजर्व और अधिशेष

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष रिजर्व		लागू नहीं
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 3 – निधार्रित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	योजनेत्तर चालू वर्ष 2010-11	योजनेत्तर पिछला वर्ष 2009-10	योजना चालू वर्ष 2010-11	योजना पिछला वर्ष 2009-10
क) निधि का प्रारंभिक शेष								
ख) निधि में जमा राशियां								
i. दान/अनुदान				लागू नहीं				
ii. निधियों के कारण निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. **पूंजीगत व्यय**								
- नियत परिसंपत्तियां								
- अन्य								
कुल								
ii. **राजस्व व्यय**								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि							लागू नहीं	
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाए तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बाण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

टिप्पणीः– एक वर्ष के भीतर देय राशि।

अनुसूची 5 – सुरक्षित ऋण और उधार

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बाण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

टिप्पणीः– एक वर्ष के भीतर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपस्करों के गिरवी द्वारा ली गई स्वीकृति तथा अन्य परिसंपत्तियां		लागू नहीं
ख) राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकरोत्तियां		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं		
क) सुरक्षित ऋण/उधार		लागू नहीं
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
5) साविधिक देयताएं		
क) अतिरिक्त		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
1) ट्राई सामान्य निधि के लिए		
2) टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए		
3) ग्राहक जागरूकता शुल्क के लिए		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		लागू नहीं
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड									लागू नहीं	
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीजहोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीने और उपस्कर										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, जुड़नार										

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल										
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन										लागू नहीं
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य नियत परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति में										
योग										

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से निवेश

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		लागू नहीं
4. डेबेंचर एवं बाण्ड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर	14450007.00	14467117.00
4. डेबेंचर एवं बाण्ड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा)	35487209.00	26189807.00
कुल	**49937216.00**	**40656924.00**

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. सामान की सूची		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध ऋणदाता		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवम् अग्रदाय सहित)		

(क्रमशः...)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
4. बैंक में शेष		
क) अनुसूचित बैंक के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर (मार्जिन धनराशि सहित)	-	-
- बचत खाते पर	825953.40	1174760.44
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर	-	-
- बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाता		
कुल (क)	**825953.40**	**1174760.44**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों / उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाए		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2. अग्रिम और अन्य नकद में या उस प्रकार वसूलीय अग्रिम या अन्य राशि या प्राप्त होने वाली राशि		
क) पूंजीगत खाते पर		-
ख) पूर्व भुगतान		-
ग) अन्य		-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		-
ख) निवेश पर – अन्य	4194119.41	2850904.17
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य – (वसूलनीय आय सहित रु0 में)		
4. प्राप्त होने वाले दावे – (0.39 + 1012005.80)	1012006.19	714360.39
कुल (ख)	5206125.60	3565264.56
कुल (क+ख)	**6032079.00**	**4740025.00**

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) कबाड़ से बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		लागू नहीं
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायता

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अवसूलीय अनुदान एवम् प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्रीय सरकार		
2) राज्य सरकार (रे)		
3) सरकारी एजेंसियां		लागू नहीं
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क		लागू नहीं
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी:– प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

निर्धारित निधि से निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर		
ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर		लागू नहीं
2) डिविडेंड		
क) शेयरों पर		
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		लागू नहीं
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	311139.00	301272.78
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ		-
ग) संस्थाओं के साथ	2225275.20	1878714.84
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	96247.00	110455.00
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**2632661.20**	**2290442.62**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		लागू नहीं
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय		
कुल		

अनुसूची 19 – निर्मित माल एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/कमी

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		लागू नहीं
ख) घटाएं शुरू का स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		
कुल वृद्धि (कमी) (क–ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्ते और बोनस		
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		लागू नहीं
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ		
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत	-	-
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	-	-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	-	-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	-	-
ज) अंशदान व्यय	-	-
त) शुल्क पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
द) अतिथि सत्कार पर व्यय	-	-
ध) वृत्तिक व्यय	-	-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अवसूलनीय न होने वाले शेष जो बट्टे खाते में डाला गया हो	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	-	-
य) अन्य (निर्दिष्ट करें) *- बैंक चार्जेज*	50.00	499.25
कुल	**50.00**	**499.25**

अनुसूची 22 – अनुदानों, सहायता आदि पर व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता		लागू नहीं
कुल		

टिप्पणीः– संस्थाओं के नाम उनको दिए गए अनुदानों/सहायताओं के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख किया जाए।

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) नियत ऋणों पर		-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	3627507.00	2841422.00
कुल	**3627507.00**	**2841422.00**

ह0/–
उप सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखे
दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अर्धशेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में रोकड़		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)		-
ख) बैंक में			ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	50.00	499.25
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में		-			
iii) बचत खाते में	1174760.44	453752.96			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं आय और व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को अलग से दर्शाया जाए)					
III. निम्न से निवेश पर आय			**III. किए गए निवेश और निक्षेप**		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से		
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)			ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)	14835361.00	19689807.00
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहा पूंजीगत कार्य**		
क) बैंक जमा पर – *(अनुसूची 'क')*	329716.00	580433.00	क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद		

(क्रमशः...)

दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय *(क्रमशः.....)*

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम इत्यादि			ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध – *(अनुसूची 'ख')*	959729.96	783488.73			
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी**		
विविध आय को			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
VI. उधार ली गई राशि			ग) निधियों के अन्य प्रावधान		
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			**VI. ऋण प्रभार (ब्याज)**		
शुल्क से					
पूंजीगत निधि से			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रकाशन की बिक्री से			अंतिम भुगतान	4052420.00	1732366.00
संपत्तियों की बिक्री से			अग्रिम एवं निकासी	6484120.00	2529420.00
सदस्यों का अंशदान	10553240.00	10135390.00			
भादूविप्रा का अंशदान	3331417.00	3415482.00	**VIII.अंत शेष**		
शेष राशि का स्थानांतरण	2986267.00	2722501.00	क) हाथ में रोकड़		
अग्रिमों की पुनर्अदायगी	610455.00	466606.00	ख) बैंक में शेष		
एफडी की परिपक्वता/म्यूचुअल फंडों का नकदीकरण	5537959.00	6182216.00	i) चालू खाते में		
भादूविप्रा जनरल निधि से ब्याज शॉर्टफॉल की वसूली	714360.00	386983.00	ii) जमा खाते में		
भादूविप्रा को देय	-	-	iii) बचत खाते में	825953.40	1174760.44
योग	**26197904.40**	**25126852.69**	**योग**	**26197904.40**	**25126852.69**

ह0/– श्री जे. एस. भाटिया संयुक्त सलाहकार (लेखा) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.डी. शर्मा उप सलाहकार (एचआर एवं ओएस) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.बी. सिंह संयुक्त सलाहकार (विधि) न्यासी	ह0/– श्रीमती पूनम खुराना वैयक्तिक सहायक (बी एंड सीएस) न्यासी	ह0/– श्री आर.के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (प्र. एवं का.) पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 – उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परम्पराएं :–

i) वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र संख्याः– एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक सामान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखे वर्तमान वर्ष, अर्थात 2010–11 के लिए प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः–

1. संस्था के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य

लेखे पर टिप्पणियांः–

1. निवेश वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना, 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, में निर्दिष्ट पैटर्न पर किए गए हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार किए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज तथा उपभोक्ताओं को देय ब्याज के बीच ब्याज की कमी, यदि कोई है, भादूविप्रा सामान्य निधि से वहन की जाएगी। तदनुसार, इस वर्ष भादूविप्रा सामान्य निधि से वसूले जाने वाली 1012006.19/–रू0 की राशि हिसाब में ली गई है।

3. भारतीय चाटर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)–13 की अपेक्षाओं के अनुपालन में तथा वित्त वर्ष 2008–09 के एसएआर में लेखापरीक्षा दल द्वारा सुझाए गए अनुसार, 31.03.2011को कुछ म्यूचुअल फंड निवेश में ह्रास मूल्य (डिमिनुएशन वैल्यू) के रूप में 17110–/ रू0 की राशि को सम्यक रूप से लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया	श्री एस.डी. शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री आर.के. मिश्रा
संयुक्त सलाहकार	उप सलाहकार	संयुक्त सलाहकार	वैयक्तिक सहायक	प्रधान सलाहकार
(लेखा)	(एचआर एवं ओएस)	(विधि)	(बी एंड सीएस)	(प्र. एवं का.)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

अनुबंध

2005–06 से 2010–11 तक वायरलैस सेवाओं (जीएसएम एवं सीडीएमए) में उपभोक्ता आधार

(उपभोक्ता आधार मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	वित्त वर्ष 2010 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
भारती	19.58	37.14	61.98	93.92	127.62	162.20	27.10%
रिलायंस	17.31	28.01	45.79	72.67	102.42	135.72	32.51%
वोडाफोन	15.36	26.44	44.13	68.77	100.86	134.57	33.42%
बीएसएनएल	17.65	30.99	40.79	52.15	69.45	91.83	32.23%
आइडिया	7.37	14.01	24.001	38.89	63.82	89.50	40.23%
स्पाइस	1.93	2.73	4.21	4.13			
टाटा	4.85	16.02	24.33	35.12	65.94	89.14	35.18%
एयरसेल	2.61	5.51	10.61	18.48	36.86	54.84	48.78%
यूनीटेक				0	4.26	22.79	-
सिस्टेमा	0.03	0.10	0.11	0.60	3.78	10.06	-
वीडियोकॉन				0	0.03	7.11	-
एमटीएनएल	2.05	2.94	3.53	4.48	5.09	5.47	7.44%
लूप	1.34	1.07	1.29	2.16	2.84	3.09	8.78%
एस टेल				0	1.01	2.82	-
एचएफसीएल	0.06	0.15	0.30	0.39	0.33	1.47	-
ईटीसलत				0	0.0004	0.97	-
कुल	90.14	165.11	261.07	391.76	584.32	811.59	38.89%

डाटा मे डब्ल्यूएलएल (एफ) उपभोक्ता शामिल हैं।

स्रोतः सेवा प्रदाता

31 मार्च, 2011 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
1	**महानगर**	दिल्ली	भारती
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			आइडिया सेल्युलर लि0
			एयरसेल लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (दिल्ली) लि0*
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
2		मुंबई	लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			आइडिया सेल्युलर लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (मुंबई) प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
3		चेन्नई	एयरसेल सेल्युलर लि0
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			रिलायंस इंफोकॉम#

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			टाटा टेलीसर्विसेज
			भारती#
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0#
			आइडिया सेल्युलर लि0*#
			यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0#
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0#
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*#
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0#
4		कोलकाता	भारती
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			रिलायंस टेलीकॉम
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0*
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (कोलकाता) लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
5	**'क' सर्किल**	महाराष्ट्र	वोडाफोन
			आइडिया सेल्युलर लि0
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
6		गुजरात	वोडाफोन
			आइडिया सेल्युलर लि0
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
7		आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्युलर लि0
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
8		कर्नाटक	भारती
			स्पाइस
			बीएसएनएल
			वोडाफोन

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			आइडिया सेल्युलर लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
9		तमिलनाडु	वोडाफोन
			एयरसेल लि0
			बीएसएनएल
			रिलायंस इंफोकॉम#
			टाटा टेलीसर्विसेज#
			भारती#
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0#
			आइडिया सेल्युलर लि0#
			यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0#
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0#
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*#
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0#
10	**'ख' सर्किल**	केरल	आइडिया सेल्युलर लि0
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
11		पंजाब	स्पाइस
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			आइडिया सेल्युलर लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			एचएफसीएल इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
12		हरियाणा	आइडिया सेल्युलर लि0
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0*
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
13		उ0प्र0–(पश्चिमी)	आइडिया सेल्युलर लि0
			भारती
			बीएसएनएल

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
14		उ0प्र0–(पूर्वी)	वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			आइडिया सेल्युलर लि0
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
15		राजस्थान	वोडाफोन
			हेक्साकॉम (भारती)
			बीएसएनएल
			आइडिया सेल्युलर लि0
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			रिलायंस इंफोकॉम

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज
16		म0प्र0	आइडिया सेल्युलर लि0
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0*
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			अलायंज़ इन्फ्राटेक लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
17		प0बं0 एवं अंडमान द्वीप	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
18	**'ग' सर्किल**	हिमाचल प्रदेश	भारती
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			आइडिया सेल्युलर लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0*
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0*
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
19		बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			आदित्य बिरला टेलीकॉम लि0 (आइडिया)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्व) लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
			एलायंज़ इन्फ्राटेक (प्रा0) लि0
20		उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
21		आसाम	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0*
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0*
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0*
22		पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम
			भारती
			बीएसएनएल
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0*
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0*
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0*
23		जम्मू व कश्मीर	बीएसएनएल
			भारती

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशंस लि0*
			आइडिया सेल्युलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0*
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0*
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0*
			रिलायंस इंफोकॉम

टिप्पणी : * सेवा अभी आरंभ नहीं हुई है।

तमिलनाडु एवं चेन्नई के लिए एक लाइसेंस।

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त वायरलैस उपभोक्ता तथा वार्षिक वृद्धि दर

सर्किल	अप्रैल, 08 से मार्च, 09 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2008–09 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल, 09 से मार्च, 10 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2009–10 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल 10 से मार्च 11 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	अप्रैल 10 से मार्च 11 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत
महानगर	17.28	38.56%	9.09	14.64%	25.65	36.03%
सर्किल 'क'	43.23	46.01%	75.13	54.77%	76.13	35.87%
सर्किल 'ख'	51.75	54.42%	77.15	52.54%	94.55	42.21%
सर्किल 'ग'	18.43	67.71%	31.19	68.32%	30.94	40.26%
संपूर्ण भारत	**130.69**	**50.06%**	**192.56**	**49.15%**	**227.27**	**38.89%**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्टें।

अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की सूची

क्रम सं.	टेलीपोर्ट का नाम	स्थान
1	एयर्र एक्स मीडिया लि0	सूरत
2	अमृता इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0	तिरूवनंतपुरम
3	एशियानेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	तिरूवनंतपुरम
4	एसोसिएटिड ब्रॉडकास्टिंग कं0 प्रा0 लि0	हैदराबाद
5	एवी एंटरटेनमेंट प्रा0 लि0	भोपाल
6	बेनिट कोलमैन एंड कं0 लि0	मुंबई
7	भारती टेलीपोर्ट्स लि0	नोएडा
8	ब्रहमपुत्र टेली–प्रोडक्शन प्रा0 लि0	गुवाहाटी
9	ब्रॉडकॉस्ट इक्विपमेंट्स इंडिया प्रा0 लि0	नई दिल्ली
10	कलकत्ता टेलीविजन नेटवर्क प्रा0 लि0	कलकत्ता
11	चैनल गाइड इंडिया लि0	मुंबई
12	कॉमसेट सिस्टम प्रा0 लि0	हैदराबाद
13	डिश टीवी इंडिया लि0	नोएडा
14	ईस्टर्न मीडिया लि0	भुवनेश्वर
15	एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा0 लि0	मुंबई
16	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लि0	नोएडा
17	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लि0	नोएडा–2
18	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लि0	नोएडा–3
19	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लि0	मुंबई
20	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशन लि0	अरूर केरल
21	जी. नेक्स्ट मीडिया प्रा0 लि0	नई दिल्ली
22	इन केबलनेट आंध्रा लि0	हैदराबाद
23	इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज प्रा0 लि0	नोएडा
24	इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज प्रा0 लि0	नोएडा–2
25	इंडियासाइन प्रा0 लि0	गुड़गांव
26	इंडियासाइन प्रा0 लि0	कोलकाता
27	इंडियासाइन प्रा0 लि0	चेन्नई
28	इंडियासाइन प्रा0 लि0	हैदराबाद
29	इंडियासाइन प्रा0 लि0	हैदराबाद (नोएडा से स्थान परिवर्तित किया)

क्रम सं.	टेलीपोर्ट का नाम	स्थान
30	इंडियाविजन सेटेलाइट कम्यूनिकेशंस लि0	कोच्चि–केरल
31	इंद्रा टेलीविजन लि0	हैदराबाद
32	इन्फारमेशन टीवी प्रा0 लि0	नई दिल्ली
33	जैन स्टूडियोज़ लि0	ग्रेटर नोएडा
34	कामयाब टीवी प्रा0 लि0 (पहले एमडी टीवी प्रा0 लि0 के रूप में ज्ञात)	भुवनेश्वर
35	कनसन न्यूज प्रा0 लि0	चंडीगढ़
36	कस्तूरी मीडिया प्रा0 लि0	बैंगलोर
37	कोहिनूर ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लि0	राजपुरा–पंजाब
38	लम्हास सेटेलाइट सर्विसेज लि0	मुंबई
39	लोक प्रकाशन लि0	अहमदाबाद
40	मलयालम कम्यूनिकेशंस लि0	तिरूवनंतपुरम
41	माविस सेटकॉम लि0	चेन्नई
42	मीडिया कंटेंट एंड कम्यूनिकेशन सर्विसेज इंडिया प्रा0 लि0	नोएडा
43	एमएच वन टीवी नेटवर्क लि0	दिल्ली
44	एमएम टीवी लि0	अलपुज्जा
45	नई दिल्ली टेलीविजन लि0 एनडीटीवी	नई दिल्ली
46	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लि0	ग्रेटर नोएडा
47	ओरटेल कम्यूकेशन लि0	भुवनेश्वर
48	पॉजीटिव टेलीविजन प्रा0 लि0	गुवाहाटी
49	पॉजीटिव टेलीविजन प्रा0 लि0	नोएडा
50	प्राज्ञ विजन प्रा0 लि0	नोएडा
51	प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्रा0 लि0	गुवाहाटी
52	रचना टेलीविजन प्रा0 लि0	हैदराबाद
53	राज टेलीविजन नेटवर्क लि0	चेन्नई
54	राजस्थान पत्रिका प्रा0 लि0	जयपुर
55	रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपीटीटिव एग्जामिनेशन प्रा0 लि0	कोलकाता
56	सहारा संचार लि0	नोएडा
57	संस्कार इंफो टीवी प्रा0 लि0	मुंबई
58	सतीश शूगर्स लि0	बेंगलोर
59	सिनीयर मीडिया लि0	नई दिल्ली
60	शीतल फैबरिक्स लि0	जालंधर

क्रम सं.	टेलीपोर्ट का नाम	स्थान
61	स्काईलाइन टेली मीडिया सर्विसेज प्रा0 लि0	नोएडा
62	सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लि0	हैदराबाद
63	श्री वेकटेशवर भक्ति चैनल प्रा0 लि0	तिरूपति
64	एसएसटी मीडिया प्रा0 लि0	कोलकाता
65	एसटीवी एंटरप्राइजेज लि0	नई दिल्ली
66	सन टीवी लि0	चेन्नई
67	सन टीवी लि0	चेन्नई
68	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0	चेन्नई–2
69	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0	चेन्नई–3
70	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	चेन्नई–4
71	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	कोलकाता
72	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	कोचिन
73	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	नई दिल्ली
74	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	मुंबई
75	टाटा कम्यूनिकेशंस लि0 वीएसएनएल	चेन्नई
76	टाटा स्काई लि0	नई दिल्ली
77	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लि0	मुंबई
78	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लि0	नई दिल्ली
79	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लि0	नोएडा
80	टीवी टुडे नेटवर्क लि0	नई दिल्ली
81	यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स लि0	मुंबई
82	उशोदया एंटरप्राइजेज लि0	हैदराबाद
83	विन्टेज स्टूडियो प्रा0 लि0	नई दिल्ली
84	विनिंग ऐज कम्यूनिकेशंस लि0	हैदराबाद

पे चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	ज़ी टीवी
2	ज़ी सिनेमा
3	कार्टून नेटवर्क
4	ज़ी मराठी
5	ज़ी न्यूज़
6	सीएनएन
7	ज़ी कैफे
8	ज़ी स्टूडियोज़
9	ज़ी बंगला
10	ज़ी पंजाबी
11	ज़ी ट्रेंड्ज़
12	एचबीओ
13	पोगो
14	ज़ी बिजनेस
15	ज़ी क्लासिक
16	ज़ी एक्शन
17	ज़ी प्रीमीयर
18	ज़ी तेलुगु
19	ज़ी कन्नड
20	ईटीसी पंजाबी
21	ईटीसी
22	जिंग
23	ज़ी जागरण
24	ज़ी स्माइल
25	24 घंटे
26	24 तास
27	ज़ी टॉकिज़
28	डब्ल्यूबी
29	रीयल

क्र.सं.	चैनल का नाम
30	ज़ी 24 घंटालू
31	ज़ी सलाम
32	सेट (सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन)
33	मैक्स
34	डिस्कवरी
35	एनिमल प्लानेट
36	एएक्सएन
37	एनीमैक्स
38	टीएलसी
39	सब टीवी
40	सब पिक्स
41	एनडीटीवी 24x7
42	एनडीटीवी प्रॉफिट
43	आज तक
44	हेडलाइंस टुडे
45	तेज
46	चैनल 8 (सोनी आठ)
47	डिस्कवरी साइंस
48	डिस्कवरी टर्बो
49	नियो स्पोर्ट्स
50	नियो क्रिकेट
51	सन टीवी
52	जेमिनी टीवी
53	उदय टीवी
54	के टीवी
55	जेमिनी कॉमेडी
56	उदय मूवीज़
57	सन म्यूज़िक
58	जेमिनी म्यूज़िक

क्र.सं.	चैनल का नाम
59	सन न्यूज़
60	जेमिनी न्यूज़
61	उदय वरथेगालू
62	जेमिनी मूवीज़
63	चिंटु टीवी (v)
64	उदय कॉमेडी
65	खुशी टीवी
66	छुट्टी टीवी
67	उदय ।।
68	आदित्य टीवी
69	सूर्या टीवी
70	किरन टीवी
71	दि डिज़नी चैनल
72	डिज़नी एक्सडी
73	हंगामा टीवी
74	आईबीएन 7
75	आईबीएन लोकमत
76	कलर्स
77	एमटीवी
78	निक
79	वीएच 1
80	सीएनबीसी टीवी 18
81	सीएनएन–आईबीएन
82	सीएनबीसी आवाज
83	स्टार प्लस
84	स्टार गोल्ड
85	स्टार मूवीज़
86	स्टार वर्ल्ड
87	विजय टीवी
88	एनजीसी
89	द फॉक्स हिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट चैनल
90	चैनल (वी)

क्र.सं.	चैनल का नाम
91	स्टार वन
92	टाइम्स नाऊ
93	जूम
94	द एमजीएम
95	स्टार जलशा
96	स्टार आनंद
97	एफएक्स
98	फॉक्स क्राइम
99	बेबी टीवी
100	नैट जिओ वाइल्ड
101	नैट जिओ एडवेंचर
102	नैट जिओ म्यूज़िक
103	सुवर्ना
104	ईटीवी
105	ईटीवी 2
106	ईटीवी बंगला
107	ईटीवी मराठी
108	ईटीवी कन्नड
109	ईटीवी गुजराती
110	ईटीवी उड़ीया
111	ईटीवी यूपी
112	ईटीवी बिहार
113	ईटीवी उर्दू
114	ईटीवी राजस्थान
115	ईटीवी एमपी
116	बिंदास
117	यूटीवी एक्शन
118	वर्ल्ड मूवीज़
119	यूटीवी मूवीज़
120	ब्लूमबर्ग यूटीवी
121	बीबीसी वर्ल्ड
122	बीबीसी एंटरटेनमेंट

क्र.सं.	चैनल का नाम
123	सीबीबीईस
124	ईएसपीएन
125	स्टार स्पोटर्स
126	स्टार क्रिकेट
127	राज टीवी
128	राज डिजिटल प्लस
129	विसा टीवी
130	9एक्सएम
131	9एक्स
132	एनडीटीवी ईमेजिन
133	एनडीटीवी लूमिरि
134	एनडीटीवी शोबिज़
135	एनडीटीवी गुड टाइम्स
136	फिरंगी
137	सहारा वन
138	फिल्मी
139	बी4यू मूवीज़

क्र.सं.	चैनल का नाम
140	माँ टीवी
141	माँ म्यूज़िक
142	माँ मूवीज़
143	माँ जूनियर
144	दिल्ली आज तक
145	ई–24
146	बूमेरंग
147	टीसीएम टर्नर क्लासिक मूवीज़
148	तरंग
149	तरंग म्यूज़िक
150	प्रार्थना
151	ईटी नाऊ
152	टेन एक्शन+
153	टेन स्पोटर्स
154	टेन क्रिकेट
155	एशियानेट प्लस

प्रसारणकर्ताओं / एग्रीगेटरों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	मैसर्स उशोदया एंटरप्राइजेज़ प्रा0 लि0
2	मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा0 लि0
3	मैसर्स यूटीवी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग लि0
4	मैसर्स एशियानेट कम्यूनिकेशंस लि0
5	मैसर्स राज टेलीविजन लि0
6	मैसर्स टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लि0
7	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा0 लि0
8	मैसर्स 9x मीडिया प्रा0 लि0
9	मैसर्स टर्नर जर्नल इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इंडिया प्रा0 लि0
10	मैसर्स नई दिल्ली टेलीविजन लि0
11	मैसर्स सहारा इंडिया कमर्शल कॉर्पोरेशन लि0
12	मैसर्स उड़ीसा टेलीविजन लि0
13	मैसर्स माँ टेलीविजन नेटवर्क लि0
14	मैसर्स बी4यू टेलीविजन नेटवर्क लि0
15	मैसर्स बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्रा0 लि0
16	मैसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लि0
17	मैसर्स एलाइड इंफोटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा0 लि0
18	मैसर्स बीबीसी वर्ल्ड वाइड चैनल्स प्रा0 लि0
19	मैसर्स ताज टेलीविजन इंडिया प्रा0 लि0
20	मैसर्स एमएसएम डिस्कवरी प्रा0 लि0
21	मैसर्स जी टर्नर लि0
22	मैसर्स सन 18 मीडिया सर्विसेज उत्तर
23	मैसर्स सन 18 मीडिया सर्विसेज दक्षिण
24	मैसर्स स्टार डेन मीडिया सर्विसेज प्रा0 लि0

पे डीटीएच प्रचालकों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	मैसर्स टाटा स्काई लि0
2	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लि0
3	सन डायरेक्ट टीवी (प्रा0) लि0

क्र.सं.	विवरण
4	भारतीय टेलीमीडिया लि0
5	रिलायंस बिग टीवी प्रा0 लि0
6	मैसर्स भारत बिजनेस चैनल्स लि0

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

2जी	दूसरी पीढ़ी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीसी	एक्सेस डेफिसिट प्रभार
एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
एनाटेल, ब्राजील	ब्राजील दूरसंचार एजेंसी
एपीटी	एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी
एआरपीयू	एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र
एएस	स्वायत्त प्रणाली
एटीएन	एक्शन टेकन नोट्स
एयूएसपीआई	एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया
बीएआरसी	ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल
बीजीपी	बार्डर गेटवे प्रोटोकॉल
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसओ	बुनियादी सेवा प्रचालक
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस
सीएजी	उपभोक्ता समर्थक समूह
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीएएस	सर्शत उपागम प्रणाली
सीएटीवी	केबल टेलीविजन
सीडीएमए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
सी–डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलेमैटिक्स
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलआईपी	कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन
सीएलएस	केबल लैंडिंग स्टेशन
सीएमटीएस	सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
सीओएआई	सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
सीपीजीआरएएमएस	एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपी	कॉलिंग पार्टी पे
सीयूजी	क्लोज़ड यूजर ग्रुप
सीयूटीसीईएफ	दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि संबंधी समिति
डीईएल	डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन

डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलसी	घरेलू लीज्ड सर्किट
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीटीएच	डायरेक्ट–टु–होम
ईईटीटी, ग्रीस	हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन
ईवीडीओ	केवल इवोलूशन डाटा
एफडीआई	फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट
एफएलआरआईसी	फार्वड लुकिंग लॉग रन इंक्रिमेंटल कॉस्ट
एफटीए	फ्री–टु–एयर
जीएमपीसीएस	ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम
जीपीआरएस	जनरल पैकेट रेडियो सर्विस
जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स
एचआईटीएस	हैडइंड–इन–द–स्काई
आईसीटी	इंफॉर्मेशन्स एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नॉलॉजी
आईईटीएफ	इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स
आईएलडी	इंटरनेशनल लाँग डिस्टेंस
आईएलडीओ	इंटरनेशनल लाँग डिस्टेंस ऑपरेटर
आईएमईआई	इंटरनेशनल मोबाइल इक्यूपमेंट आइडेंटिटी
आईएन	इंटेलीजेंट नेटवर्क
आईपी	अवसंरचना प्रदाता
आईपीएलसी	इंटरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
आईपीवी6	इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6
आईएसपी	इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
आईएसपीएआई	इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
आईटीईएस	इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज
आईटीयू	इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
आईयूसी	इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस
एलआरएन	लोकेशन रूटिंग नम्बर
मिनिस्ट्री ऑफ आई एडं बी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमडीयू	मल्टीपल डवेलिंग यूनिट
एमआईसी जापान	आंतरिक कार्य एवं संचार मंत्रालय, जापान
एमएलपीए	मल्टी लेटरल पीयरिंग एग्रीमेंट

एमएनपी	मोबाइल नम्बर सुवाह्यता
एमओयू	मिनट्स ऑफ यूज़ेज़
एमएससी	मोबाइल स्विचिंग सेंटर
एमएसओ	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमवीएनओ	मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर
एनडीएनसी	राष्ट्रीय कॉल–न–करें रजिस्ट्री
एनजीएन	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क
एनजीएन–ईको	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क एक्सपर्ट कमेटी
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र
एनआईडीक्यूएस	राष्ट्रीय एकीकृत डायरेक्ट्री इंक्वायरी सर्विस
एनआईएक्सआई	नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
एनएलडी	नेशनल लॉंग डिस्टेंस
एनएलडीओ	नेशनल लॉंग डिस्टेंस ऑपरेटर्स
एनएनपी	नेशनल नम्बरिंग प्लान
एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनटीआरए, मिश्र	नेशनल टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथारिटी, मिश्र
ओबीडी	आउट बाउंड डायलर
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएचडी	खुला मंच चर्चा
ओपीईएक्स	प्रचालनात्मक व्यय
ओटीईएफ	एकबारीय प्रवेश शुल्क
पीसीओ	पब्लिक कॉल ऑफिस
पीएमआरटीएस	पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओपी	प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस
पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
क्यूओएस	सेवा गुणवत्ता
आरआईओ	संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव
एसएसीएफए	फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी परामर्शदात्री समिति

एसएटीआरसी	दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद
एसडीसीए	शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया
एसआईएम	उपभोक्ता आइडेंटिटी मोड्यूल
एसएमएस	शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस
एसपी	सेवा प्रदाता
एसआरएस	सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस
टीएएम	टेलीविजन दर्शक मापन
टीसीईपीएफ	दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण
टीईसी	दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीआरपी	टेलीविजन दर्शक अंक
टीटीओ	दूरसंचार टैरिफ आदेश
यूएएसएल	यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस
यूसीसी	अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण
यूएसएल	सार्वभौमिक सेवा वसूली
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूएसएसडी	गैर–अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकडे
वीएएस	मूल्यवर्धित सेवा
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीओडी	वीडियो ऑन डिमांड
वीओआईपी	वॉयस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीएसएटी	वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल
डब्ल्यूआई–एफआई	वायरलैस फीडेलिटी
डब्ल्यूआईएमएएक्स	वर्ल्डवाइड इंटरपेराबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	वायरलैस प्लानिंग समन्वय
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन